



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



**बिहार सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – I राज्य सरकार का वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	1.1	1
राजकोषीय असंतुलन	1.2	4
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.3	7
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	15
सरकारी व्यय एवं निवेश	1.5	20
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.6	24
ऋण प्रबंधन	1.7	27
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	31
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	31
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	32
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4	36
निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण	2.5	38
असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय	2.6	38
अनुदान संख्या–09 “सहकारिता विभाग”	2.7	40
अनुदान संख्या–20 “स्वास्थ्य विभाग”	2.8	41
अनुदान संख्या–23 “उद्योग विभाग”	2.9	42
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
व्यक्तिगत जमा खाते / व्यक्तिगत बही खाते	3.1	45
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.2	47
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.3	49
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.4	50
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0ज्ञ0) के लेखाओं का अन्तिमीकरण में विलंब	3.5	51
उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुतीकरण	3.6	52
लंबित सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	3.7	54
निवेशों / ऋणों / प्रत्याभूतियों का असमाशोधन	3.8	56
जमा राशि पर ब्याज की कम अदायगी	3.9	56
सामान्य भविष्य निधि (सा0भ0नि0) पर ब्याज का समायोजन	3.10	56

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव		3.11	57
असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय		3.12	58
राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन		3.13	58
परिशिष्ट			
संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	61
1.2	भाग—कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	62
1.2	भाग—खः वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	63
1.3	वर्ष 2018–19 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	64
1.4	वर्ष 2018–19 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.2.4	67
1.5	राज्य सरकार के वित्त के काल श्रृंखला आँकड़े	1.3.2	68
1.6	31 मार्च 2019 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.6.1	70
2.1	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	71
2.2	कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	72
2.3	वर्ष 2014–15 से 2018–19 से दौरान सतत बचत (₹100 करोड़ एवं अधिक) प्रदर्शित करने वाले अनुदानों/ विनियोजनों की सूची	2.3.2	73
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.3	75
2.5	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.4	77
2.6	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	2.3.4	79
2.7	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.4	80
2.8	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ 100 करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.5	83
2.9	निधियों का शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.5	86
2.10	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत	2.3.7	94
2.11	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण	2.3.7	95
2.12	मार्च 2019 में सघन व्यय	2.3.8	99

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.13	गैर आकस्मिक खर्चों के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी	2.4	100
2.14	बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण	2.5	102
2.15	शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का व्यौरा	2.5	104
2.16	वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक (प्रत्येक मासले में) असमाशोधित राशि की विवरणी	2.6	105
2.17	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या— 09)	2.7	108
2.18	निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान संख्या— 09)	2.7	109
2.19	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0— 09)	2.7	110
2.20	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0— 20)	2.8	113
2.21	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0— 20)	2.8	118
2.22	आधिक्य अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0— 20)	2.8	120
2.23	शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं0— 20)	2.8	122
2.24	50 से 99 प्रतिशत निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं0— 20)	2.8	123
2.25	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0— 23)	2.9	124
2.26	शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं0— 23)	2.9	125
2.27	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं0— 23)	2.9	126
2.28	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के अँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं0— 23)	2.9	128
3.1	विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.1.2	129
3.2	लघु शीर्ष 800— ‘अन्य प्राप्तियों’ का परिचालन	3.3	130
3.3	लघु शीर्ष 800— ‘अन्य व्यय’ का परिचालन	3.3	131
3.4	30.09.2019 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा0क्षे0ज्ञ0) बकाए लेखे बिहार सरकार	3.5.1 एवं 3.5.2	132
3.5	उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे 2018–19 तक बकाया हैं।	3.5.3	135
3.6	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभाग—वार राशि	3.6	138
3.7	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2019 को अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति में अंतर	3.7	139
संकेताक्षरों की शब्दावली			143

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ०सी०), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2018–19 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय प्रदर्शन पर भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय—I यह वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है, और यह 31 मार्च 2019 तक बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सरकार के घाटा प्रबंधन, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियों, आकस्मिक मुद्दे, प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य व्यय, ऋण, निवेश एवं उधार ढाँचों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय—II बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन पड़ताल करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय—III वित्तीय प्रतिवेदन चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक नियमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, 2014–15 से तुलनात्मक रूप में 2018–19 में बढ़ा है जबकि 2017–18 की तुलना में पूँजीगत व्यय में कमी आई। मुद्रास्फीति के साथ लेखांकन (स्थिर मूल्य पर) के बाद, 2014–15 की तुलना में 2018–19 में राजस्व व्यय में वृद्धि की दर बढ़ी जबकि राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय में कमी आई। 2017–18 की तुलना में, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय की वृद्धि दर में बढ़त हुई थी। हालांकि, पूँजीगत व्यय की वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग और एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा को हासिल किया है जबकि बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। यद्यपि, राज्य ने 2018–19 के लिए बजट अनुमानों में अनुमानित, जी0एस0डी0पी0 लक्षित के साथ बकाया ऋण का अनुपात हासिल किया है, लेकिन राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

(कंडिका 1.1.2)

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में ₹ 5,050 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 3,736 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा वर्ष 2017–18 के सापेक्ष क्रमशः तीन प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत कम रहा।

(कंडिका 1.2.2)

घाटे की प्रवृत्ति

वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 7,926 करोड़ कम हुआ जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 498 करोड़ कम हो गया। जी0एस0डी0पी0 से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.48 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में चौदहवें वित्त आयोग तथा बी0एफ0आर0बी0एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के सीमा के भीतर था।

(कंडिका 1.1.2 एवं 1.2.3)

संसाधन संग्रहण

2017–18 से 2018–19 में राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 14,347 करोड़ (12.22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 26,257 करोड़ (16.61 प्रतिशत) कम था।

2017–18 से 2018–19 में राजस्व व्यय में ₹ 22,273 करोड़ (21.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 11,843 करोड़ (8.66 प्रतिशत) कम था।

2017–18 से 2018–19 में पूँजीगत व्यय में ₹ 7,849 करोड़ (27.15 प्रतिशत) कमी हुई, और यह बजट प्राक्कलन से ₹ 11,359 करोड़ (35.04 प्रतिशत) कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी कि प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.2.4)

भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में सहायता अनुदान में ₹ 1,068.51 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'अन्य स्थानान्तरण/राज्यों/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान' के तहत कम प्राप्तियों के कारण हुई।

(कंडिका 1.3.2.4)

प्रतिबद्ध व्यय

सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में राजस्व शीर्ष के अंतर्गत मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 19,968.39 करोड़), पेंशन (₹ 16,027.75 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 10,071.14 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,323.97 करोड़) शामिल है। कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 54,391.25 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 77,531.83 करोड़) का 70.15 प्रतिशत है।

(कंडिका 1.4.3)

नई पेंशन योजना (एन० पी० एस०)

वर्ष 2018–19 के दौरान, ₹ 1,141.28 करोड़ रुपये मुख्य शीर्ष 8342 और ₹ 0.02 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011 के तहत जमा किया गया। इसमें ₹ 10.26 करोड़ की देय राशि के मुकाबले एन०एस०डी०एल०/द्रस्टी बैंक को हस्तांतरित नहीं किये गए एवं उपलब्ध शेष राशि पर सरकार द्वारा जमा किए गए ब्याज के रूप में ₹ 6.52 करोड़ शामिल थे। राज्य सरकार ने एन०एस०डी०एल०/द्रस्टी बैंक को केवल ₹ 1,081.26 करोड़ जमा किए और वर्ष 2018–19 के दौरान एन०एस०डी०एल० के खाते में एन० पी० एस० के तहत एकत्र ₹ 60.04 करोड़ जमा करने में विफल रही। 31 मार्च 2019 तक एन०एस०डी०एल०/द्रस्टी बैंक में जमा नहीं की गई कुल राशि ₹ 188.32 करोड़ (शीर्ष 8011 के तहत ₹ 41.11 करोड़ और शीर्ष 8342 के तहत ₹ 147.21 करोड़) थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से पूरी तरह से कटौती की जाए एवं यह पूरी तरह से सरकार के योगदान से मेल खाए और समय पर पूरी तरह से एन०एस०डी०एल० को हस्तांतरित कर दिया जाए।

(कंडिका 1.4.3.1)

लोक व्यय की पर्याप्तता

विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय, कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र के व्यय का अंश पाँच साल की अवधि में 2018–19 में घट गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कंडिका 1.4.5.1)

अपूर्ण परियोजनाएँ

2011–12 से 2018–19 की अवधि के दौरान, कुल 68 परियोजनाएँ पूरी होने वाली थीं। चूँकि, ₹ 790.99 करोड़ की अनुमानित लागत वाली सभी 68 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, उनकी संबंधित लागत वित्त लेखा में प्रदर्शित नहीं की गई, इस प्रकार इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि परियोजनाओं में देरी के कारण होने वाले लागत को कम कर, ससमय पूरा किया जा सके। सभी

अपूर्ण परियोजनाओं के संबंधित अनुमानों को तैयार किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।

(कंडिका 1.5.2)

निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ

2018–19 के दौरान, राज्य सरकार को उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण ₹ 1,739.28 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को इकाईयों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए तथा जिन इकाईयों के लेखे बकाये हैं, उनमें कोई निवेश नहीं करना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(कंडिका 1.5.3)

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

विभिन्न इकाईयों पर ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों से बढ़ कर 31 मार्च 2019 को ₹ 9,038.12 करोड़ हो गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

(कंडिका 1.5.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छ: आरक्षित निधियाँ हैं। पिछले 18–19 वर्षों से तीन आरक्षित निधियों यथा, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि तथा सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि में कोई लेन–देन नहीं हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हुआ है।

(कंडिका 1.6.2)

निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की, जो कि केवल बाजार ऋण के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से, इसका उपयोग सरकार के लंबित देयताओं के परिशोधन के लिए किया जाना था, जबकि आरंभ से ही इसका उपयोग नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

(कंडिका 1.6.2.1)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस०डी०आर०एफ०)

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष मात्र ₹ छ: हजार था। वर्ष के दौरान, ₹ 1430.66 करोड़ (केंद्र: ₹ 1362.79 करोड़ और राज्य: ₹ 67.87 करोड़) की राशि प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,430.65 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2019 को अंत: शेष ₹ 78,850.00 रह गया।

(कंडिका 1.6.2.2)

प्रत्याभूति की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने ना तो प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की और ना ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया।

(कंडिका 1.6.3)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

2018–19 के दौरान, राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 97.19 प्रतिशत राशि का उपयोग वर्तमान दायित्वों की अदायगी में किया गया और यह राज्य के पूँजी निर्माण/विकासात्मक क्रियाओं में व्यय नहीं किया जा सका।

(कंडिका 1.7.2)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

डिस्कॉम के पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने गैर सांविधिक बॉन्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78 करोड़) का अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत जारी बॉन्ड पर राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में ₹ 191.36 करोड़ ब्याज की अदायगी की।

(कंडिका 1.7.4)

बचत

2018–19 में कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 2,09,489.83 करोड़) के विरुद्ध ₹ 49,172.17 करोड़ (24 प्रतिशत) का बचत हुआ। वर्ष 2018–19 के दौरान, 09 अनुदानों में, ₹ 1,000 करोड़ और अधिक के उल्लेखनीय बचत कुल ₹ 36,304.81 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 1,01,070.11 करोड़ का 35.92 प्रतिशत) हुआ था। कुल अनुदान/विनियोग के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक) 29 अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹ 42,302.53 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान, 25 अनुदानों से संबंधित 27 मामलों में, कुल ₹ 29,000.34 करोड़ और अधिक का सतत बचत हुआ था। 43 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 18,273.32 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए। वित्त विभाग को सतत बचत के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए तथा ऐसी स्थिति से बचने के लिये आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(कंडिका 2.2, 2.3.1, 2.3.2 एवं 2.3.3)

निधियों का अभ्यर्पण

वर्ष के दौरान, ₹ 49,172.17 करोड़ के कुल बचत में से केवल 94.26 प्रतिशत (₹ 46,349.77 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 2,822.40 करोड़ के बचत (कुल बचत का 5.74 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। आगे, ₹ 27,527.23 करोड़ (कुल अभ्यर्पण का 59.39 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2019 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की कोई गुंजाई नहीं

रही। 38 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 232 विस्तृत लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (₹ 4,686.68 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखा जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर दिया जाए।

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.5)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018–19 में, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 7,079.61 करोड़ कर दिया। इसकी तुलना में, भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ है। वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,353.49 करोड़ की राशि के 109 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 386.85 करोड़ (8.89 प्रतिशत) के 34 आहरण गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि की प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए ही किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है।

(कंडिका 2.4)

असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 22,447.47 करोड़ (39 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ और ₹ 1,27,896.89 करोड़ (88 प्रतिशत) के व्यय क्रमशः प्राप्तियों के 31 एवं व्यय के 80 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार की पुस्तिकाओं के साथ नहीं किया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक क्रियाविधि विकसित कर इसे नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान करें।

(कंडिका 2.6)

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

मार्च 2019 तक मौजूदा 175 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 4,377.12 करोड़ शेष था। इन 175 पी0डी0 खातों में से 95 खाते 47 कोषागारों में विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे, इनमें से 90 में शेष शून्य और पाँच खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय-समय पर समाशोधन नहीं होने और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

(कंडिका 3.1.1 और 3.1.2)

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (भ0अ0नि0श0) कल्याण उपकर

भ0अ0नि0श0 कल्याण बोर्ड के 2015–16 तक के लेखाओं का ही अंतिमीकरण किया गया है। बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर 15 कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही थी, लेकिन व्यय केवल सात योजनाओं

पर किया गया जिससे 2,58,173 श्रमिकों (राज्य में 13,87,686 पंजीकृत श्रमिकों का 18.60 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

अनुशंसा: बिहार भ0अ0नि0श0 कल्याण बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ससमय लेखा तैयार हो तथा प्रासंगिक अभिलेख का संघारण हो ताकि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार तथा उनके लिये लागू योजनाओं के अधीन उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिदेश को पूरा किया जा सके।

(कंडिका 3.2.1)

लेखाओं में अपारदर्शिता

सर्वव्यापी लघु शीर्षों ‘800—अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत क्रमशः ₹ 1,460.41 करोड़ का राजस्व एवं ₹ 120.65 करोड़ का व्यय, वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता के अभाव को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: महालेखाकार (ले0 एंवं हक0) के परामर्श से वित्त विभाग सभी मदों की व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियाँ और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।

(कंडिका 3.3)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं का अंतिमीकरण

34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 /निगमों (136 लेखाएँ) और 39 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 /निगमों (1,084 लेखाएँ) का बकाया क्रमशः एक से 16 साल एवं एक से 42 साल तक का है जो कि कम्पनी अधिनियम/निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने 30 सा0क्षे0उ0 को ₹ 30,481.18 करोड़ की बजटीय सहायता (इकिवटी, ऋण, अनुदान, सक्षिप्ती और स्वीकृत देयता) उस अवधि में दिया, जिनमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक बकाया थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को उन सभी सा0क्षे0उ0 के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाये लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।

(कंडिका 3.5.1, 3.5.2 एवं 3.5.3)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुतीकरण

33 विभागों से सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 55,405.09 करोड़ (2,453 यू0सी0) के उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2019 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग निर्धारित समय सीमा में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित करें तथा उस अवधि तक दोषी अनुदानग्राहियों को आगे अनुदान जारी न करे।

(कंडिका 3.6)

लंबित सार आकस्मिक विपत्र

15,495 सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र पर आहरित ₹ 5,770.55 करोड़ तक विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मार्च 2019 तक लंबित थे। इनमें शामिल 1,140 ए0सी0 विपत्रों पर ₹ 296.97 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल आहरित ए0सी0 विपत्रों का 47.03 प्रतिशत)

राशि का आहरण केवल मार्च 2019 में किया गया। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया है, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि के संभावना को बढ़ावा देता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के परे लंबित ए०सी० विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए०सी० विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किया जा सकता है जो ए०सी० विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।

(कंडिका 3.7)

निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में दर्शाए गए सा०क्षे०उ० से संबंधित, राज्य सरकार के निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों के आंकड़े तथा सा०क्षे०उ० द्वारा प्रदत्त आँकड़ों में अंतर था। वर्ष 2018–19 के दौरान निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में यह अंतर क्रमशः ₹ 8,781.32 करोड़, ₹ 3,410.45 करोड़ एवं ₹ 5,252.45 करोड़ था।

अनुशंसा: राज्य सरकार के विभिन्न सा०क्षे०उ० संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों से संबंधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लै० एवं हक०) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

(कंडिका 3.8)

राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर गलत लेखांकन का प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 में प्रत्येक को ₹ 600.75 करोड़ का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

(कंडिका 3.11)

असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित ₹ 209.98 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की राशि मार्च 2019 तक समायोजन हेतु लंबित था जो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापसी के योग्य थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदाय की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।

(कंडिका 3.12)

राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ का विभाजन (नवम्बर 2000 से) अब तक किया जाना है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।

(कंडिका 3.13)

अध्याय-I

राज्य सरकार का वित्त

1. यह अध्याय पिछले वर्ष के वित्त लेखे के लेखापरीक्षा के तुलना में बिहार सरकार के मुख्य राजकोषीय संग्रह में परिवर्तन का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2019 को वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार के वित्त का व्यापक भाव उपलब्ध कराता है।

राज्य की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)

जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 एक निश्चित समय में देश और राज्य के भीतर अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है और देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) की चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद और बिहार का जी0एस0डी0पी0 का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
चालू मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,42,951	3,71,602	4,22,316	4,84,740	5,57,490
चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.15	8.35	13.65	14.78	15.01
स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,79,482	2,96,488	3,23,004	3,56,768	3,94,350
स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	3.65	6.08	8.94	10.45	10.53

(स्रोत: जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2019 को जारी)

बिहार के जी0एस0डी0पी0 का भारत के जी0डी0पी0 में योगदान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2.75 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 2.93 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 में राज्य का प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 ₹ 47,541 था जबकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 ₹ 1,42,719 था।

सरकारी लेखे की संरचना **परिशिष्ट 1.2** के **भाग—क** में वर्णित है और वित्त लेखे की रूप रेखा **भाग—ख** में है।

1.1.1 राजकोषीय लेन—देन का सारांश

तालिका 1.2 एवं **1.3**, वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन—देन के सारांश को दर्शाता है। जबकि 2018–19 के दौरान, संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के साथ—साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2014-19 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
खण्ड-'क' राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794	12.22
कर राजस्व	20,750	25,449	23,742	23,137	29,408	27.10
करेतर राजस्व	1,558	2,186	2,403	3,507	4,131	17.79
संघीय कर/शुल्कों का अंश	36,963	48,923	58,881	65,083	73,603	13.09
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	19,146	19,565	20,559	25,720	24,652	(-) 4.15
खण्ड-'ख' पूँजीगत एवं अन्य						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,493	19	23	22	1,825	8195.45
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	0	0	0	0	0
लोक ऋण प्राप्तियाँ *	13,918	18,383	21,577	13,169	18,668	41.76
आकस्मिकता निधि	1,650	4,477	5,438	6,053	6,730	11.18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	40,251	49,106	61,730	57,107	68,259	19.53
आरंभिक नकद शेष	6,156	6,337	11,717	17,062	22,081	29.42
योग	1,41,885	1,74,445	2,06,070	2,10,860	2,49,357	18.26

* वर्ष के दौरान कोई अथर्वाय अग्रिमों की निकासी नहीं की गई।

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3: 2014-19 के दौरान व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
खण्ड-'क' राजस्व						
राजस्व व्यय	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	21.70
सामान्य सेवाएँ	26,408	27,972	30,607	33,374	38,691	15.93
सामाजिक सेवाएँ	31,713	35,943	40,737	45,770	58,284	27.34
आर्थिक सेवाएँ	14,445	19,697	23,417	23,476	27,918	18.92
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4	0
खण्ड-'ख' पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत व्यय	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058	(-) 27.15
ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	369	621	114	243	1,470	504.94
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,609	4,125	4,215	4,654	7,230	55.35
आकस्मिकता निधि	1,650	4,477	5,438	6,053	6,730	11.18
लोक लेखा संवितरण	39,200	45,923	57,268	46,298	67,135	45.01
अंतिम नकद शेष	6,337	11,717	17,062	22,081	20,837	(-) 5.63
योग	1,41,885	1,74,445	2,06,070	2,10,860	2,49,357	18.26

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ चालू मूल्यों के साथ-साथ स्थिर मूल्यों पर नीचे तालिका 1.4 में प्रस्तुत हैं:

तालिका 1.4: जी०एस०डी०पी०^१ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/ पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
चालू मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794
चालू मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.78	22.58	9.84	11.23	12.22
स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	63,754	76,898	80,599	86,358	93,471
स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.16	20.62	4.81	7.15	8.24
चालू मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	22.87	25.87	25.00	24.23	23.64
जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष राजस्व व्यय					
चालू मूल्यों पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897
चालू मूल्यों पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.15	15.22	13.33	8.29	21.70
स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	59,000	66,893	72,340	75,459	88,579
स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.43	13.38	8.14	4.31	17.39
चालू मूल्यों पर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	21.16	22.50	22.44	21.17	22.40
जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
चालू मूल्यों पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058
चालू मूल्यों पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	29.64	32.04	13.53	6.24	(-)27.15
स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	14,756	19,173	20,769	21,255	14,935
स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	24.37	29.93	8.32	2.34	(-)29.73
चालू मूल्यों पर पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	5.29	6.45	6.44	5.96	3.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मुद्रास्फीति के गणना (स्थिर मूल्य पर) के बाद, 2014–15 की तुलना में 2018–19 में, राजस्व व्यय की वृद्धि दर में बढ़ोतरी और राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय में कमी आई। 2017–18 की तुलना में, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि पूँजीगत व्यय के वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य का प्रदर्शन बजट में दिए गए प्रमुख परिवर्तनों के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय नीति में लक्षित वास्तविक के अनुसार तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: 2018–19 के दौरान राज्य का प्रदर्शन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बी०एफ०आर०बी०एम० के अन्तर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम०टी०एफ०पी०) के अनुसार लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविकी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	राजस्व अधिशेष 2007–08 में हुआ और तब से यह जारी है	₹ 21,311.74	₹ 6,896.65
चालू मूल्य पर राजकोषीय घाटा/ जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	3.50	3.00	2.17	2.48
चालू मूल्य पर जी०एस०डी०पी० की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	24.89	24.89	32.62	30.30

(स्रोत: राज्य सरकार से प्राप्त सूचना)

¹ जी०एस०डी०पी० डिप्लेटर = जी०एस०डी०पी० चालू मूल्य पर/जी०एस०डी०पी० स्थिर मूल्य पर।

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा गया कि राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के एम0टी0एफ0पी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्य, राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा के लिए हासिल किया है जबकि बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। आगे, राज्य ने 2018–19 के लिए बजट अनुमानों में अनुमानित बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य हासिल किया जबकि राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

यद्यपि, राज्य को राजस्व अधिशेष ₹ 6,896.65 करोड़ प्राप्त हो चुका है फिर भी यह ₹ 600.75 करोड़ से अधिक बतलाया गया है। उसी प्रकार, राजकोषीय घाटा (₹ 13,806.76 करोड़) भी ₹ 600.75 करोड़ से कम बतलाया गया है जो कि **कंडिका 3.11** में विस्तृत है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक राजस्व अधिशेष ₹ 6,295.90 करोड़ एवं राजकोषीय घाटा ₹ 14,407.51 करोड़ है।

1.2 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने –राजस्व, राजकोषीय एवं प्रांरभिक घाटा–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा, प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.2.1 राजकोषीय घाटे की संरचना और वित्त पोषण

राजकोषीय घाटा, राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) के अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य के कुल वित्त पोषण (मुख्य रूप से आर0बी0आई0 से अपने नकदी और निवेशित शेष की निकासी एवं उधारी द्वारा) का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषक का स्वरूप **तालिका 1.6** में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.6: राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण एवं घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटा ² (कोष्ठक में दिए गए आँकड़े जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत को दर्शाते हैं)	11,178.50 (3.26)	12,061.59 (3.26)	16,479.15 (3.87)	14,304.83 (2.93)	13,806.76 (2.48)
1 राजस्व अधिशेष	5,847.56	12,507.16	10,819.81	14,823.01	6,896.65
2 निवल पूँजीगत व्यय	18,150.41	23,966.02	27,208.40	28,906.95	21,058.25
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)1,124.35	602.73	90.56	220.90	(-)354.84
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप*					
1 बाजार उधारी	6,666.51	10,233.12	16,804.96	8,908.00	10,903.07
2 भारत सरकार से ऋण	84.67	115.86	757.51	586.11	1,603.45
3 एन0एस0एस0फ0 को जारी विशेष प्रतिभूति	3,150.22	2,024.86	(-)1,713.12	(-)1,768.75	(-)1,819.02
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	407.18	1,884.33	1,512.84	790.51	750.88
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 182.77	(-)73.58	99.63	(-)80.25	277.80
6 जमा एवं अग्रिम	2,222.57	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.52

² उदय पैकेज के व्यय में ₹ 1,554.52 करोड़ 2015–16 एवं ₹ 777.26 करोड़ 2016–17 शामिल है, ताकि वित्त लेखे में प्रदर्शित वित्तीय पद्धति के समरूप हो। उदय के दिशा निर्देशानुसार राज्य द्वारा लिया गया कर्ज राज्य के राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं होगा। राजकोषीय घाटा उदय रहित ₹ 10,507.07 करोड़ एवं ₹ 15,701.89 करोड़ क्रमशः 2015–16 एवं 2016–17 के लिए था।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
7 उचंत तथा विविध	(-) 1,231.88	(-) 5,245.97	(-) 5,666.65	(-) 3,813.95	1,793.23
8 प्रेषण	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-) 2.76	76.05
9 आरक्षित निधि	(-) 245.12	(-) 401.15	(-) 712.03	(-) 696.39	0.00
10 अंतर्राजीय समाशोधन	-	-	-	-	-
11 नकद शेष में कमी/वृद्धि#	319.10	(-) 213.62	9.66	68.00	(-) 110.22
12 राजकोषीय घाटा	11,178.50	12,061.59	16,479.15	14,304.83	13,806.76

* ये सभी ऑकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बहिंगमन के हैं।

नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)।

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)

1.2.2 घाटे की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटा पूर्व में लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर चालू वर्ष के वित्तीय परिचालन का प्रमाण है। राज्य का प्राथमिक घाटा तालिका 1.7 में दिखाया गया है।

तालिका 1.7: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ ³	प्राथमिक व्यय ⁴	राजकोषीय घाटा	ब्याज अदायगी	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2014-15	79,910	84,960	11,179	6,129	5,050
2015-16	96,142	1,01,105	12,061	7,098	4,963
2016-17	1,05,608	1,13,896	16,479	8,191	8,288
2017-18	1,17,469	1,22,720	14,305	9,054	5,251
2018-19	1,33,619	1,37,354	13,807	10,071	3,736

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)


वर्ष 2018-19 में, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, वर्ष 2017-18 के सापेक्ष क्रमशः तीन प्रतिशत और 29 प्रतिशत कम रहा, जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय में ₹ 7,848.70 करोड़ की कमी थी।

1.2.3 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.1 2014-15 से 2018-19 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1: घाटे के संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)

³ गैर ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ और प्राप्तियाँ का योग है।

⁴ प्राथमिक व्यय = (राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान) + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम।

तालिका 1.8: 2014–19 की अवधि में घाटे के संकेतकों में प्रवृत्ति

(आँकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व अधिशेष / जी०एस०डी०पी०	1.71	3.37	2.56	3.06	1.24
राजकोषीय घाटा / जी०एस०डी०पी०	3.26	3.25	3.90	2.95	2.48
प्राथमिक घाटा / जी०एस०डी०पी०	1.47	1.34	1.96	1.08	0.67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य के वित्त लेखे)


चार्ट 1.1 को देखने से पता चलता है कि 2018–19 में राजस्व अधिशेष ₹ 7,926 करोड़ कम हुआ जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 498 करोड़ कम हो गया। राजकोषीय घाटे का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 2.48 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित सीमा तथा चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा दोनों 2017–18 से घटोत्तरी प्रवृत्ति में हैं।

1.2.4 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी, बजट तैयार करने में या तो असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं या कम/अधिक राजस्व या व्यय के अनुमान के कारण होता है। इसका विपरीत प्रभाव वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर पड़ता है।

वर्ष 2018–19 के चयनित राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी चार्ट 1.2 एवं परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.2: चयनित राजकोषीय मानक: 2018–19 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी



(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2018–19)

उपर्युक्त चार्ट 2018–19 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक आँकड़ों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी समीक्षा नीचे दी गयी है:

- कर राजस्व में 5.14 प्रतिशत और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों में 46.91 प्रतिशत की कमी के कारण राजस्व प्राप्तियाँ बजट आकलन से 16.61 प्रतिशत कम था।
- सामान्य सेवाओं में 3.83 प्रतिशत (राजकोषीय सेवाएँ में 20.91 प्रतिशत और प्रशासनिक सेवाओं में 6.10 प्रतिशत की कमी) और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 12.91 प्रतिशत (एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण में 26.26 प्रतिशत और श्रम और श्रम कल्याण में 24.48 प्रतिशत) की कमी के कारण राजस्व व्यय बजट अनुमान से 8.66 प्रतिशत कम था।
- सामाजिक सेवाओं में 21.59 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं में 42.84 प्रतिशत (ग्रामीण विकास में 90.20 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध सेवाओं में 56.73 प्रतिशत) कम खर्च के कारण पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से 35.04 प्रतिशत कम था।
- राजस्व व्यय में 21.70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष बजट अनुमान से 67.64 प्रतिशत कम था।
- सहायता अनुदानों में 46.91 प्रतिशत से कमी होने के कारण राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से 23.23 प्रतिशत अधिक था।
- प्राथमिक घाटा बजट आकलन से 748.12 प्रतिशत ज्यादा था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।


1.3 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

वर्ष 2014–19 के दौरान कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटक, इन घटकों के विचलन की प्रवृत्ति और 2018–19 के दौरान संसाधनों के संघटक को क्रमशः चार्ट 1.3, 1.4 और 1.5 में क्रमशः प्रदर्शित किया गया है।


चार्ट 1.3: वर्ष 2018–19 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2018–19)


चार्ट 1.4: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5: वर्ष 2018-19 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

1.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण देता है। वर्ष 2014-19 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को परिशिष्ट 1.5 तथा चार्ट 1.6 में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2014-19 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014–19 के दौरान, राज्य का स्व राजस्व (कर एवं गैर कर) कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 23 प्रतिशत से 29 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियाँ का प्रमुख घटक केन्द्रीय कर स्थानांतरण था जो 47 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के बीच था।

1.3.2.1 राज्य के स्व—संसाधन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन, कर राजस्व और करेतर राजस्व के अनुसार किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान शामिल नहीं है जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं।

राज्य के स्व राजस्व (कर एवं गैर—कर राजस्व) वर्ष 2017–18 से 2018–19 में ₹ 26,643.23 करोड़ से बढ़ कर ₹ 33,538.70 करोड़ हो गया। राज्य के कर राजस्व और करेतर राजस्व एवं बजट अनुमानों की तुलना नीचे तालिका 1.9 में दी गई है:

तालिका 1.9: वर्ष 2018–19 के लिए प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी	भिन्नता (प्रतिशत में)
कर राजस्व	31,002.03	29,408.14	5.14
करेतर राजस्व	4,445.89	4,130.56	7.09

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे एवं बजट प्राक्कलन)

कर राजस्व

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान कर राजस्व के विवरण और 2017–18 के विरुद्ध 2018–19 के दौरान भिन्नता सहित तालिका 1.10 में दिखाए गए हैं:

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 से 2018-19 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,607	10,603	11,873	8,298	6,584	(-) 20.65
राज्य माल और सेवा कर	-	-	-	6,747	15,288	126.59
राज्य उत्पाद कर	3,217	3,142	30	(-) 3	(-)10	(-)233.33
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,699	3,409	2,982	3,726	4,189	12.43
वाहन कर	964	1,081	1,257	1,599	2,086	30.46
भू—राजस्व	277	695	971	779	477	(-) 38.77
माल एवं यात्रियों पर कर	4,451	6,087	6,245	1,645	399	(-) 75.74
अन्य कर ⁵	535	432	384	346	395	14.16
योग	20,750	25,449	23,742	23,137	29,408	27.10

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और माल एवं यात्री कर में कमी जुलाई 2017 से लागू वस्तु और सेवा कर (जी0एस0टी0) के कार्यान्वयन के कारण हुई।

⁵ अन्य करों में शामिल हैं – निगम कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, धन पर कर, विद्युत पर कर और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर।

करेतर राजस्व

करेतर राजस्व में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और आपूर्ति के लिए प्राप्तियाँ और ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्ष 2018–19 में करेतर राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों का 3.13 प्रतिशत है। 2014–19 के दौरान करेतर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिया गया है:

तालिका 1.11: करेतर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेतर राजस्व	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2017–18 से 2018–19 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
ब्याज प्राप्तियाँ	344.77	583.66	939.91	1,577.24	1,371.94	(-) 13.02
गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	879.87	971.34	997.60	1,082.67	1,560.65	44.15
अन्य करेतर प्राप्तियाँ ^६	333.34	630.64	465.61	846.83	1,197.97	41.47
योग	1,557.98	2,185.64	2,403.12	3,506.74	4,130.56	17.79

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

वर्ष 2018–19 में खनन प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण जुर्माना अधिरोपण एवं चूना पत्थर से प्राप्तियाँ विविध जमा शीर्ष के बदले खनन शीर्ष में कार्य प्रमण्डल द्वारा रॉयलटी का जमा एवं रेत के बंदोबस्त मूल्य में वृद्धि था।

1.3.2.2 वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०)

राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कार्यान्वित किया है जो 1 जूलाई 2017 से प्रभाव में है। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों का क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए जी०एस०टी० के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करेगा। राज्य को देय क्षतिपूरक की गणना अंतिम राजस्व के आँकड़े की प्राप्ति के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाएगा जिसका लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जी०एस०टी० के तहत लगाए गए करों का एक आधार वर्ष (2015–16) का राजस्व आँकड़ा जी०एस०टी० अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया है। बिहार के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) में राजस्व ₹ 12,620.56 करोड़ था। किसी राज्य का, किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़े के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित राजस्व ₹18,697.92 करोड़ था। वर्ष 2018–19 के लिए जी०एस०टी० के तहत राजस्व का आँकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त खातों में दर्शाया गया है, यानी राज्य वस्तु व सेवा कर (एस०जी०एस०टी०), एस०जी०एस०टी० और आई०जी०एस०टी० (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोगिता, एस०जी०एस०टी० के कर घटक का आई०जी०एस०टी०–ट्रांसफर–इन और आई०जी०एस०टी० से अग्रिम बटवारा। ₹18,697.92 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध, जी०एस०टी० के कारण राज्य की कुल प्राप्ति ₹ 14,644.54 करोड़ थी। केन्द्र सरकार से ₹ 2,571.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के बाद, वर्ष 2018–19 के लिए जी०एस०टी० के कार्यान्वयन पर घाटा ₹ 1,482.38 करोड़ था। 2017–18 में आई०जी०एस०टी० की अग्रिम बटवारे के रूप में बिहार सरकार को

^६ अन्य करेतर प्राप्ति में शामिल—पुलिस लोक कार्य, कृषि कर्म, सड़क एवं पुल, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्राप्ति आदि।

₹ 552.00 करोड़ मिले जो कि वित्त वर्ष 2018–19 में 10 समान किश्तों में काटे जाने थे। हालाँकि दो किस्तों में केवल ₹ 110.40 करोड़ की कटौती की गई है और बकाया शेष राशि असमायोजित है।

जी0एस0टी0 के संग्रह के स्वचालन के कारण, यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा के दौरान सभी लेन-देन की सामान्य जाँच न कर व्यापक जाँच करके खातों को प्रमाणित करने के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करना है। अभी तक लेखापरीक्षा को जी0एस0टी0 डेटा तक आवश्यक पहुँच प्रदान नहीं की गई है। जी0एस0टी0 लेन-देन से संबंधित डेटा तक पहुँच नहीं होने के कारण जी0एस0टी0 प्राप्तियों के व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। चूंकि अभिलेखों का संधारण मैन्यूअल रूप से किया गया इसलिए अपवाद स्वरूप एक बार वर्ष 2018-19 के लेखे का सत्यापन नमना जाँच के आधार पर किया गया ॥

1.3.2.3 संग्रहण पर लागत

वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं उस पर हुए लागतों का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: राजस्व प्राप्तियों का संग्रहण एवं व्यय

क्रम सं०	विवरण	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अंशिल भारतीय औसत
		(₹करोड़ में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एस.जी.एस.टी.	15,288.06	113.87	0.74	0.69
2	बिक्री / व्यापार आदि पर कर	6,584.24	(-) 0.07	0.00	
3	राज्य उत्पाद	(-) 9.63	97.54	1,012.88	1.83
4	वाहन कर	2,085.94	55.89	2.68	2.61
5	मुद्रांक एवं निर्बंधन शुल्क	4,188.61	64.55	1.54	2.96

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के वित्त लेख)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, राज्य उत्पाद कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत पूर्ववर्ती वर्ष के अनुसार भारतीय औसत से अधिक था। यह मुख्य रूप से अप्रैल 2016 से राज्य में मद्य निषेध लागू होने के कारण हआ।

तालिका 1.13: संग्रहण पर लागत

(प्रतिशत में आंकड़े)

वर्ष	वैट / बिक्री कर		वाहन कर		मुद्रांक एवं निवंधन शुल्क		राज्य उत्पाद	
	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत
2014-15	1.11	0.91	3.97	6.08	1.40	3.59	1.53	2.09
2015-16	0.53	0.66	3.68	4.99	1.62	2.87	1.58	3.21
2016-17	0.64	0.69	3.67	2.61	1.60	2.99	310.05	2.01
2017-18	0.87	0.69	3.85	2.61	1.45	2.96	2,403.50	1.83
2018-19	0.00		2.68		1.54		1,012.88	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के संग्रह की लागत में 2018-19 में 2017-18 की अपेक्षा वृद्धि हुई जो कि कोर्ट फीस से कम प्राप्तियों और केन्द्रीय स्टांप डिपो, नासिक से प्राप्त टिकटों की लागत में वृद्धि के कारण हुई। पुनः वाहनों पर करों के संग्रह की लागत राजस्व व्यय में कमी एवं राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के कारण घटकर 2.68 प्रतिशत हो गया।

1.3.2.4 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार को, सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश प्राप्त होता है। भारत सरकार के अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दिया गया है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजना अनुदान	3271.21	3,434.43	4,505.51	(-) 5.00	0.00
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	14,935.68	13,886.33	13,952.92	(-) 2.20	(-) 2.82
केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना मदों के लिए अनुदान	117.49	2,083.98	1,422.91	(-) 1.00	0.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	821.88	160.86	677.68	13,312.26	16,322.72
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	4,525.06	4,775.20
अन्य स्थानान्तरण/राज्य के लिए अनुदान/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों	-	-	-	7,891.01	3,556.52
कुल	19,146.26	19,565.60	20,559.02	25,720.13	24,651.62
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	52.15	2.19	5.08	25.10	(-) 4.15
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	24.42	20.35	19.47	21.90	18.70

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में सहायता अनुदान में ₹ 1,068.51 करोड़ की कमी हुई जो मुख्य रूप से राज्यों/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी। जैसे कि वर्ष 2017–18 में, राशि मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सुखा एवं कम वर्षा प्रभावित क्षेत्र हेतु विशेष सहायता के तहत डीजल सब्सिडी योजना के लिए मिली थी।

1.3.2.5 बकाया राजस्व

बकाये राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.15 में है:

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2019 को कुल बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि
1.	वाहन कर	परिवहन	179.30	लागू नहीं है।
2.	राज्य उत्पाद	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध	46.54	28.38
3.	वैट/बिक्री व्यापार/जीएसटी	वाणिज्य कर	3,351.16	2,185.91
योग			3,577.00	2,214.29

(स्रोत: संबंधित विभाग)

अन्य विभागों के अधीन बकाये राजस्व का आँकड़ा अप्राप्त है। (फरवरी 2020)। वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वैट/बिक्री व्यापार/जी.एस.टी. के बकाये में ₹ 405.91 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि वाहन कर एवं राज्य उत्पाद के बकाये में क्रमशः पाँच एवं छः प्रतिशत की कमी हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके जिससे कि राज्य के राजकोषीय घाटे के भार को कम किया जा सके।

1.3.3 पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2014–19 के दौरान पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.16** में दी गई है।

तालिका 1.16: पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	15,411	18,402	21,600	13,191	20,493
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,493	19	23	22	1,825
लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,918	18,383	21,577	13,169	18,668
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	40	32	17	(-)39	42
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55	19	17	(-)39	55

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत भाग में वृद्धि (₹ 1,803 करोड़) मुख्यतः ऋण एवं अग्रिमों की वसूली 2017–18 के ₹ 22 करोड़ से 2018–19 में ₹ 1,825 करोड़ होने के कारण हुई।

पुनर्भुगतान का मुख्य भाग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी०एस०आर०टी०सी०), बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०) एवं बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड बी०एस०सी०बी०एल० द्वारा किया गया जिसमें क्रमशः ₹ 874.81 करोड़, ₹ 257.03 करोड़ एवं ₹ 290.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया। यद्यपि ये ऋण सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान जिसके प्रदत्त बजटीय सहयोग यथा सब्सिडी ₹ 874.81 करोड़ एवं ₹ 5,120 करोड़ क्रमशः बी०एस०आर०टी०सी० एवं बी०एस०पी०एच०सी०एल० को एवं ₹ 800.00 करोड़ ऋण के रूप में बी०एस०सी०बी०एल० को देने के उपरान्त पुनर्भुगतान किया गया।

1.3.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.17** में दिया गया है।

तालिका 1.17: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार उधारी	8,100	11,500	17,700	10,000	14,300
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,154	1,204	1,588	1,771	1,834
अन्य ⁷	3,946	4,861	777	0	0

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेश से प्राप्त ब्याज की तुलना में उच्च दर पर उधार के प्रभाव का वर्णन **कांडिका 1.5.3** में की गई है।

1.3.3.2 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य योजना, केंद्र योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना आदि के लिए प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण **तालिका 1.18** में दी गई है।

तालिका 1.18: भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	718	818	1,512	1,398	2,534

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁷ बॉण्ड्स, आरबीआई से अर्थोपाय एवं अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिमों में ₹ 1,136 करोड़ की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान प्राप्त राशि शीर्ष "राज्य के लिए अन्य ऋण" के अंतर्गत था। ऋण का ब्याज दर 6 प्रतिशत से कम तथा 14.99 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन-देन जो कि समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधि आदि, की प्राप्तियों एवं संवितरण को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अधीन लोक लेखों में रखा जाता हैं तथा इसके लिए राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान आवश्यक नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर/ट्रस्टी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरणी 21 में दर्शाई गई है और लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,050.64	3,183.04	4,462.44	10,808.32	1,124.14
(अ) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 182.77	(-) 73.58	99.63	(-) 80.25	277.79
(ब) आरक्षित निधि	730.13	90.69	(-) 129.15	(-) 2.79	783.89
(स) जमा एवं अग्रिम	2,222.58	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.51
(द) उचंत एवं विविध	(-) 1,707.32	(-) 571.81	(-) 894.39	579.80	(-) 345.12
(ड) प्रेषण	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-) 2.76	76.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.6.2 में की गई है।


1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

वर्ष 2014-19 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को चार्ट 1.7 एवं तालिका 1.20 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय-प्रवृत्ति एवं संघटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.20: कुल व्यय – गतिविधियों द्वारा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सेक्टर्स	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएँ	28,157 (30.91)	31,589 (29.19)	32,697 (26.78)	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)
सामाजिक सेवाएँ	33,386 (36.65)	38,684 (35.75)	44,329 (36.31)	50,028 (37.97)	62,346 (42.29)
आर्थिक सेवाएँ	29,173 (32.03)	37,305 (34.48)	44,943 (36.81)	45,360 (34.42)	41,603 (28.22)
ऋण और अग्रिम	369 (0.40)	621 (0.57)	114 (0.09)	243 (0.18)	1,470 (1.00)
सहायता अनुदान	4	4	4	4	4
कुल व्यय	91,089	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425

कोष्ठक में आंकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान कुल व्यय के गतिविधि–वार घटकों के बीच मामूली बदलाव देखा गया।

1.4.2 राजस्व व्यय

योजना⁸ (योजना) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध (गैर–योजना) राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: योजना और स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल राजस्व व्यय	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	47,059	53,965	61,189	66,673	77,532
योजना राजस्व व्यय	25,511	29,651	33,576	35,951	47,365
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.48	14.68	13.39	8.96	16.29
योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	33.59	16.23	13.24	7.07	31.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.3 प्रतिबद्ध व्यय

कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 54,391.25 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 77,531.83 करोड़) का 70.15 प्रतिशत है। 2014–19 के दौरान किए गए प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति तालिका 1.22 को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.22: प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	14,607.44 (18.63)	14,923.73 (15.52)	15,784.04 (14.95)	17,778.74 (15.14)	21,272.03	19,968.39 (15.15)
1(अ)	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	13,910.31	14,307.22	15,106.13	16,948.39	20,232.37	18,963.75
1(ब)	योजना	697.13	616.51	677.91	830.35	1,039.66	1004.64

⁸ योजना में राज्य योजनाएं, राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं शामिल हैं।

क्रम सं०	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
2	ब्याज मुगतान	6,128.75 (7.82)	7,097.69 (7.38)	8,190.70 (7.76)	9053.78 (7.71)	10,763.49	10,071.14 (7.64)
3	पेंशन पर व्यय	11,344.50 (14.47)	11,830.46 (12.31)	12,514.52 (11.85)	14,293.48 (12.17)	15,872.14	16,027.75 (12.16)
4	सब्सिडी	4,628.36 (5.90)	9,010.45 (9.37)	8,757.44 (8.29)	5023.06 (4.27)	5,455.48	8,323.97 (6.32)
5	कुल प्रतिबद्ध व्यय	36,709.05 (46.81)	42,862.33 (44.59)	45,246.70 (42.85)	46,149.06 (39.29)	53,363.14	54,391.25 (41.27)

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

1.4.3.1 नई पेंशन योजना

1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में परिभाषित है। इस योजना में, कर्मचारी मूल वेतन और महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और पूरी राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरण कर दिया जाता है। केंद्रीयकृत रिकॉर्ड कीपिंग एवं एकाउंटिंग एजेंसी और पेंशन फंड मैनेजर की नियमित व्यवस्था होने तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रिकार्ड एवं लेखा का संधारण बिहार सरकार द्वारा किया गया (31 मार्च 2010 तक)। एन०एस०डी०एल०-सी०आर०ए० द्वारा 1 अप्रैल 2010 से बिहार सरकार के कर्मचारियों के एन०पी०एस० से संबंधित खाते का प्रबंधन किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 1,141.28 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342⁹ और ₹ 0.02 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011¹⁰ के तहत जमा किया गया था। इसमें ₹10.26 करोड़ की देय राशि के मुकाबले एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक को अहस्तांतरित उपलब्ध शेष पर सरकार द्वारा जमा किए गए ब्याज के रूप में ₹ 6.52 करोड़ शामिल थे। राज्य सरकार ने एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक को केवल ₹ 1,081.26 करोड़ जमा किए और वर्ष 2018-19 के दौरान एन०पी०एस० के खाते में एकत्र ₹ 60.04 करोड़ जमा करने में विफल रही। एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक को 31 मार्च 2019 तक जमा नहीं की गई कुल राशि ₹ 188.32¹¹ करोड़ (₹ मुख्य शीर्ष 8011 के तहत ₹ 41.11 करोड़ और मुख्य शीर्ष 8342 के तहत ₹ 147.21 करोड़) थी। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं को आने वाले वर्षों के लिए स्थगित किया गया इसके अलावे राज्य सरकार एन०एस०डी०एल० को राशि स्थानांतरित न करके ब्याज देयता बना लिया है। साथ-ही-साथ कर्मचारी के निधि का अनुचित उपयोग किया गया। यह अनुमानतः कर्मचारी के निधि का पुनर्भुगतान के प्रतिफल को अनिश्चित एवं सरकार के वित्तीय देयता को परिहार्य करता है एवं अंततः योजना को व्यर्थ प्रतीत कराता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से पूरी तरह से कटौती की जाए जो पूरी तरह से सरकार के योगदान से मेल खाए और समय पर पूरी तरह से एन०एस०डी०एल० को हस्तांतरित कर दिया जाए।

⁹ अन्य जमा

¹⁰ बीमा एवं पेंशन निधि

¹¹ गत वर्ष के ₹ 128.28 करोड़ सम्मिलित

1.4.3.2 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा **तालिका 1.23** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पंचायती राज संस्थान	2,425.69	3,178.20	2,659.04	7,572.94	7,517.61
शहरी स्थानीय निकाय	626.45	1,826.28	3,135.50	1,794.52	2,892.56
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	232.87	72.49	25.92	109.00	193.46
स्वायत्त निकाय	19,066.20	21,343.38	30,348.88	33,868.65	41,160.66
अन्य	8.08	5.86	40.00	13.62	0.00
कुल	22,359.29	26,426.21	36,209.34	43,358.73	51,764.29
राजस्व व्यय	72,569.98	83,615.94	94,765.18	1,02,623.73	1,24,896.80
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	30.81	31.60	38.21	42.25	41.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.4 पूँजीगत व्यय

योजना और स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण **तालिका 1.24** में दिया गया है।

तालिका 1.24: योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल व्यय	91,089	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425
पूँजीगत व्यय	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय	58	36	16	41	59
योजना पूँजीगत व्यय	18,092	23,930	27,192	28,866	20,999
ऋण एवं अग्रिम	369	621	114	243	1,470
पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	29.63	32.04	13.53	6.24	(-)27.15
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 40.21	(-) 37.93	(-) 55.56	156.25	43.90
योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	30.12	32.27	13.63	6.16	(-)27.25
चालू मूल्य पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय (प्रतिशत में)	5.29	6.45	6.44	5.96	3.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल पूँजीगत व्यय ₹ 21,058 करोड़ में से राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सहकारी समितियों में ₹ 5,289.70 करोड़ का निवेश किया, जिनमें से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड की परियोजनाओं में ₹ 5,035.36 करोड़ का निवेश किया गया था। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सड़कों और पुलों पर ₹ 5,263 करोड़, जलापूर्ति और स्वच्छता पर ₹ 1,485 करोड़, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर ₹ 1,056 करोड़ का व्यय किया था।

पूँजीगत व्यय वर्ष 2017–18 से ₹ 28,907.00 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 21,058 करोड़ मुख्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ₹ 5,427.26¹² करोड़ पावर योजना में ₹ 1,895.74¹³ करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा में ₹ 462.48 करोड़ की पूँजीगत व्यय में कमी के कारण हो गया।

1.4.5 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान) एवं व्यय उपयोग की दक्षता शामिल है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय जबकि सामान्य सेवा पर व्यय गैर-विकासात्मक व्यय माना जाता है।

1.4.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2018–19 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 1.25** में किया गया है:

तालिका 1.25: वर्ष 2014–15 और 2018–19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (जी०एस०डी०पी० का प्रतिशत)	ए.इ./ जी.एस. डी.पी.	डी. ई#/ ए.इ.	झ.एस. ई./ए. ई.	एस.एस. ई./ ए.इ.	सी.ई./ ए.इ.	शिक्षा/ ए.इ.	स्वास्थ/ ए.इ.
सामान्य श्रेणी के राज्यों ¹⁴ का औसत 2014–15	15.99	68.51	32.36	36.15	14.02	16.54	4.92
बिहार का औसत 2014–15	26.56	69.07	32.42	36.65	19.93	18.15	3.96
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 2018–19	16.05	67.04	30.45	36.59	14.28	14.99	5.07
बिहार का औसत 2018–19	26.44	71.49	28.87	42.62	14.28	19.38	4.96
ए.इ.– सकल व्यय, डी.इ.–विकासात्मक व्यय, एस.एस.ई.–सामाजिक क्षेत्र व्यय, झ.एस.ई.– आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.–पूँजीगत व्यय							
"डी.इ.: विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।							

(आवेदन: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018–19 के दौरान, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कुल व्यय से विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और शिक्षा सेवाओं के व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र के व्यय की अंश पांच साल से अधिक की अवधि में 2018–19 में घट गई, जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.4.6 व्यय की दक्षता

सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के संचालन हेतु पूँजीगत और राजस्व व्ययों का विवरण नीचे तालिका 1.26 में दर्शाया गया है:

12 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना ₹ 2,142.74 करोड़, ग्रामीण कॉलोनी सम्पर्क ₹ 729.64 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क पथ योजना ₹ 766.00 करोड़ शामिल है।

13 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ₹ 1,224.54 करोड़ एवं बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड ₹ 176.97 करोड़ शामिल।

14 सामान्य श्रेणी के राज्य उन 11 राज्यों के अलावा अन्य राज्य हैं जिन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास कम संसाधन आधार हैं और वे अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता
(प्रतिशत में)

सामाजिक / आर्थिक संरचना	2017-18		2018-19	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू ¹⁵ का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश
सामाजिक सेवाओं के प्रमुख घटक (एसएस)				
सामान्य शिक्षा	4.99	22.00	1.56	18.58
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.14	46.86	15.66	49.12
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	25.40	4.55	10.98	1.92
कुल (सामाजिक सेवाएँ)	9.74	22.00	6.58	17.65
आर्थिक सेवाओं के प्रमुख घटक (ईएस)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.18	16.27	2.80	20.74
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.20	51.20	60.08	50.84
विद्युत एवं ऊर्जा	61.69	0.00	42.11	0.00
परिवहन	79.40	19.05	65.36	10.18
कुल (आर्थिक सेवाएँ)	58.83	14.32	45.86	11.76
कुल (सामाजिक सेवाएँ+ आर्थिक सेवाएँ)	29.59	20.18	20.39	16.24

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.5 सरकारी व्यय एवं निवेश

1.5.1 सिंचाई कार्यों का वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय से) के वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए इन परियोजनाओं से वसूली की दर निर्धारित की थी। वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.27 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.27: सिंचाई परियोजनाओं से लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली का आकलन 13वें वित्त आयोग (2010–15) / 14वें वित्त आयोग (2015–20)	राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय	लागत वसूली में अंतर
					(प्रतिशत में)
2014-15	680.96	21.34	75	3	72
2015-16	846.14	31.11	35	4	31
2016-17	680.98	28.23	35	4	31
2017-18	792.06	44.70	35	6	29
2018-19	930.08	64.17	35	7	28

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 13वें और 14वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

वर्ष 2017–18 के संबंध में लागत वसूली (28 प्रतिशत) का अंतर कम हुआ है।

1.5.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि अवरुद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वित्त लेखे में शामिल अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण सारांशीकृत रूप में तालिका 1.28 में दी गई है:

¹⁵ वेतन एवं मजदूरी

तालिका 1.28: 31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2019 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	6	98.56	27.38
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	16	197.24	87.16
पथ निर्माण	21	309.65	121.62
भवन निर्माण	13	164.70	66.16
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	5	8.63	5.33
ग्रामीण कार्य	7	12.21	7.46
कुल	68	790.99	315.11

(चोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

उपरोक्त 68 परियोजनाएं 2011–12 से 2018–19 की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाली थीं। वित्त लेखे खंड II के परिशिष्ट IX में विवरण प्रस्तुत किया गया है। चूंकि ₹ 790.99 करोड़ की अनुमानित लागत वाली सभी 68 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं की गई जिस कारण यह अज्ञात रहा।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि परियोजनाओं को समय पूरा किया जा सके। सभी अपूर्ण परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को तैयार किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।

1.5.3 निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष 2014–19 के दौरान निवेश¹⁶ पर प्रतिलाभ की स्थिति तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	7,068.79	9,940.24	15,916.47	23,037.29	28,327.00
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	2.58	14.84	3.73	1.34	11.34
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.04	0.15	0.02	0.01	0.04
सरकारी उधारी पर ब्याज ¹⁷ की औसत दर (प्रतिशत)	6.59	6.58	6.42	6.13	6.18
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर (प्रतिशत)	6.15	5.94	5.88	5.82	6.14
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर के कारण कात्पनिक हानि (₹ करोड़ में)	434.73	590.45	935.89	1,340.77	1,739.28

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण वर्ष 2018–19 में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 1,739.28 करोड़ की कात्पनिक हानि हुई।

¹⁶ स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों एवं बैंकों में।¹⁷ औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान *100 / (पिछले वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व + चालू वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व/2)।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निवेश पर खराब प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने नियमित रूप से इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इकिवटी, ऋण, सहायता अनुदान, सब्सिडी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्रदान किया है, तथा ऐसी कंपनियों को भी बजटीय समर्थन दिया गया जिन्होने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2018–19 के दौरान 12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी संस्थानों को इकिवटी के रूप म 5,289.70 करोड़ का बजटीय सहायता प्रदान किया था जिसका विवरणी तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संस्था का नाम	वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि	टिप्पणियाँ
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	5.00	2017-18 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
2.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	13.84	2000-01 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
3.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	2014-15 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
4.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.00	2014-15 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
5.	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	9.50	उपलब्ध नहीं है।
6.	बिहार राज्य साख और विनिवेश निगम लिमिटेड	5.00	2014-15 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
7	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	5,035.36	2017-18 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
8	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	5.00	2008-09 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
9	बिहार राज्य अत्यसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	108.00	2012-13 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
10	अन्य सहकारी	5.10	उपलब्ध नहीं है।
11	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर	40.00	उपलब्ध नहीं है।
12	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.00	उपलब्ध नहीं है।
योग		5,289.70	

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेख)

वित्त लेखों के अनुसार, केवल तीन कंपनियों ने वर्ष के दौरान लाभांश का योगदान दिया है, अर्थात्, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़), बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (₹ 10.00 करोड़) और क्रेडिट को-ऑपरेटिव (₹ 0.29 करोड़)।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को संस्थाओं में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना है कि जिस संस्थाओं के खाते बकाया हो, उनमें कोई निवेश न किया जाय।

1.5.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। यह विस्तृत रूप से तालिका 1.31 में दिया हुआ है।

तालिका 1.31: लंबित ऋण एवं अग्रिम तथा बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष	21,379.35	20,255.00	20,857.73	20,948.29	21,169.17
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	368.71	621.23	113.87	242.78	1,470.56
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	1,493.06	18.50	23.31	21.89	1,825.40
ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष	20,255.00	20,857.73	20,948.29	21,169.18	20,814.33
बकाया ब्याज	3,017.55	5,478.14	6,652.60	7,823.47	9,038.12
बकाया ब्याज की प्रतिशत	14.90	26.26	31.76	36.96	43.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- (i) इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज वर्ष के दौरान बढ़ कर 31 मार्च 2019 को ₹ 9,038.12 करोड़ हो गया।

वर्ष 2018–19 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को ₹ 800 करोड़ की राशि कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए दिया गया फिर इसी निधि से ₹ 290 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। इसके अलावा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भी ₹ 874.81 करोड़ की राशि का वर्ष 2018–19 के दौरान पुनर्भुगतान किया।

सरकार द्वारा दी गई ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के भाग 1 में तथा इकाईयों, का विवरण जिनके ऋणों का पुनर्भुगतान बाकी है भाग 2 के विवरणी 18 में दर्शाया गया है।

- (ii) जैसा कि तालिका 1.32 में दर्शाया गया है, पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न इकाईयों द्वारा बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 1.32: ऋणी संस्थाओं जिनके पुनर्भुगतान बकाया हैं का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2019 को बकाया राशि*			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2019 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
हाउसिंग बॉर्डर्स	4.75	6.40	11.15	2001-02	127.47
सरकारी कंपनियाँ	3,273.63	3,273.51	6,547.14	2001-02	5,729.80
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगमें/ बैंक	735.57	632.37	1,367.94	2001-02	1,301.49
पंचायती राज संस्थायें	17.47	23.54	41.01	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,587.35	4,485.87	8,073.22	2001-02	12,502.01
अन्य	216.90	553.03	769.93	2001-02	615.00
योग	7,855.21	9,038.12	16,893.33		20,720.25

*वर्ष 2000–01 तक बकाया राशि ₹ 3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹ 1,522.50 करोड़ तथा ब्याज 1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

अनुशासन: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

1.5.5 रोकड़ शेष में अंतर

31 मार्च 2019 को महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा संगणित राज्य का रोकड़ शेष ₹ 157.12 करोड़ (नामे) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹ 109.73 करोड़ (जमा) थी। ₹ 47.39 करोड़ (नामे) का अंतर मुख्यतः लेन—देन की गलत जानकारी देने तथा एजेंसी बैंकों द्वारा असमाशोधन था। महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा बताया गया की अंतर समाशोधन के अधीन है।

1.5.6 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष 2018–19 के दौरान रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों के निवेशों का विवरण नीचे तालिका 1.33 में दिया हुआ है:

तालिका 1.33: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	31मार्च 2019 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
रिजर्व बैंक के पास जमा	46.90	157.12
रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश	17,395.63	14,791.80
कुल (अ)	17,442.53	14,948.92
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा वन विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	185.73	234.65
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	341.97	758.52
उद्धिष्ट निवियों का निवेश	4,111.33	4,895.22
कुल (ब)	4,639.03	5,888.39
कुल (अ+ब)	22,081.56	20,837.31

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

पिछले पाँच वर्षों के रोकड़ पूँजी के अंतशेष की स्थिति यह दर्शाता है कि मार्च 2015 के रोकड़ अंत शेष ₹ 6,337 से बढ़कर मार्च 2019 में ₹ 20,837 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 में, रोकड़ ₹ 1,244.25 करोड़ से घटकर आरंभिक रोकड़ शेष ₹ 22,081.56 करोड़ से ₹ 20,837.31 करोड़ हो गया। रोकड़ शेष निवेश ₹ 17,395.63 करोड़ से घटकर (₹ 2,603.83 करोड़) ₹ 14,791.80 करोड़ हो गया जो कि आंतरिक उधारी (₹ 1,14,360 करोड़) का 12.93 प्रतिशत है। अधिकांश रोकड़ शेष को प्रतिभूतियों में निवेश किया गया। रोकड़ शेष का निवेश (मार्च 2015) ₹ 3,439.74 करोड़ से बढ़कर (मार्च 2019) ₹ 14,948.22 करोड़ हो गया जबकि उसी समय राज्य सरकार को वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा की पूर्ति करने के लिए ₹ 14,300 करोड़ का बाजार ऋण लेना पड़ा। अगर राज्य सरकार रोकड़ शेष निवेश खाते से रोकड़ अधिशेष को कम कर पाती तो बाजार ऋण की मात्रा को भी कम करने की संभावना रहती।

1.6 परिसंपत्ति एवं देयताएँ

1.6.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं में वृद्धि तथा इसके संघटक

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में अचल सम्पत्तियों जैसे सरकारी भूमि और भवन का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है तथापि, ये वित्तीय देयताएँ के लेखांकन के व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

परिशिष्ट 1.6, 31 मार्च 2018 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 तक की इस प्रकार की देयताएँ

तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधारी, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं जबकि परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में परिसंपत्ति एवं देयताएँ में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देनदारियों में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज सहित बाजार उधारी, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिमों तथा अचल संपत्तियों पर पूँजीगत परिव्यय के कारण हुई।

1.6.2 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ¹⁸ हैं जैसा कि तालिका 1.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34: आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं०	लेखे शीर्ष	01अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	2018-19 में प्राप्तियाँ	2018-19 में संवितरण	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
1	8115—मूल्यहास / नवीनीकरण आरक्षित निधि (सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम)	0.14	0.01	0.00	0.15
2	8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ (एस०डी०आर०एफ०)	0.06	1,43,065.50	1,43,064.77	0.79
(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ					
1	8222—निक्षेप निधि	0.00	78,388.39	78,388.39	0.00 ¹⁹
कुल		0.20	2,21,453.90	2,21,453.16	0.94

(स्रोत: वर्ष 2018-2019 के वित्त लेखे)

पिछले 18 से 19 वर्षों से तीन आरक्षित निधियों यथा, अकाल राहत निधि (₹ 24.37 लाख), विकास एवं कल्याण निधि (₹ 0.54 लाख) तथा सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 2,606.95 लाख) में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अनुशंसा: वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

दो मुख्य आरक्षित निधियों से संबंधित प्राप्तियाँ तथा संवितरण का वर्णन नीचे किया गया है:—

1.6.2.1 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को सभी ऋणों से साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋण और राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देयताओं इत्यादि के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का स्थापना करनी चाहिए तथा इन निधियों का उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावे अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान निर्धारित करने का दिशा-निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की, हालांकि, 2014-15 से, इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया

¹⁸ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि एवं मूल्यहास/नवीनीकरण आरक्षित निधियाँ।

¹⁹ फंड में शेष राशि निवेश की जाती है जैसा कि वित्त खातों के विवरण 22 में दिखाया गया है। 31 मार्च 2019 तक निक्षेप निवेश खाते का समापन शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

जाना था। हालांकि, इसकी स्थापना के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया है। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

1.6.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन वर्ष 2010–11 में प्रारंभ किया। योजना में यह भी वर्णन है कि निधि में अभिवृद्धि के साथ—साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय का निवेश केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम कोषागार विपत्रों, ब्याज अर्जक जमाओं एवं जमा प्रमाण पत्रों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ निक्षेपों का प्रमाण पत्र तथा सहकारी बैंकों के साथ ब्याज अर्जक निवेशों में किया जाना चाहिए।

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष केवल ₹6,000.00 था। वर्ष के दौरान ₹ 1430.66 करोड़ की राशि (केंद्र: ₹ 1,362.79 करोड़ और राज्य: ₹ 67.87 करोड़) प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,430.65 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2019 को अंतिम शेष ₹ 78,850.00 रह गया।

1.6.3. प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया। राज्य सरकार इसके अनुशंसाओं के अनुसार ₹ 26.73 करोड़ (वर्ष 2018–19 के प्रारंभ में ₹ 5,346.42 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही।

वित्त लेखे के विवरणी 9 के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.35 में दिया हुआ है।

तालिका 1.35: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अधिकतम प्रत्याभूत राशि	5,314.84	9,396.62	13,053.04	20,234.10	20,834.10
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,446.74	1,31,793.45
वर्ष के अंत में प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	2,000.90	4,720.78	4,459.58	5,174.49	5,397.88
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	6.78	9.78	12.36	17.23	15.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अधिकतम प्रत्याभूत राशि में से ऊर्जा (₹12,166.91 करोड़), सहकारिता (₹ 1,268.84 करोड़), सिंचाई (₹ 4.93 करोड़), पथ एवं परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹183.57 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़) तथा अन्य (₹ 5,086.09 करोड़) संबंधित था।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सक्षम करने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। 5 जुलाई, 1974 को पारित बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर प्रति वर्ष 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क लिया जाना था। जबकि गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी विलेख में कोई खंड नहीं था। बिहार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से गारंटी शुल्क का दावा भी नहीं किया। हालांकि, ₹ 2.64 करोड़ की गारंटी शुल्क केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम) से 2018–19 में प्राप्त की गई थी।

1.7 ऋण प्रबंधन

1.7.1 राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ के संघठक

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ के संघठक का विवरण तालिका 1.36 में विस्तृत है: –

तालिका 1.36: राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ के संघठक

उधारी की प्रवृत्ति	शेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(अ) लोक ऋण					
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण ²⁰	65848	79990	96595	104525	114360
भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों	8723	8839	9596	10182	11785
कुल (अ)	74571	88829	106191	114707	126145
(ब) अन्य लोक लेखा देयताएँ					
लघु बचत, भविष्य निधि	8865	8791	8891	8811	9089
आरक्षित निधि	1836	1435	723	26	26
जमा	13784	17523	22917	33233	33661
कुल (ब)	24485	27749	32531	42070	42776
राज्य सरकार का कुल ऋण ²¹	99056	116578	138722	156777	168921

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार का कुल ऋण (1 अप्रैल 2014) ₹ 86,939 करोड़ से बढ़कर (31 मार्च 2019) ₹ 1,68,921 करोड़ हो गया। लोक ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा तालिका 1.37 में दिया हुआ है।

तालिका 1.37: सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल	प्रतिशत
2019-20	6162	717	6879	5.45
2020-21	5945	752	6697	5.31
2021-22	7552	793	8345	6.62
2022-23	10499	863	11362	9.01
2023-24	9658	804	10462	8.29
2024-25	10939	740	11679	9.26
2025-26	13518	683	14201	11.26
2026-27	18977	586	19563	15.51
2027-28	11211	430	11641	9.23
2028-29	15433	429	15862	12.57
2029-30 से आगे	4445	4931	9376	7.43
राज्य सरकार के साथ समाशोधन	21	57	78	0.06
कुल	114360	11785	126145	100

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19)

²⁰ आंतरिक ऋण में बाजार ऋण और वित्तीयों संस्थाओं जैसे— भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, नावार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल हैं।

²¹ तालिका 1.38 में, वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान ऋण जिसमें उज्ज्वल डिस्कॉम योजना (उदय) के कारण ली गई उधारी शामिल है को वित्त लेखे के आँकड़ों के साथ मिलान करने हेतु ऋण उदय को ₹ 1,15,024 करोड़ (2015–16) तथा ₹ 1,36,390 करोड़ (2016–17) जो की ऋण निर्वाहता एवं अन्य राजकोषीय मामलों को पूरा करने के लिए 2015–16 तथा 2016–17 में ली गई।

लोक ऋण के परिपक्वता के रूप रेखा से जाहिर होता है कि वर्ष 2023–24 से संभवतः ऋण पुनर्भुगतान का दबाव बढ़ेगा और वर्ष 2026–27 में बिहार सरकार के ऋण परिपक्वता के कारण चरम पर होगा।

1.7.2 उधार निधि की निवल उपलब्धता

वर्ष 2014–19 के दौरान, लोक ऋण और लोक लेखों देयताएँ में प्राप्तियाँ एवं पुनर्भुगतान के कारण उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता का विवरण **तालिका 1.38** में दिया गया है:—

तालिका 1.38: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	41,188	56,030	72,845	59,412	73,806
लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं व्याज)	35,200	45,606	58,892	50,411	71,733
निवल निधि उपलब्धता	5,988	10,424	13,953	9,001	2,073
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता की प्रतिशतता	14.54	18.60	19.15	15.15	2.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.38 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018–19 के दौरान उधार निधि का 97.19 प्रतिशत भाग वर्तमान देयताओं के भुगतान में उपयोग किया गया जिससे यह राज्य के विकासशील कार्यों/पूंजीगत निर्माण में उपयोग नहीं हो पाया।

1.7.3 ऋण निर्वाहता

अगर सरकार निकट भविष्य के देखते हुए अपनी देयताओं के चुकाने में समर्थ हो और उनका ऋण जी०ए०डी०पी० अनुपात अनियंत्रित आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ रहा हो, तो उनका राजकोषीय दायित्व निर्वहणीय माना जाता है। डोमार प्रारूप लोक ऋण के विश्लेषण के प्रारूप में से एक है, जो यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण की दर से अधिक है तो ऋण—जी०ए०डी०पी० अनुपात स्थिर होगा तालिका 1.39, डोमार प्रारूप की निर्वहणीय की स्थिति को दर्शाता है:—

तालिका 1.39: डोमार प्रारूप के अंतर्गत ऋण निर्वाहता की मापदंड

जी—आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक व्याज दर) डोमार गैप कहा गया।	एस<० (प्राथमिक घाटा)	एस>० (प्राथमिक अधिशेष)
जी—आर >० (तीव्र आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण, जी०ए०डी०पी० के प्रतिशतता के रूप में एक स्थिर मूल्य की ओर जाता है, फलतः यह निर्वहणीय होता है। ऋण के स्टॉक के निर्भरता के अनुसार, शून्य से अधिक एक स्थिर स्थिति पर पहुँचने के लिए यह समय के अनुसार यह या तो बढ़ेगा या घटेगा।	लोक ऋण जी०ए०डी०पी० के प्रतिशतता के रूप में लोक बचत के लिए शून्य से कम एक स्थिर स्तर में परिवर्तित होना चाहिए।
जी—आर <० (शिथिल आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण, जी०ए०डी०पी० के प्रतिशतता के रूप में बिना स्थिर स्थिति में परिवर्तित हुए अनिश्चित काल के लिए बढ़ेगा।	अपरिभाषित स्थिति

डोमार प्रारूप को बिहार राज्य पर लागू करने पर यह दर्शित हुआ कि राजकोषीय देयताओं को स्थिर स्थिति में परिवर्तित होना चाहिए जो कि तालिका 1.40 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.40: वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य के ऋणों की निर्वहता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी आर)	प्राथमिक घाटा (-) अधिशेष (+)	
				(प्रतिशत में)	(₹ करोड़ में)
2014-15	3.65	(-) 0.29	3.94	(-) 5,050	
2015-16	6.08	2.13	3.95	(-) 4,963	
2016-17	8.94	2.50	6.44	(-) 8,288	
2017-18	10.45	3.45	7.00	(-) 5,251	
2018-19	10.53	2.28	8.25	(-) 3,736	

- वास्तविक जी०एस०डी०पी० के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर की गणना किया गया यथा स्थिर मूल्यों के अनुसार।
- वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय दायित्व (-) पर औसत ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटा कर की गई। बिहार के लिए औसत मुद्रास्फीति की गणना एम०ओ०एस०पी०आई० के चालू श्रृंखला के मासिक मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में की गई है।

बिहार, 2014–19 की अवधि में प्राथमिक घाटा वाला राज्य रहा है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 के पूरे अवधि में डोमार गैप (जी०–आर०) धनात्मक रहा। ऋण निर्वहता के नजरिये से डोमार प्रारूप के अंतर्गत की स्थिति जो तालिका 1.39 में दी गई है। राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ ऋण निर्वहता (जी–आर>0) को संतुष्ट करती है यह ध्यान देने योग्य है कि डोमार अंतर (जी–आर) में बढ़त की प्रवृत्ति दर्ज किया जा रहा है। हालाँकि, अन्य कारकों जैसे लोक लेखा दायित्व, बड़ी घटनाएँ पर बल²² और/या अन्य दूसरे अनिर्धारित राजस्व की क्षति को भी ऋण निर्वहता/राज्य के स्थायित्व²³ के मूल्यांकन में गणना की गई है।

राजकोषीय घाटा एवं ऋण निर्वहता

ऊपर के परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय स्थायित्व, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ऋण –जी०डी०पी० के अनुपात के संदर्भ में तथा इसके अलावे राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में भी परिभाषित की गई है। चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा जो की केन्द्र एवं राज्य सरकार के राजकोषीय संतुलन के लिए थी और यह जी०एस०डी०पी० से राजकोषीय घाटा एवं ऋण का सीमा उपलब्ध करवाता है। चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में, बिहार सरकार ने एफ०आर०बी०एम०, अधिनियम 2006, को (अगस्त 2016) में संशोधित किया। बिहार एफ०आर०बी०एम० (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अनुसार वर्ष 2016–17 से 2019–20 के प्रत्येक वर्ष में राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य और बी०एफ०आर०बी०एम० के लक्ष्य के अनुसार ऋण की स्थिति तालिका 1.41 में दी गई है।

तालिका 1.41: ऋण निर्वहता—बी०एफ०आर०बी०एम० सूचकांक आधारित विश्लेषण

वर्ष	जी०एस०डी०पी० से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		जी०एस०डी०पी० से ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	बी०एफ०आर०बी०एम० लक्ष्य	प्राप्ति	एफ०एफ०सी० लक्ष्य	प्राप्ति	एफ०एफ०सी० लक्ष्य	प्राप्ति
2015-16	3.00	2.92	25.02	28.19	6.50	7.38
2016-17	3.00	3.19	24.79	31.14	6.40	7.75
2017-18	3.00	2.93	24.84	32.15	6.23	7.70
2018-19	3.00	2.48	24.89	30.30	6.13	7.64

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संशोधित बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम 2016)

²² जैसे वर्तमान के कोरोना वायरस महामारी और इसका जी०एस०डी०पी० पर प्रभाव।

²³ जैसे कि ये सारिथ्यकीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए विश्लेषण के कारकों में शामिल नहीं है।

पिछले लगातार दो वर्षों 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को बी0एफ0आर0बी0एम0 के लक्ष्य के अंदर रखने में सफल रहा। जबकि, राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान का अनुपात हासिल नहीं हो सका। फिर भी, यह 7.75 प्रतिशत (2016–17) से घटकर 7.64 प्रतिशत हो गया। ऋण जी0एस0डी0पी0 का अनुपात भी 14वें वित्त आयोग के लक्ष्य के अंदर नहीं था; इसके अलावे, यह 2015–2019 की अवधि में 28.19 प्रतिशत से बढ़कर 32.15 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात हासिल करते हुए भी, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष ब्याज भुगतान एवं राजकोषीय दायित्वों की चाल 14 वें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 के द्वारा वर्ष 2019–20 से राजकोषीय समेकन की प्राप्ति के लिए बताए गए संभावित रास्ते पर नहीं लग रहे हैं।

1.7.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय, नवंबर 2015, भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज है तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय तथा परिचालन रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर सकें।

इस योजना के तहत, 30 सितम्बर 2015 को विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण (₹ 3109.05 करोड़) में से 75 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 25 प्रतिशत) का अधिग्रहण राज्य द्वारा गैर साधिक तरलता अनुपात बॉण्ड जारी कर किया गया तथा इसको अनुदान ऋण तथा इक्विटी के रूप में विद्युत कम्पनियों को हस्तातंरण किया जाना था। पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार का दायित्व ₹ 2,331.78 करोड़ था।

वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों के अंतिम खातों से पता चला कि दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों की पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा था और वह (–) 0.42 प्रतिशत (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) और (–) 4.72 प्रतिशत (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) था।

इसके अलावा, दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों पर 31 मार्च 2019 तक ₹ 96.38 करोड़ का ऋण बकाया था (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 56.56 करोड़ तथा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 39.82 करोड़)। राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्व उठाने के बावजूद विद्युत वितरण कम्पनियों को अभी भी परिचालन घाटा हो रहा है।

विद्युत वितरण कम्पनियों को प्राप्त वित्तीय पैकेज का खण्डवार विश्लेषण **तालिका 1.42** में दिया गया है।

तालिका 1.42: डिस्कॉम को वित्तीय पैकेज

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं0	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की सब्सिडी	1,369.89
2.	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	961.89
	योग	2,331.78

राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉन्ड पर 2018–19 में ₹ 191.36 करोड़ का ब्याज दिया है।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय, बजटीय नियंत्रण, व्यय नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण और सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के किये गये प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

बिहार सरकार का बिहार बजट मैनुअल का नियम 104 यह निर्धारित करता है कि सभी अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को चालू वर्ष के 15 फरवरी तक अवश्य कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप मामले में, अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक अवश्य किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2018–19 के मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति (₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कालम 7/कालम 6 *100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	1,24,981.45	26,882.68	1,51,864.13	1,15,368.06	36,496.07	34,109.98	23,104.03	93.46
	II पूँजीगत	32,416.87	4,181.51	36,598.38	25,184.16	11,414.22	11,770.40	4,141.92	103.12
	III ऋण एवं अग्रिम	507.32	1,405.52	1,912.84	1,470.56	442.28	441.05	253.55	99.72
कुल दत्तमत		1,57,905.64	32,469.71	1,90,375.35	1,42,022.78	48,352.57	46,321.43	27,499.50	95.80
भारित	IV राजस्व	11,758.22	29.85	11,788.07	11,065.06	723.01	27.65	27.04	3.82
	V पूँजीगत	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	7,326.41	0.00	7,326.41	7,229.82	96.59	0.69	0.69	0.71
कुल भारित		19,084.63	29.85	19,114.48	18,294.88	819.60	28.34	27.73	3.46
महायोग		1,76,990.27	32,499.56	2,09,489.83	1,60,317.66	49,172.17	46,349.77	27,527.23	94.26

टिप्पणी: कुल व्यय में ₹ 1,536.32 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 4,125.91 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 2,09,489.83 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,60,317.66 करोड़ का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 32,499.56 करोड़ का पूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 1,76,990.27 करोड़) के स्तर तक भी नहीं आया था। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा कंडिका 2.3.3 में की गयी है। ₹ 49,172.17 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व भाग के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 37,219.08 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत भाग के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के पाँच अनुदानों तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 32 अनुदानों में

₹ 11,953.09 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई। समग्र बचत में से केवल तीन अनुदानों के अन्तर्गत पाँच विस्तृत शीर्षों से संबंधित ₹ 107.89 करोड़ के बचत के कारण को ही सूचित किया गया है।

₹ 49,172.17 करोड़ के कुल बचत में से केवल 94.26 प्रतिशत (₹ 46,349.77 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,822.40 करोड़ के बचत (कुल बचत का 5.74 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। आगे, ₹ 27,527.23 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 59.39 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2019 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की कोई गुंजाईश नहीं रही। यह राशि के गलत आकलन को दर्शाता है एवं प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखा जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर दिया जाए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 बचत

22 अनुदानों से संबंधित बचत के 29 मामलों में ₹ 41,687.23 करोड़, (कुल प्रावधान ₹ 1,18,440.79 करोड़ का 35.20 प्रतिशत) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ एवं अधिक राशि के थे जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

₹ 1,000 करोड़ और अधिक के उल्लेखनीय बचत नौ अनुदानों में कुल ₹ 36,304.81 करोड़ (कुल प्रावधान 1,01,070.11 करोड़ का 35.92 प्रतिशत) के हुए थे जिनको **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक बचत के अनुदानों/विनियोगों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1.	1—कृषि विभाग	2,701.78	557.10	3,258.88	1,822.88	1,436.00	44.06
2.	20—स्वास्थ्य विभाग	6,698.59	1,523.57	8,222.16	6,344.28	1,877.88	22.84
3.	21—शिक्षा विभाग	31,685.53	5,249.67	36,935.20	26,977.27	9,957.93	26.96
4.	39—आपदा प्रबंधन विभाग	675.15	4,143.85	4,819.00	1,642.28	3,176.72	65.92
5.	42—ग्रामीण विकास विभाग	15,320.04	3,631.87	18,951.91	12,776.67	6,175.24	32.58
6.	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	947.71	5,361.30	3,297.02	2,064.28	38.50
7.	51—समाज कल्याण विभाग	6,646.24	2,900.40	9,546.64	6,303.20	3,243.44	33.97
कुल राजस्व		68,140.92	18,954.17	87,095.09	59,163.60	27,931.49	32.07
(ब) पूँजीगत							
8.	3—भवन निर्माण विभाग	3,193.67	475.38	3,669.05	2,650.41	1,018.64	27.76
9.	37—ग्रामीण कार्य विभाग	9,305.97	1,000.00	10,305.97	2,951.29	7,354.68	71.36
कुल पूँजीगत		12,499.64	1,475.38	13,975.02	5,601.70	8,373.32	59.92
कुल योग (अ+ब)		80,640.56	20,429.55	1,01,070.11	64,765.30	36,304.81	35.92

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का विनियोग लेखे)

आगे, सभी अनुदानों के तहत, वेतन और स्थापना के लिए आवंटित बजट के विरुद्ध बचत को छोड़कर शेष बचत की जाँच से पता चला कि योजनाओं तथा पूँजीगत शीर्षों के कुल आवंटन ($\text{₹ } 1,10,998.46$ करोड़) में से, $\text{₹ } 74,864.93$ करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप $\text{₹ } 36,133.53$ करोड़ (कुल आवंटन का 32.55 प्रतिशत) की बचत हुई थी। बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, विभाग, सामाजिक-आर्थिक विकास और राज्य की संपत्तियों के निर्माण हेतु आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा।

आगे, कुल अनुदान/विनियोग और व्यय के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक), 29 अनुदानों/विनियोगों के तहत $\text{₹ } 42,302.53$ करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित रूप से नहीं बताया गया है जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में विस्तृत है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए की सभी अनुमानित बचतों को ससमय अभ्यर्पण किया जाए ताकि निधि का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.3.2 सतत बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुदानों/विनियोगों के $\text{₹ } 100$ करोड़ या उससे अधिक के बचतों वाले मामलों की जाँच से पता चला की 25 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 27 मामलों में कुल $\text{₹ } 29,000.34$ करोड़ और अधिक के सतत बचत हुए जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में विस्तृत है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सतत बचत के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए तथा ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.3.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

2018–19 के दौरान, 43 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में $\text{₹ } 18,273.32$ करोड़ (प्रत्येक मामले में $\text{₹ } 10$ लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय ($\text{₹ } 1,02,539.14$ करोड़) मूल प्रावधान ($\text{₹ } 1,24,981.48$ करोड़) के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में विस्तृत है।

2.3.4 निधि का अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोजन

18 अनुदानों/विनियोगों से संबद्ध 31 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत $\text{₹ } 96.95$ करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि $\text{₹ } 287.04$ करोड़ का अभ्यर्पण हुआ एवं अंतिम बचत $\text{₹ } 57.12$ करोड़ था (**परिशिष्ट 2.5**)। यह भी देखा गया कि आठ अनुदानों/विनियोजनों में शामिल 14 विस्तृत शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदत्त $\text{₹ } 264.75$ करोड़, $\text{₹ } 109.43$ करोड़ की बचत के संदर्भ में अत्यधिक साबित हुआ (**परिशिष्ट 2.6**)। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को इंगित करता है।

आगे, तीन मामलों में $\text{₹ } 0.30$ करोड़ का अधिकाई व्यय था, जिसके लिए आंशिक रूप से $\text{₹ } 4.50$ करोड़ की पुनर्विनियोजन के माध्यम से अविवेकपूर्ण निकासी और $\text{₹ } 71.75$ करोड़ के अभ्यर्पण को जिम्मेवार माना जा सकता है, जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.3** में है।

तालिका 2.3: निधि का पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग (-)	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अधिकाई व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	16	2515-00-001-0003-जिला पंचायत की स्थापना	255.79	0.77	45.42	209.67	0.07
2.	29	2853-02-001-0001-खान एवं भूतत्व स्थापना	51.13	0.03	21.70	29.45	0.05
3.	32	2011-02-101-0005-सदस्यगण	67.50	3.70	4.63	59.35	0.18
योग			374.42	4.50	71.75	298.47	0.30

(स्रोत: वर्ष 2018-19 का अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखे)

इसी प्रकार, 21 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 49 मामलों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के माध्यम से अपर्याप्त निकासी (₹ 383.93 करोड़) के परिणामस्वरूप ₹ 992.62 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में दिखाया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को अनुदान नियंत्री पदाधिकारियों के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव से केवल तभी सहमत होना चाहिए यदि व्यय की प्रवृत्ति इन्हें संतुष्ट करती हो।

2.3.5 वृहत् अभ्यर्पण

12 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 46 मामलों में कुल प्रावधान ₹ 33,969.57 करोड़ में से ₹ 24,715.98 करोड़ (72.76 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) जैसा कि परिशिष्ट 2.8 में विस्तृत है। आगे, 38 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 232 विस्तृत लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (₹ 4,686.68 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट 2.9)। इस तरह के पर्याप्त अभ्यर्पणों से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर छूक हुआ था।

विभाग द्वारा राशियों के अभ्यर्पण का कारण, योजना परिव्यय में संशोधन, प्रशासनिक अनुमोदन की अप्राप्ति तथा मंडलों से मांग की अप्राप्ति, योजना के स्वीकृति की अप्राप्ति, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से विलंब से सहमति, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति एवं अन्य को बताया गया।

2.3.6 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

नौ विभागों में ₹ 2,857.49 करोड़ के बचत के विरुद्ध ₹ 3,363.48 करोड़ (प्रत्येक मामले में पाँच लाख एवं अधिक) का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 505.99 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, ₹ 505.99 करोड़ की राशि व्यय के साथ साथ अभ्यर्पण में भी प्रदर्शित हुई। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण इंगित करता है कि विभागों ने मासिक व्यय विवरण से व्यय के प्रवाह को देखकर समुचित बजटीय नियंत्रण नहीं किया।

तालिका 2.4: वर्ष 2018-19 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि (5-4=6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राजस्व-दत्तमत				
1.	6-निर्वाचन विभाग	129.49	14.03	14.39	0.36

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि (5-4=6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	16—पंचायती राज विभाग	10,245.17	1,836.67	1,878.82	42.15
3.	25—सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	264.58	173.66	192.85	19.19
4.	29—खान एवं भूत्व विभाग	51.96	21.88	21.93	0.05
5.	32—विधानमंडल	182.97	12.94	13.24	0.30
6.	38—निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	204.44	42.31	42.52	0.21
7.	40—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	791.25	238.51	238.84	0.33
	कुल राजस्व	11,869.86	2,340.00	2,402.59	62.59
	पूँजीगत—दत्तमत				
8.	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2,125.84	325.25	451.09	125.84
9.	41—पथ निर्माण विभाग	5,747.21	192.24	509.80	317.56
	कुल पूँजीगत	7,873.05	517.49	960.89	443.40
	महायोग	19,742.91	2,857.49	3,363.48	505.99

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का विनियोग लेखे)

2.3.7 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

बिहार बजट मैनुअल (बि.ब.मै.) के नियम 104 के अनुसार व्यय विभागों को, जब बचत का पूर्वानुमान हो तब अनुदानों/विनियोगों को या उसके हिस्से को वित्त विभाग को अभ्यर्पण करना आवश्यक है। यद्यपि, वर्ष 2018–19 के अंत में नौ अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 11 मुख्यशीर्षों में ₹ 926.48 करोड़ की बचत (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा) हुई, व्यय करने वाले विभाग द्वारा ₹ 569.83 करोड़ (61.50 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में विस्तृत है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का संकेत है एवं परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध हुई।

इसके अतिरिक्त, 45 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 109 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक) कुल प्रावधान (₹ 1,72,346.95 करोड़) में से ₹ 27,279.98 करोड़ (15.83 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में विस्तृत है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह को देखकर निधियों का ससमय अभ्यर्पण सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा अभ्यर्पण को कमतर करने के लिए ससमय बजट जारी करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

2.3.8 सघन व्यय


बि.ब.मै. यह निर्धारित करता है कि बिलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्याधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है। व्यय का एक समान प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के अंतिम तिमाही तथा मार्च 2019 माह में व्यय (50 प्रतिशत तथा अधिक) की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान, 14 विभागों के अन्तर्गत कुल व्यय (₹ 31,870.31 करोड़) में से (₹ 17,951.71 करोड़) 56.33 प्रतिशत का व्यय अंतिम तिमाही में एवं (₹ 12,151.88 करोड़) 38.13 प्रतिशत का व्यय मार्च 2019 में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में विस्तृत है। आगे, पाँच विभागों (50 प्रतिशत या अधिक के मामले) के कुल व्यय

(₹ 3,711.43 करोड़) में से ₹ 2,467.69 करोड़ (66.49 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2019 में किया गया जैसा कि चार्ट 2.1 में विस्तृत है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2018–19 के दौरान सघन व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान वित्त विभाग ने इसे स्वीकार किया एवं बताया है कि केन्द्रांश की देरी से प्राप्ति भी सघन व्यय का एक कारण है।

2.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि को स्थापित किया गया।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2018 से 30 मार्च 2019 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 7,079.61 करोड़ कर दिया जो कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पुरा करने के लिए जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। तुलना करने पर, भारत सरकार एवं पड़ोसी राज्यों¹ के आकस्मिकता निधि काफी कम थे। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,353.49 करोड़ की राशि के 109 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 386.85 करोड़ (8.89 प्रतिशत) के 34 आहरण गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया जैसा कि चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है तथा परिशिष्ट 2.13 में विस्तृत है।

¹ भारत सरकार, मध्य प्रदेश एवं झारखण्ड : प्रत्येक ₹ 500 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश: ₹ 600 करोड़।

चार्ट 2.2: आकस्मिकता निधि से गैर आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त विभाग के अभिलेख, बिहार सरकार)

संवीक्षा से पता चला कि 12 विभागों में ₹ 64.10 करोड़ की राशि का व्यय मोटर वाहन के क्रय के लिए सामान्य बजट की बजाय आकस्मिकता निधि से किया गया। आकस्मिकता निधि से इन मोटर वाहन के क्रय हेतु कोई स्पष्ट कारण उल्लेखित नहीं था। आगे, आकस्मिकता निधि से ₹ 318 करोड़ का आहरण विधायिकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में वृद्धि के कारण एक राज्य योजना यथा “मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना” के लिए किया गया। सामान्य बजट के द्वारा व्यय नहीं किये जाने के कारण को नहीं बताया गया।

यह भी देखा गया की वर्ष 2018–19 में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय प्राकृतिक आपदाओं पर 50 प्रतिशत के व्यय के शर्त के विरुद्ध ₹ 1,725.00 करोड़ (39.62 प्रतिशत) था। पिछले पाँच वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय को तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2014-15	1,875.84	204.52	10.90
2	2015-16	6,117.60	2,205.00	36.04
3	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52
4	2017-18	4,949.21	3,898.33	78.77
5	2018-19	4,353.49	1,725.00	39.62

(स्रोत: वित्त विभाग के अभिलेख, बिहार सरकार)

इस प्रकार के नियमित व्ययों के लिए बजटीय प्रावधान करना और वार्षिक बजट प्रक्रिया में ही परिकल्पित व्ययों को पूर्व में ही पारित करना वित्त विभाग पर निर्भर करता है जैसा की संविधान में परिकल्पित है। वित्त विभाग इन संवैधानिक प्रावधानों के पालन में असफल रहा और आकस्मिकता निधि का प्रयोग अग्रदाय खाते के रूप में होता रहा।

विभाग ने बताया (जनवरी 2020) की बजट में प्रावधान न होने के कारण, केन्द्रांश के विरुद्ध अप्रत्याशित राज्यांश, अन्य आकस्मिक व्यय जो पूर्व में अनुमानित नहीं था एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के आदेश के अनुपालन के लिए निधि, आकस्मिकता निधि से प्रदान की जाती है। यह भी बताया गया की संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा मोटर वाहन के क्रय के मुद्दे पर कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि की प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए ही किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है।

2.5 निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 यह निर्धारित करता है कि माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत से बचाने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं किया जाएगा तथा अव्ययित शेष को उसी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में लौटा देना चाहिए।

वर्ष 2018–19 के दौरान भी0एल0सी0 में प्रविष्ट वाउचरों के नमूना जाँच से पता चला कि 2007–08 से 2016–17 की अवधि के दौरान 15 मामलों में सार आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 16.13 करोड़ का आहरण हुआ था, जिसमें से ₹ 3.66 करोड़ (23 प्रतिशत) की राशि को 11 माह से 114 माह की अवधि तक प्रतिधारण के बाद प्रेषित किया गया (**परिशिष्ट 2.14**)।

आगे, वर्ष 2007–08 से 2016–17 की अवधि के दौरान 11 मामलों में सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 1.24 करोड़ की संपूर्ण राशि को 14 माह से 118 माह की अवधि तक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (**परिशिष्ट 2.15**)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में अव्ययित शेषों का हस्तांतरण नहीं करने से लोक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन का जोखिम रहता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग द्वारा एक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम0आई0एस0) तैयार की जानी चाहिए जो व्यय एवं आहरण अधिकारियों के स्तर पर आहरित आकस्मिक विपत्रों के वर्ष के दौरान अव्ययित राशि को प्रकाशित करने में सहायक हो। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की पहल की जानी चाहिए जो सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों के अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करते हैं।


2.6 असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष के लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के खाते में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तरदायी होंगे। आगे, बिंब0मै0, 2016 के नियम, 96 के अनुसार नियंत्री अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक आँकड़ों को समेकित करने के बाद, मासिक / त्रैमासिक आँकड़ों का समाशोधन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखों के साथ कर लें। इस संबंध में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय से वित्त विभाग को कई अनुस्मारक जारी किये गये तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, द्वारा समाशोधन की अंतिम तिथि 15 जून 2019 निर्धारित की गई थी लेकिन समाशोधन सितम्बर 2019 तक पूरी नहीं हुई।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि, विभागाध्यक्षों ने 2018–19 के दौरान (₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक के मामलों में) 31 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 57,779.17 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 22,447.47 करोड़ (39 प्रतिशत) की प्राप्तियों तथा 80 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 1,44,776.10 करोड़ में से ₹ 1,27,896.89 करोड़ (88 प्रतिशत) के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) की पुस्तिकाओं से नहीं किया (**परिशिष्ट 2.16**)। प्राप्तियों एवं व्यय शीर्षों से संबंधित शत प्रतिशत असमाशोधन के महत्वपूर्ण मामलों को क्रमशः **चार्ट 2.3** एवं **2.4** में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.3: असमाशोधित प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.4: असमाशोधित व्यय

(₹ करोड़ में)



अनुशासन: वित्त विभाग को एक क्रियाविधि विकसित करना चाहिए, इसे नियंत्री पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लैगो एवं हक्को) के पुस्तिकाओं के साथ प्रत्येक महीने मिलान करें।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2018–19 में, बचत, आधिकाय एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 09—“सहकारिता विभाग”, अनुदान संख्या 20—“स्वास्थ्य विभाग” तथा अनुदान संख्या 23—“उद्योग विभाग” की बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा संचालित की गयी (अगस्त से नवम्बर 2019)। समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैं:

2.7 अनुदान सं0 09 – “सहकारिता विभाग”

इस अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 में छ: मुख्य शीर्ष (2401, 2408, 2425, 3451, 4425 एवं 6425) संचालित थे।

तालिका 2.6: वर्ष 2018–19 के लिए सरांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	कुल व्यय	बचत (5–6)	कुल प्रावधान का प्रतिशतता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राजस्व	732.47	1,090.33	1,822.80	979.63	843.17	46.26
2	पूंजीगत	74.04	974.16	1,048.20	817.93	230.27	21.97
	योग	806.51	2,064.49	2,871.00	1,797.56	1,073.44	37.39

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का विस्तृत विनियोग लेख)

वर्ष 2018–19 के अभिलेखों की समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैं:

- राजस्व एवं पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत 37.39 प्रतिशत का बचत (₹ 1,073.44 करोड़) विभाग द्वारा प्रावधान का अनुचित प्राक्कलन को दर्शाता है।

विभाग द्वारा जवाब (अक्टूबर, 2019) में, बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष के चार माह पहले बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है। बिहार सरकार के सी टी एम आई एस के वेबसाइट में प्रदर्शित ₹ 2,871.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 1,797.81 करोड़ का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में हुआ। इस कारण से ₹ 1,072.18 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था। व्यय और बचत के आंकड़ों में यह अंतर, महालेखाकार (लै0 एवं हक0) द्वारा दर्ज वास्तविक व्यय के आँकड़ों एवं विभाग के आँकड़ों के समाशोधन नहीं किये जाने के कारण है।

- मुख्य शीर्ष 2425 के अन्तर्गत ₹ 2.21 करोड़ का पूरक प्रावधान किया गया जबकि ₹ 123.28 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल ₹ 119.77 करोड़ ही व्यय किया गया। (**परिशिष्ट 2.17**)
- चार मुख्य शीर्षों (2401, 2408, 2425 और 6425) के अन्तर्गत ₹ 386.12 करोड़ अव्यवहृत रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया था। (**परिशिष्ट 2.18**)
- 26 मामलों में कुल प्रावधान ₹ 2,253.17 करोड़ में से ₹ 879.60 करोड़ (39.04 प्रतिशत) का अभ्यर्पण 31 मार्च 2019 को किया गया था। (**परिशिष्ट 2.19**)

विभाग ने जवाब में बताया कि ₹ 375.00 करोड़ का अभ्यर्पण, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली से उसके हिस्से की राशि की अप्राप्ति, कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, अर्जित अवकाश के स्वीकृत नहीं होने, प्रतिनियुक्ति आदि की वजह से हुआ, जिसके कारण बचत हुई है।

2.8 अनुदान संख्या— 20 “स्वास्थ्य विभाग”

इस अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 में छ: मुख्य शीर्ष (2210, 2211, 2230, 2235, 2251 एवं 4210) संचालित थे।

तालिका 2.7: 2018–19 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राप्तकलन	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (4–5)	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	6,698.59	1,523.57	8,222.16	6,344.28	1,877.88	22.84
पूंजीगत दत्तमत	1,095.22	520.16	1,615.38	1,134.01	481.37	29.80
योग	7,793.81	2,043.73	9,837.54	7,478.29	2,359.25	23.98

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का विनियोग लेख)

वर्ष 2018–19 के अभिलेखों की समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

- कुल प्रावधान ₹ 9,837.54 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,136.47 करोड़ (21.72 प्रतिशत) की राशि का अभ्यर्पण किया गया था। अभ्यर्पण का कारण मुख्य रूप से संबंधित जिलों द्वारा निधियों की मांग नहीं किया जाना, आदर्श आचार संहिता के कारण अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण से संबंधित योजनाओं का स्वीकृत नहीं होना, कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का अनुमान नहीं होना, दवा, उपकरण और संयंत्र के स्टॉक की बचत का अनुमान नहीं होना, भोजन/आहार का अनुमान नहीं होना, संविदा सेवाओं का अनुमान नहीं होना, अनुमानों की अनुप्लब्धता के कारण योजना स्वीकृत नहीं होना आदि था।
- ₹ 2,136.47 करोड़ की कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹ 1,567.87 करोड़ (73.39 प्रतिशत) की राशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया, इस प्रकार अन्य प्रयोजनों के लिए निधि के उपयोग से वंचित किया गया (**परिशिष्ट 2.20** में विस्तृत)।
- वर्ष 2018–19 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2210, 2211 एवं 4210 के अंतर्गत, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, स्वास्थ्य और चिकित्सीय शिक्षा में मानव संसाधन, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, स्वदेशी आयुर्वेदिक दवा निदेशालय और नये मेडिकल कॉलेज और पारा मेडिकल संस्थानों आदि में ₹ 113.01 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय (₹ 681.70 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 971.69 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया जो **परिशिष्ट 2.21** में विस्तृत है।
- मुख्य शीर्ष 2210, 2211 एवं 4210 के अंतर्गत, स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय शिक्षा में मानव संसाधन, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण, आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण आदि से संबंधित ₹ 1,349.96 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, ₹ 766.05 करोड़ के अंतिम बचत के मद्देनजर अत्यधिक साबित हुआ, जो **परिशिष्ट 2.22** में विस्तृत है।
- चार मुख्य शीर्षों (2210, 2211, 2235 एवं 4210) के अन्तर्गत 16 विस्तृत शीर्षों से संबंधित मरीज कल्याण सोसाईटीयाँ, क्षेत्रीय वृद्धाश्रम केन्द्र, राष्ट्रीय आयुष मिशन सहित औषधीय पौधों से संबंधित मिशन, शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति, प्रवेश पर्यवेक्षण समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित मजदूर हेतु सामाजिक सुरक्षा, जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवासीय तथा कार्यालय भवन के निर्माण इत्यादि में ₹ 177.13 करोड़ का कुल प्रावधान अव्यवहृत रहा तथा अभ्यर्पित किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.23** में विस्तृत है।

- वर्ष के दौरान पाँच मुख्य शीर्षों (2210, 2211, 2230, 2235 तथा 4210) के अंतर्गत 16 मामलों में मानसिक अस्पताल, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल अस्पताल, मधेपुरा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण, आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा, नये मेडिकल कॉलेज एवं पारा मेडिकल संस्थानों हेतु जमीन, सहायक प्रसूती परिचारिका (ए०एन०एम०) तथा सामान्य प्रसूती परिचारिका (जी०एन०एम०) विद्यालय का निर्माण इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,182.61 करोड़ (₹ 1,734.90 करोड़ के कुल प्रावधान का 68.17 प्रतिशत) और प्रावधान के 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच का अभ्यर्पण हुआ जो **परिशिष्ट 2.24** में विस्तृत है।

2.9 अनुदान संख्या 23— “उद्योग विभाग”

इस अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 में छ. मुख्य शीर्ष (2851,2852,3451,4851,4885 और 5465) संचालित थे।

तालिका 2.8: 2018–19 के लिए सरांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बजट प्रावधान	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (५-६)	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राजस्व	607.94	105.81	713.75	614.48	99.27	13.91
2	पूँजीगत	14.10	15.00	29.10	17.03	12.07	41.48
	योग	622.04	120.81	742.85	631.51	111.34	14.99

(स्रोत: वर्ष 2018-19 का विनियोग लेखे)

वर्ष 2018–19 के अभिलेखों की समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

राजस्व और पूँजीगत दत्तमत्त शीर्ष के अंतर्गत ₹ 111.34 करोड़ (14.99 प्रतिशत) का बचत, विभाग द्वारा प्रावधान का अनुचित प्राक्कलन दर्शाता है। इसके जवाब में विभाग, बचत के कारणों पर मौन था और बताया कि ₹ 66.24 करोड़ की अभ्यर्पित राशि की कटौती के बाद ही ₹ 43.06 करोड़ की बचत हुई थी। जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि अभ्यर्पण उन निधियों से भी था, जिनका उपयोग नहीं किया जा सका।

- मुख्य शीर्ष 2851 और 2852 के अंतर्गत ₹ 3.18 करोड़ का पूरक प्रावधान किया गया जबकि ₹ 71.93 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल ₹ 47.77 करोड़ का ही व्यय किया गया था। इस प्रकार, पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था। (परिशिष्ट 2.25)

जवाब में विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कुछ विशेष दायित्व और विभाग में रिक्त पदों पर पदस्थापन की संभावना के कारण, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में अधिक राशि का प्रावधान किया गया था। कोषागार द्वारा बिल (₹ 5.00 करोड़) पास नहीं करने और वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग (₹ 0.63 करोड़) के देर से मंजूरी के कारण व्यय नहीं किया जा सका। भविष्य में, पूरक प्रावधान के लिए सावधानी बरती जाएगी।

- दो मुख्य शीर्ष 2851 और 4851 के अंतर्गत दस विस्तृत शीर्षों में ₹ 27.87 करोड़ की राशि अव्यवहृत रहा तथा पूरी राशि अभ्यर्पित कर दी गयी थी (**परिशिष्ट 2.26**)। जवाब में, विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक योजना पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू की गयी थी जिसके लिए विभाग के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्व में आवंटित राशि के अभ्यर्पण से बजटीय प्रावधान किया जाना था।

- 24 मामलों में कुल प्रावधान ₹ 544.36 करोड़ में से ₹ 42.55 करोड़ (7.63 प्रतिशत) का अभर्पण 31 मार्च 2019 को किया गया था। (**परिशिष्ट 2.27**)
 - विभागीय व्यय के आंकड़ों को महालेखाकार (लै0 एवं हक0) द्वारा दर्ज किए गए वास्तिवक व्यय के आंकड़ों के साथ समाशोधन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप व्यय के आंकड़ों में ₹ 2.03 करोड़ का अंतर था। (**परिशिष्ट 2.28**)
- विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि अंतर राशि के सत्यापन के बाद जवाब दिया जाएगा। उनका जवाब प्रतीक्षित (फरवरी 2020) है।

अध्याय-III

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं राज्य सरकार द्वारा इसके अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 व्यक्तिगत जमा खाते / व्यक्तिगत बही खाते

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0) के नियम 338 से 344 के अनुसार व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते का उपयोग समेकित निधि से निधि स्थानांतरित कर उन विशेष मामले में उपयोग किया जाता है जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो तथा जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो या लघु लाभार्थियों की बड़ी संख्या सूदूर तक फैली हुई हो जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यवहार्य न हो। पी0डी0 के प्रशासकों को वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी)¹ तक की अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष जिसमें से निधि का आहरण हुआ था, के व्यय में कटौती के रूप में समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है।

3.1.1 व्यक्तिगत जमा खाते में अव्ययित शेष

पी0डी0 खातों को खातों के प्रशासक के नाम से कोषागार में रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग की सहमति और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सूचित कर खोले जाते हैं। 75 कोषागारों द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 19 कोषागारों² में पी0डी0 खाते संधारित नहीं हैं। 31 मार्च, 2019 तक मौजूदा 175 पी0डी0 खातों में ₹ 4,377.12 करोड़ अवशेष था। वर्ष के दौरान एक पी0डी0 खाता खोला गया और किसी भी खाते को बंद नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.1 में विस्तृत है।

तालिका 3.1: वर्ष 2018–19 के दौरान पी0डी0 खाता का विवरण

(₹ करोड़ में)

01.04.2018 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद / संवितरित		31.03.2019 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
174	5,888.45	1	1,417.50	0	2,928.83	175	4,377.12

वर्ष के दौरान लेन–देन (जमा / नामे) स्तंभ ‘वर्ष के दौरान वृद्धि’ तथा ‘वर्ष के दौरान बंद / संवितरित’ के अंतर्गत दर्शाये गये हैं।

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेख)

वर्ष 2017–18 में नौ कोषागारों ने प्रतिवेदित किया कि नौ पी0डी0 खातों में ₹ 65.77 करोड़ की शेष राशि पिछले पाँच वर्षों से अव्ययित पड़ी है। इनमें से किसी भी कोषागारों ने इस राशि को संबंधित लेखा शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2029) के व्यय में कटौती के रूप में राज्य के समेकित निधि में वर्ष 2018–19 के दौरान वापस करने की सूचना प्रदत्त नहीं की।

इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं है कि राशि को वास्तव में संबंधित लेखा शीर्ष के व्यय में कटौती के रूप में समेकित निधि में वापस की गई है।

¹ बिहार सरकार के अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016।

² बिहार भवन, नई दिल्ली, दलसिहस्राय, डुमराँव, हिलसा, लालगंज, मसौढ़ी, मोकामा, पूणी, राजगीर, रजौली, रोसड़ा, सचिवालय कोषागार (विकास भवन, पटना), शाहपुर पटोरी, सिकहरना, टेकारी, नौगछिया, ई–कोषागार, उदाकिशनगंज और त्रिवेणीगंज।

3.1.2 अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते

47 कोषागारों में 175 पी0डी0 खातों में से 95 पी0डी0 खाते विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में विस्तृत है। इन 95 अपरिचालित पी0डी0 खातों में से 90 में शेष शून्य और पाँच³ पी0डी0 खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि मार्च 2019 के अन्त तक अव्ययित पड़ी थी। इन 95 निष्क्रिय पी0 डी0 खातों को बिहार सरकार के पत्र⁴ के अनुसार बंद नहीं किया गया था, हालांकि वे मार्च 2019 के अंत में बंद होने योग्य थे।

पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय—समय पर समाशोधन नहीं होने और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

3.1.3 वैयक्तिक बही खाता

बिहार कोषागार संहिता (संशोधन)⁵ अधिनियम, 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल परपस व्हीकल, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसायटी आदि जो किसी रूप में (यथा अनुदान, ऋण, सेंटेज पर किया गया कार्य इत्यादि) राशि प्राप्त करते हैं उसका वैयक्तिक बही खाता (पी0 एल0 खाता) कोषागार में खोला जायेगा। पी0डी0 खाते का संचालन अधिकृत पदाधिकारी द्वारा गैर सरकारी चेक के माध्यम से होगा। राज्य सरकार किसी भी संस्था और किसी विशेष योजना की राशि को पी0 एल0 खाता में रखने से छूट दे सकती है। राज्य सरकार इन संस्थाओं के मौद्रिक तरलता को बनाये रखने के लिए पी0 एल0 खाता से किश्त में राशि की निकासी कर बैंक खाता में रखे रहने का आदेश दे सकती है। वित्त विभाग पी0 एल0 खाता से विशेष परिस्थितियों में राशि जमा करने या निकालने के लिए प्रक्रिया बना सकता है। आगे, बिहार सरकार के संकल्प (सितम्बर 2016) द्वारा, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सभी निगमों/बोर्डों/सोसाईटीयों/एजेंसियों/प्राधिकारों इत्यादि के बैंक खातों में जमा राशि उनके पी0एल0 खाता में 30 अप्रैल 2015 तक स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और तत्पश्चात समस्त व्यय पी0एल0 खाते से किया जाना है।

पी0 एल0 खाते का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2019 को 68 कोषागारों में 261 पी0 एल0 खाते अस्तित्व में थे। छः कोषागारों में सात पी0 एल0 खाते पाँच साल या उससे अधिक वर्षों से 2018–19 तक अपरिचालित थे तथा ₹ 35.47 करोड़ की राशि इन पी0 एल0 खातों में पड़ी थी, जैसा कि तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 31.03.2019 तक अपरिचालित पी0 एल0 खातों की सूची

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कोषागार के नाम	प्रशासक	अवधि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दरभंगा	डी आर डी ए दरभंगा (विघटित)	2013–19	19.09
2.	फारबिसगंज	पंचायत समिति, भरगामा	2013–19	0.12
3.	फारबिसगंज	फारबिसगंज, पंचायत समिति	2013–19	0.07
4.	झंझारपुर	पंचायत	2013–19	19.09
5.	कटिहार	जिला शिक्षा कोष	2013–19	21.54

³ डी0एम0, बैंका (₹ 25.30 करोड़), डी0एम0, भोजपुर (₹ 0.20 करोड़) डी0डी0सी0, कटिहार (₹ 1.50 करोड़), डी0एम0, पटना (₹ 0.66 करोड़) एवं डी0एम0, वैशाली (₹ 0.07 करोड़)

⁴ जी.ओ.बी. पत्र सं0– 11262 दिनांक– 5.10.2010

⁵ अधिसूचना सं0 एम. 4.12 / 2013 (भाग– I) 6487 / एफ दिनांक: 21.07.2014 वित्त विभाग, जी0ओबी0

क्रम संख्या	कोषागार के नाम	प्रशासक	अवधि	राशि
6.	रोहतास	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2013–19	7.65
7.	सिंचाई भवन, पटना	बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लिमिटेड पटना	2014–19	3,478.98
	योग			3,546.54

(चोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा प्रदत आँकड़े)

आगे, निम्नलिखित अनियमिततायें पी० एल० खातों में पायी गयी :

- वित्त विभाग, बिहार सरकार (सितम्बर, 2016) ने निर्देश दिया कि कार्यकारी एजेंसियों को केवल वही राशि उनके पी०एल० खाते में अंतरित की जायेगी जिसे एजेन्सी द्वारा स्वयं उनके पी०एल० खाते द्वारा व्यय की जानी हो और किसी अन्य कार्यकारी एजेन्सी को अपने पी०एल० खाते से राशि का अन्तरण नहीं करेंगे। पी०एल० खाता को डाकघर के रूप में काम नहीं करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (बि०आर०बी०एन०एल०), पटना को डीजल अनुदान के लिए कृषि निदेशालय से उनके पी०एल० खाता (पी०एल० खाता – 271) में ₹ 285 करोड़ प्राप्त हुआ। बि०आर०बी०एन०एल०, पटना ने अपने पी० एल० खाता से ₹ 235 करोड़ अपने पंजाब नेशनल बैंक (पी०एन०बी०) के खाता में स्थानांतरित किये तथा ₹ 310 करोड़ (डीजल अनुदान के ₹ 235 करोड़ तथा कृषि इनपुट के ₹ 75 करोड़) को अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते से कृषि निदेशालय के एच०डी०एफ०सी० बैंक के खाता में डीजल अनुदान के लिए स्थानांतरित किये। इस प्रकार, बि०आर०बी०एन०एल०, पटना ने वित्त विभाग के पत्रांक⁶ के उल्लंघन में स्वयं, राशि का उपयोग नहीं कर पाया। आगे, यह भी पाया गया कि कृषि इनपुट के ₹ 75 करोड़ के राशि का विचलन कर डीजल अनुदान के लिए निदेशक, कृषि को स्थानांतरित किया गया।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि उद्योग विभाग के अंतर्गत एक संस्था उद्योग मित्र ने 31 मार्च 2019 तक 10 बैंकों में स्वयं के 13 चालू खातों तथा दो स्वीप खातों में ₹ 65.59 करोड़ की राशि रखी थी तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार उक्त राशि को अपने पी.एल. खाता में स्थानांतरित नहीं किया।

संस्था ने अपने जवाब (अक्टूबर 2019) में बताया कि वे बिहार सरकार के दिशानिर्देश से अवगत नहीं थे।

- शिक्षा विभाग में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बि०एस०ई०आई०डी०सी०) के बैंक खातों में 31 मार्च 2019 तक ₹ 287.92 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी हुई थी। हालांकि, उक्त राशि वित्त विभाग के संकल्प (अप्रैल 2015) के उल्लंघन में पी०एल० खाता में स्थानांतरित नहीं की गयी थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी पी०डी०/पी०एल० खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खातों में अनावश्यक पड़ी हुई राशि को शीघ्र समेकित निधि में प्रेषित कर दिया जाय।

3.2 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (भ०आ०नि०श्र०) कल्याण बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2008 में जारी अधिसूचना⁷ के आधार पर गठित किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य, राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध-सरकारी और निजी क्षेत्रों के अधीन चलाये जा रहे निर्माण कार्यों पर किये गये कुल व्यय का एक प्रतिशत संग्रहित कर बोर्ड को राशि प्रदान की जाती है।

⁶ पत्रांक 3608 दिनांक: 09.04.2015 और 7280 दिनांक: 14.09.2016।

⁷ अधिसूचना नं० 04 /एफ०३०२ /२००६ /एल०ई० 865 दिनांक: 18.02.2008।

विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर को लघु शीर्ष 8443—सिविल जमा—108—लोक निर्माण कार्य जमा में लेखांकित किया जा रहा था जिसमें श्रम उपकर के अलावे कई अन्य प्राप्तियाँ थीं। इसके फलस्वरूप, विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की राशि को निर्धारित नहीं किया जा सका। हालांकि, सरकार द्वारा जून 2019 में विभिन्न विभागों के द्वारा निष्पादित श्रम से संबंधित परियोजनाओं से संग्रहित श्रम उपकर को लेखांकित करने के लिए एक अलग उप—शीर्ष 8443—00—108—0004 खोला गया है।

3.2.1 श्रम उपकर के अधीन व्यय

भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (जनवरी 2020) के अनुसार उनके लेखाओं को वर्ष 2015—16 तक ही अंतिमीकरण किया गया है।

2018—19 के अवधि के श्रम उपकर के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि 01 अप्रैल 2018 के आरंभिक शेष (₹ 1,186.38 करोड़) तथा 31 मार्च 2018 के अंतशेष (₹ 1,099.06 करोड़) के मध्य ₹ 87.32 करोड़ का अंतर था। इसे इंगित किये जाने पर बोर्ड ने बताया (जनवरी 2020) कि 2017—18 के अंतशेष में ₹ 87.32 करोड़ के ब्याज की राशि को समाहित नहीं किये जाने के कारण अंतर था।

2018—19 के दौरान ₹ 520.30 करोड़ के कुल प्राप्तियों में से ₹ 360.06 करोड़ श्रम उपकर के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें से वर्ष के दौरान ₹ 83.39 करोड़ व्यय किये गये थे जिसमें कल्याणकारी योजनाओं (₹ 80.81 करोड़), प्रशासनिक व्यय (₹ 2.56 करोड़) तथा बैंक प्रभार (₹ 0.02 करोड़) पर किया गया व्यय शामिल था। योजनावार व्यय तालिका 3.3 में विस्तृत है:

तालिका 3.3: 2018—19 के दौरान विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	एकल लाभुक के लिए निर्धारित दर	लाभुक की संख्या	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विवाह के लिए वित्तीय सहायता	0.5 लाख	341	170.50
2	मातृत्व लाभ	0.1 लाख	46	4.60
3	मृत्यु लाभ	प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹1.00 लाख, 02.06.2019 से प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹ 2.00 लाख और दुर्घटना से मृत्यु के लिए ₹ 4.00 लाख	59	110.00
4	अंतिम संस्कार सहायता	0.01 लाख 01.10.2018 से 0.05 लाख	37	0.37
5	मकान की मरम्मत के लिए अनुदान	0.20 लाख	371	74.20
6	विकलांगता भत्ता	0.01 लाख	11	1.32
7	वार्षिक चिकित्सा सहायता	0.03 लाख	2,57,345	7,720.35
योग			2,58,173	8,081.34

(स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

बोर्ड के कुल ₹ 1,706.68 करोड़ के उपलब्ध निधि में से केवल ₹ 83.39 करोड़ (4.89 प्रतिशत) का व्यय किया गया। बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर 15⁸ कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही थीं, लेकिन व्यय केवल सात योजनाओं पर किया गया जिससे 2,58,173 श्रमिकों (कुल 13,87,686 पंजीकृत श्रमिकों का 18.60 प्रतिशत) को लाभ पहुंचाया गया। बिहार सरकार के राजपत्र अधिसूचना⁹ के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से “वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना” के अंतर्गत प्रत्येक योग्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के खाते में ₹ 3,000 की राशि अंतरित की जानी थी। हालांकि, वर्ष के दौरान कुल पंजीकृत श्रमिकों में से केवल 2,57,345 श्रमिकों (18.54 प्रतिशत) को ही वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

कल्याण बोर्ड ने अपने जवाब (दिसम्बर 2019) में बताया कि शेष पंजीकृत निर्माण कामगारों को उनके बैंक खातों की वांछित जाँच के बाद वार्षिक चिकित्सा सहायता के अंतर्गत ₹ 0.00 टी 0 के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

3.2.2 रोकड़ बही में अनियमिततायें

भ0अ0नि0श0 कल्याण बोर्ड 14 सहायक रोकड़ बही (बैंक खातावार) संधारित कर रहा था लेकिन कोई समेकित सामान्य रोकड़ बही संधारित नहीं था। 31 मार्च 2019 को, 14 सहायक रोकड़ बहीओं का कुल अंतर्शेष ₹ 503.04 करोड़ था वहीं बैंक खातों का कुल अंतर्शेष ₹ 531.66 करोड़ था, परिणामस्वरूप, ₹ 28.62 करोड़ का अंतर था। इसमें 2014–15 से एस0बी0आई0 खाता सं0 30422296857 से संबंधित सहायक रोकड़ बही का ₹ 1.84 करोड़ का अंतर भी शामिल था जैसा कि बैंक समाशोधन विवरणी में दृष्टव्य है। बोर्ड ने बताया कि अंतर को निबटाने के लिए बैंक से पत्राचार किया जा रहा है।

वित्त विभाग द्वारा (अक्टूबर 2007) सूचित किया गया था कि सरकारी राशि के अंतरण पर बैंकों द्वारा कोई भी प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि देखा गया कि छः बैंक खातों से बैंक प्रभार के रूप में ₹ 0.02 करोड़ कटौती की गयी थी। बोर्ड ने बताया कि बैंक प्रभार के रूप में कटौती की गयी राशि वापस करने के संबंध में बैंक से पत्राचार (अक्टूबर 2018 और जून 2019) किया गया है।

अनुशंसा: बिहार भ0अ0नि0श0 कल्याण बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ससमय लेखा तैयार हो तथा प्रासंगिक अभिलेख का संधारण हो ताकि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार तथा उनके लिये लागू योजनाओं के अधीन उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिदेश को पूरा किया जा सके।

3.3 लेखाओं में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 के बैंक लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना है चूंकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है क्योंकि ऐसे शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को प्रकट नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पक्ष के 12 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 120.65 करोड़ (₹ 1,45,955.06 करोड़ के कुल व्यय का 0.08 प्रतिशत) को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष ‘800–अन्य व्यय’ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

⁸ सार्वकालिक क्रय के लिए अनुदान, औजारों के क्रय हेतु अनुदान, लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता, पारिवारिक पेंशन, नकद पुरस्कार, शिक्षा तथा पितृत्व लाभ हेतु वित्तीय सहायता।

⁹ एस0ओ0 257 दिनांक 4 अक्टूबर 2018 तथा 268 दिनांक 31 अक्टूबर 2018।

इसी प्रकार, प्राप्ति पक्ष के 43 मुख्य शीर्षों के अधीन (सहायता अनुदान को छोड़कर) ₹ 1,460.41 करोड़ (₹ 1,31,793.45 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का 1.11 प्रतिशत) को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्षों ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

व्यय एवं प्राप्तियों के पर्याप्त अनुपात (संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन प्राप्ति व्यय का 10 प्रतिशत या अधिक) को लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियों/व्यय’ के अन्तर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों एवं व्यय के उदाहरण क्रमशः **परिशिष्ट 3.2 एवं परिशिष्ट 3.3** में विस्तृत हैं।

बड़ी राशियों का वर्गीकरण सर्वव्यापी लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियों/व्यय’ के अंतर्गत करने से वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता का अभाव प्रदर्शित हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग, महालेखाकार (लै० एवं हक०) के परामर्श से सभी मदों की व्यापक समीक्षा करा सकता है जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।

3.4 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

निश्चित मध्यवर्गी / समायोजन शीर्ष जो 8658—उचंत शीर्ष से जाना जाता है, सरकारी लेखों में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसके प्रकृति की जानकारी न होने के कारण एवं अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका 3.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.4: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658—101—वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	296.05	0.00	335.27	0.00	314.56	0.00
निवल		(नामे) 296.05	(नामे) 335.27		(नामे) 314.56	
8658—102—उचंत लेखा (सिविल)	4,673.39	297.35	4,059.01	309.73	4,408.94	452.87
निवल		(नामे) 4,376.04	(नामे) 3,749.28		(नामे) 3,956.07	
8658—110—रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,265.00	894.60	1,276.72	894.62	1,280.04	894.61
निवल		(नामे) 370.40	(नामे) 382.10		(नामे) 385.43	
8782—102—लोक निर्माण प्रेषण	1,18,943.96	1,18,827.32	16,469.13	15,520.08	16,746.56	15,838.27
निवल		(नामे) 116.64	(नामे) 949.05		(नामे) 908.29	
8782—103—वन प्रेषण	2,535.84	2,318.34	2,779.39	2,535.37	3,146.33	2,937.60
निवल		(नामे) 217.50	(नामे) 244.02		(नामे) 208.73	

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 8658—102—उचंत लेखा (सिविल) के अन्तर्गत ₹ 206.79 करोड़ (नामे), 8658—110—रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 3.33 करोड़ (नामे) की निवल

वृद्धि और 8658–101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अन्तर्गत ₹ 20.71 करोड़ (नामे), 8782–102–लोक निर्माण प्रेषण के अन्तर्गत ₹ 40.76 करोड़ (नामे) एवं 8782–103–वन प्रेषण के अन्तर्गत ₹ 35.29 करोड़ (नामे) की कमी हुई।

यदि ये राशियाँ अस्पष्ट रह जाती हैं तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत नहीं करेगी।

अनुशंसा: उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए वित्त विभाग द्वारा संबद्ध इकाई की मदद से प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् 30 सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर कम्पनी का प्रत्येक जबाबदेह अधिकारी जो ऐसी चूक करता है, उस पर एक वर्ष तक के लिए बढ़ाये जाने वाले कारावास से या अर्थदण्ड जो 50 हजार रुपये से कम न हो और जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान है। इस प्रकार, सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन, जिनके लेखे बकाया में हैं इस तरह के किसी भी डिफॉल्ट के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। आगे, 1977 में निकाय के रूप में गठित लेखा मानक बोर्ड (ए०एस०बी०) के पर्यवेक्षण में निर्गत भारतीय लेखा मानक (भा०ले०मा०) को भारत में कम्पनियों द्वारा अपनाया गया है। हालांकि वर्तमान में भा०ले०मा० केवल छः सा०क्षे०उ०¹⁰ पर ही लागू है।

सितम्बर 2019 तक बिहार में कुल 78 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा०क्षे०उ०) थे जिसमें 31 कार्यशील कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) और 44 अकार्यशील कंपनियों के अंतर्गत परिसमापन के तहत पाँच कंपनियाँ भी शामिल थीं।

3.5.1 कार्यशील कंपनियों के बकाये लेखे

30 सितम्बर 2019 तक, 34 कार्यशील सा०क्षे०उ० (सांविधिक निगम के सहित) में से, केवल एक सा०क्षे०उ०¹¹ ने 2018–19 के लेखे का अन्तिमीकरण किया था जबकि 15 सा०क्षे०उ० के एक वर्ष के लेखे का बकाया था। बचे हुए 18 सा०क्षे०उ०¹² के लेखे का बकाया 2 से 16 वर्ष का था। कुल मिलाकर कार्यशील सा०क्षे०उ० के 136 लेखे का बकाया था जो **परिचाष्ट 3.4** में विस्तृत है।

लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप समयावधि के पश्चात् महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की अनुप्लब्धता या हानि हो सकती है जो कि तथ्यों की गलत प्रस्तुतिकरण व्याख्या, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना से भरा हुआ है।

¹⁰ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड तथा बिहार राज्य पावर (हॉलिंग) कम्पनी लिमिटेड।

¹¹ बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

¹² प्रतिवर्ष एक खाते की दर से।

3.5.2 अकार्यशील कंपनियों, के बकाये लेखे

उपरोक्त के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2019 तक, सभी अकार्यशील सा०क्षे०उ० के लेखे बकाये थे। 44 अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से पाँच सा०क्षे०उ०¹³ विघटन की प्रक्रिया में थे। शेष 39 अकार्यशील सा०क्षे०उ० के 1,084 लेखे बकाये थे। बिहार राज्य कृषि उद्योग लिमिटेड के एक वर्ष के लेखे बकाये थे, जबकि स्काडा कृषि व्यापार निगम लि० तथा बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, प्रत्येक के चार वर्ष के लेखे बकाये थे जबकि शेष 36 सा०क्षे०उ० में 1,056 लेखे 10 से 42 वर्षों के लिए बकाये थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विस्तृत है।

लेखाओं के अंतिमीकरण नहीं होने के कारण नियंत्रक—महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के पूरक और निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम के अनुसार उनके सांविधिक लेखापरीक्षा एक से लेकर 42 वर्षों की अवधि तक नहीं करवा सके।

3.5.3 बकाये लेखे वाले सा० क्षे० उ० को बजटीय सहायता

इन सा०क्षे०उ० के खातों के अभाव में जिससे उनकी वित्तीय सहायता हेतु माँगों के वास्तविकता का आकलन किया जा सके, सरकार ने 30 सा०क्षे०उ० को नियमित बजटीय सहायता द्वारा ₹ 30,481.18 करोड़ (इकिवटी— ₹ 10,232.23 करोड़, ऋण— ₹ 3,171.54 करोड़, पूँजी अनुदान— ₹ 2,410.12 करोड़ और सांस्कृतिक— ₹ 7,914.08 करोड़) और स्वीकृत दायित्व (गारंटी)— ₹ 6,753.21 करोड़, प्रदान किया यद्यपि 31 मार्च 2019 तक उनके लेखे बकाये थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में विस्तृत है। इन सा०क्षे०उ० ने पिछले एक से 42 वर्षों तक अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम/सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है। 17 सा०क्षे०उ० के लेखे पाँच वर्ष से ज्यादा से बकाये थे। इन 30 सा०क्षे०उ० में से 21 सा०क्षे०उ० घाटे में चलने वाले थे। राज्य सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या यह व्यय धन—के—महत्व का है एवं क्या ऐसी सहायता को युक्ति—संगत रूप से पूँजीगत व्यय के इकिवटी एवं ऋण के अन्तर्गत प्रविष्ट किया जा सकता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को उन सभी सा०क्षे०उ० के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ निरंतर, लेखे बकाये में हैं, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।

3.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुतीकरण

बिहार वित्तीय नियमावली (बि०वि०नि०) का नियम 342 यह निर्दिष्ट करता है कि जहाँ सहायता अनुदान विशेष उद्देश्य हेतु प्रदान किया जाता है वहाँ संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू०सी०) प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् अनुदान के आहरण के 18 महीने के भीतर महालेखाकार (ले० व हक०) को अग्रसारित कर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस निधि का उपयोग अभिष्ट उद्देश्यों हेतु किया गया है।

हालांकि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक 33 विभागों में ₹ 55,405.09 करोड़ के 2,453 यू०सी० लंबित थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्ष—वार स्थिति को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

¹³ बिहार फिनिस्ड लेदर लि०, बिहार राज्य लेदर उद्योग विकास कारपोरेशन लि०, कुमाख्युमी मेटल कारिंग एवं इंजीनियरिंग लि०, बिहार राज्य लघु उद्योग कारपोरेशन लि०, बिहार राज्य एक्सपोर्ट कारपोरेशन।

तालिका 3.5: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष (*)	प्रतिक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
1.	2016-17 तक	1,812	19,847.73
2.	2017-18	484	17,895.52
3.	2018-19	157	17,661.84
योग		2,453	55,405.09


(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष “लंबित वर्ष” से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्)

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से 89.35 प्रतिशत सात विभागों से संबंधित है जैसा कि **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (विभाग वार)

(रु करोड़ में)



यद्यपि, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अप्रस्तुतिकरण के दृष्टांत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। कई मामलों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं ने लगातार उन्हीं विभागों से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किये, जबकि उनके पूर्व के अनुदान के यूसी० लंबित हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदत सूचना के अनुसार वर्ष 2014–15 के कुल लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि ₹ 14,174.26 करोड़ से बढ़कर जून 2019 तक ₹ 17,119.88 करोड़ हो गयी। इनमें से ₹ 5,753.83 करोड़ की शत-प्रतिशत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र 14 विभिन्न योजनाओं से संबंधित थे। इसके अलावा, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन किये बिना ₹ 13,240.39 करोड़ निर्गत किये गये। आगे, नौ योजनाओं जो प्रचलन में नहीं थे, के अन्तर्गत ₹ 1,724.54 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था (11/07/2019 तक) जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: बंद योजनाओं की लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बंद योजनाओं / शीर्षों के नाम	योजनाओं की अवधि	लंबित यू०सी० की राशि
1	क्षेत्रीय पिछळा अनुदान निधि योजना (बी०आर०जी०एफ०)	2007-08 to 2014-15	250.03
2	बी०आर०जी०एफ० क्षमतावर्धक (आई०टी०सेल)	2008-09 to 2015-16	3.02
3	बी०आर०जी०एफ० क्षमतावर्धक (प्रशिक्षण)	2009-10 to 2014-15	33.18
4	एकीकृत कार्य योजना	2010-11	150
5	तृतीय राज्य वित्त आयोग	2007-08 to 2012-13	25.01
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2011-12 to 2014-15	345.72
7	बारहवाँ वित्त आयोग	2005-06 to 2009-10	586.74
8	तेरहवाँ वित्त आयोग	2010-11 to 2015-16	283.58
9	मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना	2012-13 to 2014-15	47.26
कुल योग			1,724.54

लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अप्राप्ति के बावजूद अनुदान को निर्गत करने के संबंध में विभाग ने बताया (सितम्बर 2019) कि वित्त विभाग से अनुमोदन के पश्चात ही राशि निर्गत की गई थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान निर्गत करने की छूट (फरवरी 2019) इस शर्त पर विभाग को दी गई कि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को 31 मार्च 2019 तक समर्पित कर देना होगा। यद्यपि, विभाग द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग निर्धारित समय सीमा में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित करें तथा उस अवधि तक प्रशासनिक विभाग, दोषी अनुदानग्राहियों को आगे अनुदान जारी न करे।

3.7 लंबित सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बि० को० सं०), 2011 का नियम 177 प्रावधानित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र दिया जाएगा कि सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि को वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। आगे, बि० को० सं०, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए०सी० विपत्र आहरित की गयी हो उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित डी०सी० विपत्र अभिश्रव सहित महालेखाकार (ले० एवं हक०) को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई ए०सी० विपत्र आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि डी०सी० विपत्र प्रस्तुत न किया जाए। डी०सी० विपत्र की विलंब प्रस्तुति अथवा दीर्घकालीन प्रस्तुति ए०सी० विपत्र के व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2019 तक समायोजन हेतु लंबित बकाया ए०सी० विपत्रों का विवरण तालिका 3.7 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.7: ए0सी0 विपत्रों के आहरण और समायोजन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरित ए0सी0 विपत्र	वर्ष के दौरान समायोजित डी0सी0 विपत्र	समायोजन के लिए लंबित ए0सी0 विपत्र		
	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि	
2016-17 तक	1,02,717	44,796.59	89,894	42,204.84	12,823
2017-18	1,540	2,906.91	281	313.71	1,259
2018-19	1,453	631.50	40	45.90	1,413*
योग	1,05,710	48,335.00	90,215	42,564.45	15,495
					5,770.55

* 1,380 ए0सी0 विपत्रों में ₹ 553.20 करोड़ के 1,413 ए0सी0 विपत्र 31 मार्च 2019 के बाद तक देय होंगे।


(स्रोत: वर्ष 2018-19 का वित्त लेख)

यह देखा गया की वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 631.50 करोड़ के 1,453 ए0सी0 विपत्रों का आहरण किया गया था जिनमें से ₹ 296.97 करोड़ (वर्ष के दौरान ए0सी0 विपत्रों से आहरित कुल राशि का 47.03 प्रतिशत) के 1,140 विपत्रों का आहरण केवल मार्च 2019 में किया गया था एवं इसमें से ₹ 2.16 करोड़ के 28 ए0सी0 विपत्रों का आहरण वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन किया गया था। ₹ 585.60 करोड़ के 1,413 डी0सी0 विपत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक प्रस्तुत नहीं किये गये। इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 585.60 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2018-19 में व्यय की एक संभावित अतिशयता है। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया हैं, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि की संभावना को बढ़ावा देता हैं।

₹ 5,770.55 करोड़ के कुल असमायोजित ए0सी0 विपत्रों में से ₹ 2,940.25 करोड़ (50.95 प्रतिशत) तीन मुख्य शीर्षों से संबंधित हैं जो कि चार्ट 3.2 में विस्तृत हैं।

चार्ट 3.2: मुख्य शीर्ष-वार असमायोजित ए0सी0 विपत्र

(₹ करोड़ में)



अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से परे लंबित १०सी० विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित करें कि १०सी० विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ किया जा सकता है जो १०सी० विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।

3.8 निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

सा०क्षे०उ० द्वारा वित्त लेखे 2018–19 से संबंधित उपलब्ध कराये गये सूचना की संवीक्षा से पता चला कि आँकड़ों में अंतर था जैसा नीचे तालिका 3.8 में दर्शाया गया है (परिशिष्ट 3.7 में विवरण प्रदान किया गया है)।

तालिका 3.8: वर्ष 2018–19 के दौरान निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ब्यौरा	वित्त लेखे के अनुसार आँकड़े	सा०क्षे०प० के अनुसार आँकड़े	अंतर
1	निवेश	27,141.01	35,742.52	8,781.32
2	ऋण	4,074.64	4,858.55	3,410.45
3	प्रत्याभूतियों	5,034.60	4,923.11	5,252.45

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखा एवं सा०क्षे०उ० से प्राप्त सूचना)

निवेशों, ऋणों तथा प्रत्याभूतियों के आँकड़े में पाए गए सभी अंतर समाशोधन के अधीन है।

अनुशंसा: राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों से संबंधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (ले० एवं हक०) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

3.9 जमा राशि पर ब्याज की कम अदायगी

राज्य सरकार को शीर्ष 8011–106–बीमा तथा पेंशन निधि (₹ 41.32 करोड़) एवं 8342–अन्य जमा–117– सरकारी कर्मचारी के लिए परिभाषित योगदान पेंशन योजना (₹ 86.96 करोड़) में 31 मार्च 2018 तक प्रदर्शित जमा शेष पर ब्याज देना अपेक्षित था। लोक खाते से संबंधित इन शीर्षों में कुल ₹ 128.28 करोड़ की राशि शेष थी। वर्ष 2018–19 में जमा राशि पर देय ब्याज ₹ 10.26 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6.52 करोड़ का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, 2018–19 के लिए राजस्व अधिशेष में ₹ 3.74 करोड़ का अतिशयता दर्शाया गया जैसा कि कंडिका 3.11 में प्रदर्शित है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी ब्याज निक्षेपों के संबंध में देय ब्याज दर्ज करनी चाहिए।

3.10 सामान्य भविष्य निधि (सा०भ०नि०) पर ब्याज का समायोजन

राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज देयता का पूर्णतः निर्वहन नहीं किया है, जैसा कि तालिका 3.9 में वर्णित है:

तालिका 3.9: सामान्य भविष्य निधि के तहत शेष राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

साठभ०नि० श्रेणी	2018–19 के प्रारंभ में शेष	बकाया ब्याज	जमा ब्याज
सामान्य भविष्य निधि	10,136.27	810.90	407.37
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	214.55	17.16	12.00
कुल	10,350.82	828.06	419.37

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेख)

₹ 408.69 करोड़ के ब्याज के कम प्रावधान से निधि में प्रतिकूल संतुलन हो सकता है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2018–19 में राजस्व अधिशेष में ₹ 408.69 करोड़ का अतिशयता किया गया था जैसा कि कांडिका 3.11 में दर्शाया गया है।

3.11 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 600.75 करोड़, प्रत्येक को राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई जिसे तालिका 3.10 में दिया गया है:

तालिका 3.10: राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मद	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिशयता	न्यूनोक्ति	अतिशयता	न्यूनोक्ति
1.	ब्याज वाहक आरक्षित निधि तथा जमा पर ब्याज का कम जमा किया जाना	3.74	-	-	3.74
2.	सामान्य भविष्य निधि (साठभ०नि०) पर ब्याज का कम समायोजन	408.69	-	-	408.69
3	नई पेंशन योजना	188.32	-	-	188.32
कुल योग		अतिशयता 600.75		न्यूनोक्ति 600.75	

(स्रोत : वर्ष 2018–19 का वित्त लेख)

उपरोक्त को देखते हुए राज्य का राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा जो कि क्रमशः ₹ 6,896.65 करोड़ एवं ₹ 13,806.76 करोड़ था वास्तव में ₹ 6,295.90 करोड़ एवं ₹ 14,407.51 करोड़ होगा। राज्य के प्रदर्शन पर समग्र प्रभाव का वर्णन कांडिका 1.1.2 में किया गया है।

3.12 असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, यदि धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र में न्यून आहरण अथवा चालान, जो पहला संभावित अवसर हो, द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक जमा होनी चाहिए जिसमें यह आहरित हुई है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि आकस्मिक विपत्रों पर आहरित धन को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा एवं अव्ययित राशि को वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में प्रेषित किया जाएगा।

यह पाया गया कि आठ विभागों/संगठनों के कार्य विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित अस्थायी अग्रिम की ₹ 184.52 करोड़ की राशि 31 मार्च 2019 तक समायोजन हेतु लंबित थी, जो कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापसी हेतु योग्य थी। आगे, ₹ 25.46 करोड़ की राशि इन कार्य विभागों में अग्रदाय के रूप में भी पड़ी थी। 31 मार्च 2019 तक विभागवार/संगठनवार लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय को तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: मार्च 2019 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग/संगठन का नाम	अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1.	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2.	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
5.	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
6.	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
7.	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8.	लघु जल संसाधन	12.02	0.23	12.25
कुल		184.52	25.46	209.98

(स्रोत : वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।

3.13 राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

15 नवम्बर 2000 से प्रभावी समग्र बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक के बाद भी, उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच पूँजी (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋणों एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग—III के अधीन लोक खातों (रिजर्व बैंक में जमा को छोड़कर) के अंतर्गत ₹ 11,148.69 करोड़ की शेष राशि को विभाजित किया जाना शेष है।

आगे, बिहार एवं झारखण्ड के बीच तब के मौजूद 12 सालों¹⁴ के परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था। यथापि, सितम्बर 2019 तक केवल पाँच सालों¹⁵ के संबंध में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।

पटना

(डॉ नीलोत्पल गोस्वामी)

दिनांक: 2 अगस्त 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(राजीव महर्षि)

दिनांक: 5 अगस्त 2020

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

14 बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं अरोग्यिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

15 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े		
क्रम सं.	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	94,163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या 2019 के अनुसार	10.79 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)	33.70 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	61.80 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 33 प्रति 1,000 जन्म पर)	35
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 68.70 वर्ष)	68.70 वर्ष
8	2018–19 के चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) (₹ करोड़ में)	5,57,490
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ¹ सी.ए.जी.आर. ² (2011–12 से 2018–19)	बिहार सामान्य कोटि के राज्य
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2011–12 से 2018–19)	बिहार सामान्य कोटि के राज्य
11	जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)	बिहार सामान्य कोटि के राज्य

ब. वित्तीय आँकड़े

क्रम सं.	विवरण	(आँकड़े प्रतिशत में)			
		2009–10 से 2017–18		2017–18 से 2018–19	
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.03	16.12	12.77	12.22
ख	कर राजस्व का	14.84	14.04	12.72	27.11
ग	गैर कर राजस्व का	9.88	9.71	19.78	17.79
घ	कुल व्यय का	14.20	15.78	12.73	11.88
ঢ	पूँजीगत व्यय का	13.53	18.71	11.93	(-)27.15
চ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.44	15.37	9.38	15.69
ছ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	20.06	11.09	7.17
জ	वेतन एवं मजदूरी का	11.72	7.93	11.03	12.32
ঝ	पेंशन का	16.12	16.14	14.31	12.16

ग्रोत: (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.08.2019)।

¹ जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

² सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना: सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की संचित निधि” कहा जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लिये प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग III लोक लेखा: कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं हैं, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख:वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखे दो भागों में विभाजित हैं। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण को सामान्य समक्ष में आने वाली सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत करता है वहीं भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।	
भाग I में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।	
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण: यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलना दर्शाता है।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण: यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होती है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि): इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि): वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। ‘अन्य दायित्वों’ में ‘लघु बचत, भविष्य निधि आदि, ‘आरक्षित निधि तथा ‘जमा’ सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होती है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होती है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा व्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
विवरण संख्या 11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण: यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शने में सहायता करता है।
विवरण संख्या 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होनी चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होती है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं—भाग—I में नौ विस्तृत विवरणीयाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।	
विवरण संख्या 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण: यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण: यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होती है, राज्य सरकार की योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाएं जाते हैं।
विवरण संख्या 16	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर-योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाती है।
विवरण संख्या 17	उधार तथा अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण: यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतान राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का व्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करती है।
विवरण संख्या 18	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विस्तृत विवरण: यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 22	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाती है।

(अंग्रेजी अनुवाद : वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)
वर्ष 2018-19 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2017-18		2018-19		2017-18			2018-19	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
खण्ड: 3 राजस्व										
1,17,446.74	I	राजस्व प्राप्तियाँ		1,31,793.45	1,02,623.73	I	राजस्व व्यय	77,531.84	47,364.97	124,896.81
23,136.49		कर राजस्व	29,408.14		33,374.30		सामान्य सेवाएँ	38,405.60	285.42	38,691.02
3,506.74		करेतर राजस्व	4,130.56		45,769.47		सामाजिक सेवाएँ	19,937.09	38,347.22	58,284.31
65,083.38		संधीय करों का राज्यांश	73,603.13		23,314.59		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	12,444.98	14,578.55	270,23.53
(-) 5.00		गैर योजना अनुदान	0.00		5,616.58		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,523.24	2,648.87	6,172.11
(-) 2.20		राज्य केन्द्रशासित प्रदेशों की योजना के लिए अनुदान	(-) 2.82		5,676.28		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,822.57	12,098.86	13,921.43
(-) 1.00		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	0.00		130.82		सूचना एवं प्रसारण	109.59	77.69	187.28
13,312.26		केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	16,322.72		950.60		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	182.87	1,981.52	2,164.39
4,525.06		वित्त आयोग अनुदान	4,775.20		320.40		श्रम एवं श्रम कल्याण	133.58	383.47	517.05
7,891.01		अन्य हस्तांतरण/राज्य को अनुदान	3,556.52		9,685.22		समाज कल्याण एवं पोषाहार	1,642.39	6,578.74	8,221.13
					74.98		अन्य	77.87	(-) 0.48	77.39
					23,475.93		आर्थिक सेवाएँ	1,9185.24	8,732.33	27,917.57
					3,625.59		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,050.52	2,585.29	3,635.81
					11,212.22		ग्रामीण विकास	7,452.30	3,903.70	11,356.00
					1,301.16		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,230.37	129.29	1,359.66
					4,304.66		ऊर्जा	6,359.27	563.76	6,923.03
					755.92		उद्योग एवं खनिज	235.13	605.25	840.38
					1,401.80		परिवहन	2,614.14	181.24	2,795.38
					874.58		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	243.51	763.80	1,007.31
					4.03		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.91	0.00	3.91
					1,02,623.73		कुल			1,24,896.81
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			14,823.01	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष			6,896.64

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग	
1,17,446.74	कुल	1,31,793.45	1,17,446.74	कुल					1,31,793.45	
खण्ड ब अन्य										
17,062.20	III	स्थायी अधिगम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष		22,081.56		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		28,906.95	IV	पूँजीगत परिव्यय	58.82	20,999.43	21,058.25	
				2,764.61		सामान्य सेवाएँ	29.66	3,281.66	3,311.32	
				4,258.34		सामाजिक सेवाएँ	15.31	4,045.91	4,061.22	
				1,518.70		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,056.22	1,056.22	
				564.97		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	1,145.71	1,145.71	
				1,932.54		जलपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	15.31	1,701.27	1,716.58	
				30.10		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	27.21	27.21	
				103.74		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	73.51	73.51	
				108.29		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	41.99	41.99	
				21,884.00		आर्थिक सेवाएँ	13.84	13,671.87	13,685.71	
				198.14		कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप	0.00	104.59	104.59	
				6,387.66		ग्रामीण विकास	0.00	960.40	960.40	
				0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				2,665.49		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	2,046.00	2046.00	
				6,931.11		ऊर्जा	0.00	5,035.36	5,035.36	
				110.48		उद्योग एवं खनिज	13.84	83.86	97.70	
				5,402.44		परिवहन	0.00	5,275.24	5275.24	
				188.68		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	166.42	166.42	
21.89	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		1,825.40	242.78	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	63.30	1407.26	1,470.56
		विद्युत परियोजनाओं / अन्य से	330.25		224.35		विद्युत परियोजनाओं के लिए	41.12	115.26	156.38
		सरकारी सेवकों से	19.10		18.23		सरकारी सेवकों को	22.13	0.00	22.13

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
		अन्य से	1476.05		0.20	अन्य को	0.05	1292.00	1292.05
14,823.01	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		6,896.64		VI	राजस्व धाटा नीचे ले जाए गए		
13,169.42	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		18,668.20	4,653.55	VII	लोक ऋण का पुनर्मुग्तान		7,229.82
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण		
11,770.77		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्रॉफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	16,134.42				अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्रॉफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण		6,299.49
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन		
		ओभर ड्रॉफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन							
1,398.65		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,533.78				केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्मुग्तान		930.33
		अंतर्राज्यीय समाशोधन					अंतर्राज्यीय समाशोधन		
6,053.42	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		6,729.61	6,053.42	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		6,729.61
	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का अंतरण				IX	आकस्मिकता निधि से व्यय		
57,107.24	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		68,259.14	46,298.92	X	लोक लेखा संवितरण		67,135.02
1,844.09		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	2,291.43				लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	2,013.64	
1,414.92		आरक्षित निधि	2,214.54				आरक्षित निधि	1,430.65	
805.73		उचंत एवं विविध	1,159.32				उचंत एवं विविध	1,504.44	
9,862.58		प्रेषण	11,697.63				प्रेषण	11,621.58	
43,179.92		जमा एवं आग्रिम	50,896.22				जमा एवं आग्रिम	50,564.71	
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्रॉफ्ट			22,081.56	XI	अंतिम रोकड़ शेष		20,837.31
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
							रिजर्व बैंक के पास जमा	157.12	
							विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	993.17	
							रोकड़ शेष निवेश	19,687.02	
2,25,683.92		योग		2,56,254.00	2,25,683.92		योग		2,56,254.00

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष, 2018-19)

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.2.4; पृष्ठ 6)

वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+) / घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/ घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	1,58,051.41	1,31,793.45	(-)26,257.96	(-)16.61
कर राजस्व	31,002.03	29,408.14	(-)1,593.89	(-)5.14
करेतर राजस्व	4,445.89	4,130.56	(-)315.33	(-)7.09
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	76,172.37	73,603.13	(-)2,569.24	(-)3.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	46,431.12	24,651.62	(-)21,779.50	(-)46.91
राजस्व व्यय	1,36,739.67	1,24,896.81	(-)11,842.87	(-)8.66
सामान्य सेवाएँ	40,233.85	3,8691.02	(-)1,542.84	(-)3.83
राज्य का अंग	1451.16	1,306.25	(-)144.91	(-)9.99
राजकोषीय सेवाएँ	1,081.64	855.49	(-)226.14	(-)20.91
ब्याज भुगतान एवं कर्ज परिशोधन	11,538.67	10,855.04	(-)683.63	(-)5.92
प्रशासनिक सेवाएँ	10,333.57	9,703.28	(-)630.31	(-)6.10
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	15,828.81	15,970.96	142.15	0.90
सामाजिक सेवाएँ	66,921.56	58,284.31	(-)8,637.25	(-)12.91
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	32,252.33	27,023.53	(-)5,228.80	(-)16.21
स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण	6,456.20	6,172.11	(-)284.09	(-)4.40
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	16,263.07	13,921.43	(-)2,341.64	(-)14.40
सूचना एवं प्रसारण	233.15	187.28	(-)45.87	(-)19.67
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,934.99	2,164.39	(-)770.60	(-)26.26
श्रम एवं श्रम कल्याण	684.68	517.05	(-)167.63	(-)24.48
समाज कल्याण एवं पोषाहार	7,949.78	8,221.13	271.35	3.41
अन्य	147.36	77.39	(-)69.97	(-)47.48
आर्थिक सेवाएँ	29,578.22	27,917.57	(-)1,660.65	(-)5.61
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	4,934.79	3,635.81	(-)1,298.98	(-)26.32
ग्रामीण विकास	14,275.96	11,356.00	(-)2,919.96	(-)20.45
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,384.11	1,359.66	(-)24.45	(-)1.77
ऊर्जा	4,439.09	6,923.03	2,483.94	55.96
उद्योग एवं खनिज	861.91	840.38	(-)21.53	(-)2.50
परिवहन	2,319.85	2,795.38	475.53	20.50
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,362.51	1,007.31	(-)355.20	(-)26.07
सहायता अनुदान एवं अंशदान	6.04	3.91	(-)2.13	(-)35.26
पूँजीगत व्यय	32,416.87	2,1058.25	(-)11,358.62	(-)35.04
सामान्य सेवाएँ	3,295.19	3,311.32	16.13	0.49
सामाजिक सेवाएँ	5,179.49	4,061.22	(-)1,118.27	(-)21.59
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,159.10	1,056.22	(-)102.88	(-)8.88
स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण	1,108.23	1,145.71	37.48	3.38
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2,500.08	1,716.58	(-)783.5	(-)31.34
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	35.50	27.21	(-)8.29	(-)23.35
समाज कल्याण एवं पोषाहार	376.58	73.51	(-)303.07	(-)80.48
अन्य	0.00	41.99	41.99	0
आर्थिक सेवाएँ	23,942.20	13,685.71	(-)10,256.49	(-)42.84
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	241.71	104.59	(-)137.12	(-)56.73
ग्रामीण विकास	9,798.98	960.40	(-)8,838.58	(-)90.20
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,610.32	2046.00	(-)564.32	(-)21.62
ऊर्जा	5,424.83	5,035.36	(-)389.47	(-)7.18
उद्योग एवं खनिज	74.10	97.70	23.60	31.85
परिवहन	5,535.94	5,275.24	(-)260.70	(-)4.71
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	256.32	166.42	(-)89.90	(-)35.07
राजस्व अधिशेष	21,311.74	6,896.64	(-)14,415.10	(-)67.64
राजकोषीय घाटा	11,203.95	13,806.76	2,602.81	23.23
प्राथमिक घाटा	440.46	3,735.62	3,295.16	748.12

(स्रोत: बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेख, वर्ष 2018-19)

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: कंडिका 1.3.2; पृष्ठ 9)
राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794
(i) कर राजस्व	20,750 (26)	25,449(26)	23,742(23)	23,137(20)	29,408(22)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,607 (41)	10,603(42)	11,873(50)	8,298(36)	6,584(23)
राज्य उत्पाद	3,217 (16)	3,142(12)	30(0)	(-)3.00(0)	(-)10(0)
वाहन पर कर	964 (5)	1,081(4)	1,257(5)	1,599(7)	2,086(7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,699 (13)	3,409(13)	2,982(13)	3,726(16)	4,189(14)
भू-राजस्व	277 (1)	695(3)	971(4)	779(3)	477(2)
माल एवं यात्री कर	4,451 (21)	6,087(24)	6,245(26)	1,645(7)	399(1)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	6,747(29)	15,288(52)
अन्य कर	535 (3)	432(2)	384(2)	346(2)	395(1)
(ii) करेतर राजस्व	1,558 (2)	2,186(2)	2,403(2)	3,507(3)	4,131(3)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	36,963 (47)	48,923(51)	58,881(56)	65,083(55)	73,603(56)
(iv) भारत सरकार से अनुदान	19,146 (24)	19,565(21)	20,559(19)	25,720(22)	24,652(19)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,493	19	23	22	1,825
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	79,910	96,142	1,05,608	1,17,469	1,33,619
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,917	18,383	21,577	13,169	18,668
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	13,199	17,565	20,065	11,771	16,134
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	718	818	1,512	1,398	2,534
6. अंतर्राजीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	93,827	1,14,525	1,27,185	1,30,638	1,52,287
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	40,251	49,106	61,730	57,107	68,259
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	1,34,078	1,63,631	1,88,915	1,87,745	2,20,546
खंड ब व्यय / संवितरण					
11. राजस्व व्यय	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897
योजना	25,511 (35)	29,651(35)	33,576(35)	35,951(35)	47,365(38)
स्थापना और प्रतिबद्ध	47,059 (65)	53,965(65)	61,189(65)	66,673(65)	77,532(62)
सामान्य सेवाएँ (व्याज भुगतान सहित)	26,408 (36)	27,972(33)	30,607(32)	33,374(32)	38,691(31)
सामाजिक सेवाएँ	31,713 (44)	35,943(43)	40,737(43)	45,770(45)	58,284(47)
आर्थिक सेवाएँ	14,445 (20)	19,697(24)	23,417(25)	23,476(33)	27,918(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058
योजना	18,092 (99)	23,930(99)	27,192(100)	28866(100)	20,999(100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	58 (1)	36(1)	16(0)	41(0)	59(0)
सामान्य सेवाएँ	1,748 (10)	3,617(15)	2,090(8)	2,765(10)	3,311(16)
सामाजिक सेवाएँ	1,674 (9)	2,740(11)	3,592(13)	4,258(15)	4,061(19)
आर्थिक सेवाएँ	14,728 (81)	17,609(74)	21,526(79)	21,884(75)	13,686(65)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	369	621	114	243	1,470
14. कुल (11+12+13)	91,089	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,609	4,125	4,215	4,653	7,230
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,975	3,423	3,461	3,841	6,300
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	634	702	754	812	930
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राजीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	94,698	1,12,328	1,26,302	1,36,427	1,54,655
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	39,200	45,923	57,268	46,299	67,135
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	1,33,898	1,58,251	1,83,570	1,82,726	2,21,790
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-) / राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	5,847	12,507	10,820	14,823	6,897
23. राजकोषीय घाटा (-) / राजकोषीय आधिक्य (+)(4-14)	(-)11,179	(-)12,061	(-)16,479	(-)14,305	(-)13,807
24. प्रारंभिक घाटा / प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	(-)5,050	(-)4,963	(-)8,258	(-)5,251	(-)3,736
खंड द अन्य आँकड़े					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	6,129	7,098	8,191	9,054	10,071
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता इत्यादि	22,359	26,426	36,209	43,359	51,764
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	3,42,951	3,71,602	4,22,316	4,84,740	5,57,490
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	99,056	1,16,578	1,38,722	1,56,777	1,68,921
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	2,001	4,721	4,460	5,174	5,398
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	5,315	9,397	13,053	20,234	20,834
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	211	144	130	127	68
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1,301	1,728	1,521	892	315
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व /जी.एस.डी.पी.	6.05	6.85	5.62	4.77	5.28
करेतर राजस्व /जी.एस.डी.पी.	0.45	0.59	0.57	0.72	0.74
केंद्रीय अंतरण /जी.एस.डी.पी.	10.78	13.17	13.94	13.43	13.20
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय /जी.एस.डी.पी.	26.56	29.12	28.91	27.18	26.44
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	116.16	112.57	115.63	112.20	125.53
राजस्व व्यय /कुल व्यय	79.67	77.28	77.62	77.88	84.72
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	34.82	33.22	33.37	34.73	39.53
आर्थिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	15.86	18.20	19.18	17.82	18.94
पूँजीगत व्यय /कुल व्यय	19.93	22.15	22.29	21.94	14.28
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	18.01	18.81	20.57	19.84	12.04
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य /जी.एस.डी.पी.	1.70	3.37	2.56	3.06	1.24
राजकोषीय घाटा /जी.एस.डी.पी.	3.26	3.25	3.90	2.95	2.48
प्राथमिक घाटा /जी.एस.डी.पी.	1.47	1.34	1.96	1.08	0.67
राजस्व अधिशेष /राजकोषीय घाटा	52.30	103.70	65.66	103.62	49.95
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व /जी.एस.डी.पी.	28.88	31.37	32.85	32.34	30.30
राजकोषीय दायित्व /राजस्व प्राप्तियाँ	126.32	121.28	131.38	133.49	128.17
राजकोषीय दायित्व /राज्य के स्व संसाधन	444.04	421.85	530.59	588.41	503.66

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों की कुल प्रतिशतता दर्शाते हैं।

@ सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोत: वित्त लेखा वर्ष 2018-19)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: कंडिका 1.6.1; पृष्ठ 26)
31 मार्च 2019 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31/3/2018 तक	देयताएँ	31/3/2019 तक
1,04,524.76	आंतरिक ऋण	1,14,359.68
	ब्याज सहित बाजार ऋण	84,800.00
	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.21
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
	अन्य संस्थाओं से ऋण	29,537.92
10,181.92	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11,785.37
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91
	गैर-योजना ऋण	0.58
	राज्य योजना के लिए ऋण	191.29
	केंद्र योजना के लिए ऋण	1.01
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0.53
	योजनाओं के लिए अर्थोपाय अग्रिम	42.96
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं	49.78
	राज्यों के लिए अन्य ऋण	11,495.31
350.00	आकर्षिता निधि	350.00
8,810.89	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,088.69
33,232.88	जमा	33,661.25
4,137.65	आरक्षित निधि	4,921.55
74.01	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01
71,784.89	सरकारी लेखा में आधिक्य/अधिशेष	78,681.54
	(i) घटावें/चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	6,896.65
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	71,784.89
2,33,097.00		2,52,922.10
	परिसम्पत्तियाँ	
1,84,117.17	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	2,05,175.42
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेरों में निवेश	28,327.00
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,76,848.42
21,169.18	ऋण एवं अग्रिम	20,814.34
	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	
	अन्य विकास ऋण	
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	
1,196.41	प्रेषण	1,120.36
153.11	अग्रिम	249.96
4,379.57	उचंत एवं विविध शेष	4,724.71
22,081.56	रोकड़	20,837.31
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
	रिजर्व बैंक में जमा	157.12
	विभागीय रोकड़ शेष	234.65
	स्थायी अग्रिम	758.52
	उदिदष्ट निधियों के सहित रोकड़ शेष निवेश	19,687.02
2,33,097.00		2,52,922.10

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 32)

**₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों /
विनियोजनों की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान / विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व (दत्तमत्त)							
1.	1—कृषि विभाग	2,701.78	557.10	3,258.88	1,822.88	1,436.00	44.06
2.	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	718.51	216.97	935.48	687.44	248.04	26.51
3.	3—भवन निर्माण विभाग	766.93	9.16	776.09	583.53	192.56	24.81
4.	4—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	355.18	3.44	358.62	234.68	123.94	34.56
5.	9—सहकारिता विभाग	732.47	1,090.33	1,822.80	979.63	843.17	46.26
6.	11—पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,512.01	43.02	1,555.03	1,212.31	342.72	22.04
7.	12—वित्त विभाग	270.39	30.05	300.44	195.69	104.75	34.87
8.	20—स्वास्थ्य विभाग	6,698.59	1,523.57	8,222.16	6,344.28	1,877.88	22.84
9.	21—शिक्षा विभाग	31,685.53	5,249.67	36,935.20	26,977.27	9,957.93	26.96
10.	25—सूचना प्रावैदिकी विभाग	175.14	89.44	264.58	90.92	173.66	65.64
11.	26—श्रम संसाधन विभाग	721.97	4.15	726.12	550.89	175.23	24.13
12.	30—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	197.76	1.94	199.70	98.05	101.65	50.90
13.	33—सामान्य प्रशासन विभाग	639.96	81.71	721.67	499.73	221.94	30.75
14.	35—योजना एवं विकास विभाग	571.42	33.74	605.16	449.14	156.02	25.78
15.	39—आपदा प्रबंधन विभाग	675.15	4,143.85	4,819.00	1,642.28	3,176.72	65.92
16.	40—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.46	89.79	791.25	552.74	238.51	30.14
17.	41—पथ निर्माण विभाग	1,415.92	2.28	1,418.20	930.26	487.94	34.41
18.	42—ग्रामीण विकास विभाग	15,320.04	3,631.87	18,951.91	12,776.67	6,175.24	32.58
19.	44—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,382.44	82.19	1,464.63	1,022.92	441.71	30.16
20.	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	947.71	5,361.30	3,297.02	2,064.28	38.50
21.	51—समाज कल्याण विभाग	6,646.24	2,900.40	9,546.64	6,303.20	3,243.44	33.97
कुल राजस्व		78,302.48	20,732.38	99,034.86	67,251.53	31,783.33	32.09
(ब) पूँजीगत (दत्तमत्त)							
22.	3—भवन निर्माण विभाग	3,193.67	475.38	3,669.05	2,650.41	1,018.64	27.76
23.	9—सहकारिता विभाग	74.04	974.16	1,048.20	817.93	230.27	21.97
24.	20—स्वास्थ्य विभाग	1,095.22	520.16	1,615.38	1,134.01	481.37	29.80
25.	21—शिक्षा विभाग	440.10	107.35	547.45	423.57	123.88	22.63
26.	35—योजना एवं विकास विभाग	1,248.27	611.32	1,859.59	1,479.18	380.41	20.46
27.	37—ग्रामीण कार्य विभाग	9,305.97	1,000.00	10,305.97	2,951.29	7,354.68	71.36
28.	42—ग्रामीण विकास विभाग	151.01	0.00	151.01	2.33	148.68	98.46
29.	51—समाज कल्याण विभाग	193.58	15.70	209.28	43.31	165.97	79.31
कुल पूँजीगत		15,701.86	3,704.07	19,405.93	9,502.03	9,903.90	51.04
महायोग (अ+ब)		94,004.34	24,436.45	118,440.79	76,753.56	41,687.23	35.20

(अग्रेतः वर्ष 2018-19 का विनियोग लेखे)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 33)

कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान / विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1—कृषि विभाग	2,749.78	557.10	3,306.88	1,869.48	1,437.40	43.47
2.	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	718.51	226.97	945.48	693.77	251.71	26.62
3.	3—भवन निर्माण विभाग	3,960.60	484.54	4,445.14	3,233.94	1,211.20	27.25
4.	4—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	374.91	3.44	378.35	234.68	143.67	37.97
5.	8—कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	139.12	0.00	139.12	94.16	44.96	32.32
6.	9—सहकारिता विभाग	806.51	2,064.49	2,871.00	1,797.56	1,073.44	37.39
7.	11—पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,524.51	43.02	1,567.53	1,215.25	352.28	22.47
8.	17—वाणिज्य —कर विभाग	154.64	1.07	155.71	113.89	41.82	26.86
9.	18—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,387.38	18.86	1,406.24	1,112.23	294.01	20.91
10.	20—स्वास्थ्य विभाग	7,793.81	2,043.73	9,837.54	7,478.29	2,359.25	23.98
11.	21—शिक्षा विभाग	32,125.63	5,357.02	37,482.65	27,400.84	10,081.81	26.90
12.	24—सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	235.09	0.00	235.09	188.05	47.04	20.01
13.	25—सूचना प्रावैदिकी विभाग	235.14	161.27	396.41	172.75	223.66	56.42
14.	26—श्रम संसाधन विभाग	741.97	4.15	746.12	553.96	192.16	25.75
15.	29—खान एवं भूतत्व विभाग	51.44	14.36	65.80	43.92	21.88	33.25
16.	30—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	437.76	21.94	459.70	264.73	194.97	42.41
17.	33—सामान्य प्रशासन विभाग	646.15	83.13	729.28	507.19	222.09	30.45
18.	35—योजना एवं विकास विभाग	1,819.69	645.06	2,464.75	1,928.32	536.43	21.76
19.	37—ग्रामीण कार्य विभाग	10,508.54	1,000.80	11,509.34	3,955.79	7,553.55	65.63
20.	38—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	184.75	19.69	204.44	162.13	42.31	20.70
21.	39—आपदा प्रबंधन विभाग	677.15	4,143.85	4,821.00	1,642.28	3,178.72	65.93
22.	40—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	729.41	89.79	819.20	554.46	264.74	32.32
23.	42—ग्रामीण विकास विभाग	15,471.05	3,631.87	19,102.92	12,779.00	6,323.92	33.10
24.	43—विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग	244.57	119.01	363.58	250.10	113.48	31.21
25.	44—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,386.44	82.19	1,468.63	1,022.92	445.71	30.35
26.	45—गन्ना उद्योग विभाग	122.90	128.21	251.11	169.45	81.66	32.52
27.	46—पर्यटन विभाग	153.46	15.30	168.76	73.79	94.97	56.28
28.	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	950.71	5,364.30	3,300.02	2,064.28	38.48
29.	51—समाज कल्याण विभाग	6,839.82	2,916.10	9,755.92	6,346.51	3,409.41	34.95
योग		96,634.32	24,827.67	1,21,461.99	79,159.46	42,302.53	34.83

(स्रोतः वर्ष 2018-19 का विनियोग लेखे)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 33)

2014–15 से 2018–19 के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) प्रदर्शित
करने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1—कृषि विभाग	1,590.88 (44.10)	1,652.10 (48.66)	1,214.66 (42.22)	1,150.72 (41.01)	1,436.00 (44.06)
2.	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	211.59 (32.11)	188.32 (31.37)	133.55 (22.25)	148.73 (19.90)	248.04 (26.51)
3.	9—सहकारिता विभाग	267.99 (32.15)	307.01 (34.28)	117.61 (21.62)	138.21 (14.67)	843.17 (46.26)
4.	12—वित्त विभाग	124.99 (45.19)	116.02 (45.16)	100.83 (38.82)	119.66 (44.64)	104.75 (34.86)
5.	15—पेंशन	306.47 (2.63)	1,347.30 (10.22)	3,770.68 (23.17)	5,570.01 (28.04)	650.32 (3.90)
6.	16—पंचायती राज विभाग	2,334.24 (49.57)	2,572.10 (47.06)	919.67 (12.45)	607.76 (6.64)	1,836.67 (17.93)
7.	18—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	503.29 (43.77)	976.24 (40.67)	1,097.53 (50.74)	1,208.16 (49.93)	255.11 (18.68)
8.	20—स्वास्थ्य विभाग	914.11 (21.60)	964.06 (21.44)	3,350.96 (41.37)	1,427.99 (19.99)	1,877.89 (22.84)
9.	21—शिक्षा विभाग	8,534.72 (34.32)	5,813.90 (23.77)	3,837.45 (16.77)	7,703.21 (24.50)	9,957.93 (26.96)
10.	22—गृह विभाग	1,002.61 (16.18)	622.85 (10.09)	970.47 (13.55)	866.99 (11.77)	724.29 (8.10)
11.	26—श्रम संसाधन विभाग	248.01 (53.07)	303.96 (55.50)	273.01 (39.50)	102.51 (22.49)	175.23 (24.13)
12.	27—विधि विभाग	179.09 (26.60)	146.64 (22.14)	289.30 (34.98)	204.74 (25.14)	153.84 (16.66)
13.	35—योजना एवं विकास विभाग	540.78 (46.76)	135.04 (50.24)	1,291.09 (55.48)	1,030.36 (74.05)	156.02 (25.78)
14.	37—ग्रामीण कार्य विभाग	839.93 (74.86)	422.07 (29.96)	432.17 (27.33)	228.19 (14.39)	198.87 (16.53)
15.	39—आपदा प्रबंधन विभाग	661.83 (59.29)	2,406.75 (85.92)	1,210.03 (67.09)	1,362.71 (34.39)	3,176.72 (65.92)
16.	40—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	224.14 (31.73)	238.37 (32.74)	363.65 (44.40)	306.85 (35.34)	238.51 (30.14)
17.	41—पथ निर्माण विभाग	359.65 (28.57)	117.63 (11.39)	222.55 (17.66)	476.18 (35.81)	487.94 (34.41)
18.	42—ग्रामीण विकास विभाग	3,599.42 (53.52)	3,554.04 (50.18)	4,468.35 (43.48)	5,166.39 (49.82)	6,175.24 (32.58)
19.	44—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	227.39 (19.44)	361.50 (18.85)	497.99 (30.35)	390.28 (27.75)	441.72 (30.16)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	1,522.13 (46.12)	1,133.68 (36.44)	1,244.82 (26.93)	1,811.89 (35.89)	2,064.28 (38.50)
21.	51—समाज कल्याण विभाग	2,515.37 (33.91)	1,502.39 (22.11)	1,798.95 (27.08)	2,142.20 (26.02)	3,243.44 (33.97)
राजस्व (भारित)						
22.	13—ब्याज भुगतान	456.76 (6.94)	132.25 (1.83)	297.46 (3.50)	450.90 (4.70)	693.58 (6.44)
योग		27,165.39	25,014.22	27,902.78	32,614.64	35,139.56
पूँजीगत (दत्तमत)						
23.	3—भवन निर्माण विभाग	1,719.79 (60.50)	1,347.14 (45.12)	1,537.81 (53.43)	2,348.80 (52.93)	1,018.64 (27.76)
24.	10—ऊर्जा विभाग	2,323.07 (34.45)	1,207.86 (29.16)	5,330.74 (47.83)	130.74 (1.79)	623.36 (10.72)
25.	20—स्वास्थ्य विभाग	740.17 (69.55)	579.60 (34.94)	261.23 (23.32)	619.16 (52.87)	481.38 (29.80)
26.	41—पथ निर्माण विभाग	661.32 (12.50)	599.98 (11.91)	442.80 (7.65)	372.09 (6.26)	192.24 (3.34)
27.	49—जल संसाधन विभाग	1,262.62 (50.27)	251.54 (14.48)	511.32 (23.38)	1,405.44 (35.54)	179.43 (5.89)
योग		6,706.97	3,986.12	8,083.90	4,876.23	2,495.05
महायोग		33,872.36	29,000.34	35,986.68	37,490.87	37,634.61

(स्पेतः वर्ष 2014-15 से 2018-19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 33)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
(अ) राजस्व (भारित)					
1.	5—राज्यपाल सचिवालय	20.08	19.03	1.05	2.40
2.	13—ब्याज भुगतान	10,763.49	10,071.23	692.26	1.32
3.	15—पेंशन	12.41	1.58	10.83	1.06
4.	28—उच्च न्यायालय विहार	155.27	152.05	3.22	9.15
योग राजस्व (भारित)		10,951.25	10,243.89	707.36	13.93
(ब) राजस्व (दत्तमत)					
5.	1—कृषि विभाग	2,701.78	1,822.88	878.90	557.10
6.	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	718.51	687.44	31.07	216.97
7.	3—भवन निर्माण विभाग	766.93	583.53	183.40	9.16
8.	4—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	355.18	234.68	120.50	3.44
9.	7—निगरानी विभाग	36.74	32.70	4.04	1.25
10.	11—पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,512.01	1,212.31	299.70	43.02
11.	12—वित्त विभाग	270.39	195.69	74.70	30.05
12.	16—पंचायती राज विभाग	9,954.40	8,408.50	1,545.90	290.77
13.	17—वाणिज्य —कर विभाग	154.64	113.89	40.75	1.07
14.	18—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,347.07	1,110.82	236.25	18.86
15.	19—पर्यावरण एवं वन विभाग	358.04	318.83	39.21	8.52
16.	20—स्वास्थ्य विभाग	6,698.59	6,344.28	354.31	1,523.57
17.	21—शिक्षा विभाग	31,685.53	26,977.27	4,708.26	5,249.67
18.	22—गृह विभाग	8,251.96	8,220.51	31.45	692.84
19.	25—सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	175.14	90.92	84.22	89.44
20.	26—श्रम संसाधन विभाग	721.97	550.89	171.08	4.15
21.	27—विधि विभाग	887.20	769.68	117.52	36.32
22.	29—खान एवं भूतत्व विभाग	51.44	30.08	21.36	0.52
23.	30—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	197.76	98.05	99.71	1.94
24.	32—विधानमंडल	175.25	170.03	5.22	7.72
25.	33—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	639.96	499.73	140.23	81.71

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
26.	35—योजना एवं विकास विभाग	571.42	449.14	122.28	33.74
27.	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	906.92	884.55	22.37	13.00
28.	37—ग्रामीण कार्य विभाग	1,202.57	1,004.50	198.07	0.80
29.	38—निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	184.75	162.13	22.62	19.69
30.	40—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.46	552.74	148.72	89.79
31.	41—पथ निर्माण विभाग	1,415.92	930.26	485.66	2.28
32.	42—ग्रामीण विकास विभाग	15,320.04	12,776.67	2,543.37	3,631.87
33.	43—विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	150.57	141.21	9.36	34.51
34.	44—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,382.44	1,022.92	359.52	82.19
35.	46—पर्यटन विभाग	45.45	31.77	13.68	15.30
36.	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	3,297.02	1,116.57	947.71
37.	51—समाज कल्याण विभाग	6,646.24	6,303.20	343.04	2,900.40
योग राजस्व (दत्तमत)		1,00,601.86	86,028.82	14,573.04	16,639.37
योग राजस्व (अ+ब)		1,11,553.11	96,272.71	15,280.40	16,653.30
(स) पूँजीगत (दत्तमत)					
38.	3—भवन निर्माण विभाग	3,193.67	2,650.41	543.26	475.37
39.	19—पर्यावरण एवं वन विभाग	55.05	31.17	23.88	1.60
40.	21—शिक्षा विभाग	440.10	423.57	16.53	107.35
41.	30—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	240.00	166.68	73.32	20.00
42.	37—ग्रामीण कार्य विभाग	9,305.97	2,951.29	6,354.68	1,000.00
43.	51—समाज कल्याण विभाग	193.58	43.31	150.27	15.70
योग पूँजीगत (दत्तमत)		13,428.37	6,266.43	7,161.94	1,620.02
महायोग (अ+ब+स)		1,24,981.48	1,02,539.14	22,442.34	18,273.32

(द्योत: वर्ष 2018-19 का विनियोग लेख)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 33)
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्ण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	01	2401–00–109–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट–नई योजना	284.63	0.50	169.78	115.22	0.13
2.		2401–00–789–0120–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	26.16	0.80	5.29	21.63	0.04
3.	02	2403–00–101–0003–अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापना	114.53	2.33	103.25	13.47	0.14
4.		2403–00–789–0306–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	5.01	0.05	3.87	1.18	0.01
5.	03	2405–00–101–0104–तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	40.45	0.70	31.10	9.97	0.08
6.		2059–80–001–0004–निष्पादन	177.87	18.85	156.21	39.32	1.19
7.	06	4059–60–051–0106–स्टेडियम एवं खेल संरचना	110.00	40.00	109.82	14.35	25.83
8.		2015–00–102–0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	32.26	2.74	27.73	7.13	0.14
9.	08	2204–00–104–0001–खेलकूद	10.72	0.81	9.29	2.12	0.12
10.	15	2071–01–104–0001–15–11–2000 के पूर्व सेवा निवृत हुए कर्मियों को अन्य उपादान का भुगतान	4.40	0.47	3.80	0.00	1.07
11.		2071–01–111–0004–विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय	0.74	0.31	0.73	0.05	0.27
12.	16	2515–00–003–0001–पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3.09	0.77	2.53	0.56	0.77
13.	19	2406–02–110–0323–एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	3.67	0.77	3.09	1.31	0.04
14.	20	2210–06–102–0001–खाद्य नियंत्रक स्थापना	3.51	0.23	2.88	0.71	0.15
15.		2210–06–104–0001–औषध नियंत्रण स्थापना	14.93	1.89	14.47	1.14	1.21
16.	21	2202–80–001–0002–राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.63	0.02	0.41	0.67	0.57
17.	22	2051–00–103–0003–बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग	20.01	1.13	19.74	1.10	0.30
18.		2052–00–090–0006–गृह (आरक्षी) विभाग	7.35	0.23	7.05	0.51	0.02
19.		2055–00–003–0002–प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर	17.33	0.87	14.33	0.00	3.87

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.		2055–00–101–0001–आपराधिक जाँच विभाग	229.34	8.02	225.24	0.00	12.12
21.		2055–00–104–0004–आतंकवाद निरोधक दस्ता	17.28	0.12	16.44	0.90	0.06
22.		2235–02–106–0002–परिवीक्षा सेवाएं	12.36	0.48	11.47	0.00	1.37
23.	26	2230–01–001–0001–श्रमायुक्त	7.19	0.15	5.48	1.82	0.04
24.	27	2014–00–105–0001–सिविल और सत्र न्यायालय	669.50	0.50	632.88	36.86	0.26
25.	33	2053–00–101–0001–मुख्य कार्यालय	25.95	1.44	22.48	4.74	0.17
26.	39	2245–80–102–0004–राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स	17.26	5.52	12.67	10.10	0.01
27.	43	2203–00–105–0106–प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	4.20	0.98	3.74	1.41	0.03
28.	49	4700–80–051–0105–सिंचाई सृजन परियोजना (कार्य)	508.12	1.14	507.38	0.05	1.83
29.	50	4702–00–102–0102–नई/अधूरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	49.80	4.26	49.43	0.37	4.26
30.		4702–00–789–0104–नई/अधूरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	9.60	0.82	9.21	0.24	0.97
31.		4702–00–796–0105–नई/अधूरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	0.60	0.05	0.49	0.11	0.05
योग			2,429.49	96.95	2,182.28	287.04	57.12

(ओतः 2018-19 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अबुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 33)
निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	03	2059-80-052-0001-नई पूर्ति एवं मरम्मति	1.72	2.25	1.97	0.00	2.00
2.	12	7610-00-201-0001-सरकारी सेवकों को गृह-निर्माण अग्रिम	18.00	1.75	18.95	0.03	0.77
3.	13	2049-04-112-0001-बाह्य संपोषित स्कीमों पर लिए गए कर्ज पर ब्याज	160.00	125.00	238.08	0.00	46.92
4.	15	2071-01-102-0002-15-11-2000 के पूर्व सेवा निवृत हुए कर्मियों को रूपांतरित मूल्य का भुगतान	4.75	4.12	8.66	0.00	0.21
5.		2071-01-105-0001-15-11-2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन	36.38	49.72	58.62	0.00	27.48
6.	20	2210-01-110-0011-संक्रामक रोग अस्पताल पटना	2.87	0.55	3.05	0.33	0.04
7.		2210-05-105-0022-वर्द्धमान इनस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी	27.11	9.56	29.46	4.34	2.87
8.		2210-06-001-0001-अधिक्षण	12.59	2.17	13.21	0.90	0.65
9.	22	2055-00-001-0001-अधिक्षण	45.64	18.33	48.64	0.00	15.33
10.		2055-00-003-0008-प्रशिक्षण विद्यालय डुमराँव	7.16	0.75	7.45	0.00	0.46
11.		2055-00-109-0012-थानों के लिए व्यय	1.00	0.50	1.16	0.33	0.01
12.		2056-00-101-0002-जिला जेल	161.45	41.40	190.39	0.00	12.46
13.	32	2011-02-103-0001-विधान सभा सचिवालय	41.83	3.65	42.29	3.14	0.05
14.	39	2245-702-101-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	129.30	5.00	129.71	4.41	0.18
योग			649.80	264.75	791.64	13.48	109.43

(स्रोत: 2018-19 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेश्वर पंजी)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 34)
निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना (-)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	02	2403-00-101-0101-अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना	71.77	0.05	63.11	8.55	0.06
2.		2403-00-102-0006-पशु प्रजनन एवं विकास योजना	52.31	0.19	49.05	3.02	0.05
3.		2403-00-103-0003-रेज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	6.10	0.12	5.57	0.00	0.41
4.		2403-00-113-0001-राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना	12.53	2.00	8.59	1.92	0.02
5.	03	2059-80-051-0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9.70	1.24	1.53	0.00	6.93
6.		2059-80-053-0001-रख-रखाव और मरम्मत	325.00	21.40	230.25	0.00	73.35
7.		4059-60-051-0107-सांस्कृतिक संरचना	167.56	40.00	97.40	27.37	2.79
8.		4216-01-700-0003-लोक निर्माण	23.10	0.27	15.22	7.58	0.03
9.	06	2015-00-103-0001-विद्यान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	65.05	12.74	49.35	2.60	0.36
10.	08	2204-00-101-0001-शारीरिक शिक्षा	4.14	0.01	3.11	1.00	0.02
11.		2205-00-103-0001-पुरातत्व निदेशालय	5.70	0.44	2.68	2.52	0.06
12.	11	2225-03-277-0010-पिछड़ी जातियों के लिए बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	13.33	0.05	11.03	1.82	0.43
13.	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋण (ब्याज सहित)	6,618.00	131.53	6,086.44	0.00	400.03
14.	14	6004-09-101-0001-1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज	635.30	4.27	537.43	0.00	93.60
15.	16	2015-00-101-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	3.47	0.01	3.03	0.41	0.02
16.		2515-00-196-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अनुदान	575.36	37.63	532.42	3.00	2.31
17.	19	2406-04-101-0203-राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	6.90	1.15	1.38	3.92	0.45
18.		2406-04-101-0303-राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	4.60	0.77	1.07	2.64	0.12

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (-)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	20	2210-01-110-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	105.94	0.16	95.53	6.83	3.42
20.		2210-01-110-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	577.92	2.12	474.64	54.30	46.86
21.		2210-03-101-0003-स्वास्थ्य उपकेंद्र	46.59	0.55	36.59	3.68	5.77
22.		2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1,165.88	2.17	1,038.72	34.42	90.57
23.		2210-05-105-0005-नालंदा मेडिकल कॉलेज	66.95	0.40	60.07	6.41	0.07
24.		2210-05-105-0007-मगध मेडिकल कॉलेज	48.62	9.96	36.84	1.35	0.47
25.		2210-05-105-0009-दन्त महाविद्यालय, पटना	12.09	1.00	9.31	1.77	0.01
26.		2210-05-105-0012-प्रशिक्षण नर्स	16.84	0.29	11.34	0.00	5.21
27.		2210-05-105-0023-राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया	37.68	1.00	30.78	4.60	1.30
28.	21	2202-01-101-0001-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	4,049.35	0.50	3,879.77	160.41	8.67
29.	22	2052-00-090-0002-गृह (विशेष) विभाग	15.00	0.03	12.15	2.81	0.01
30.		2055-00-104-0002-पैदल सैन्य पुलिस	1,094.14	31.16	1,018.60	0.00	44.38
31.		2055-00-109-0004-उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	7.00	1.59	0.75	0.00	4.66
32.		2055-00-109-0006-उग्रवाद प्रभावित थानों / ओ०पी० के सुदृढ़ीकरण हेतु (एस०आर०ई०) स्कीम के तहत	10.00	2.33	2.38	5.18	0.11
33.		2055-00-110-0001-चौकीदार-दफादार स्थापना	915.26	38.94	723.12	0.00	153.20
34.		2055-00-111-0002-आर्डर पुलिस	216.33	21.89	185.65	0.00	8.79
35.		2055-00-113-0004-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति)	8.50	1.13	1.27	0.00	6.10
36.		2070-00-107-0001-ग्रामीण	513.50	0.18	494.87	0.00	18.45
37.	25	2852-07-202-0014-ई-शासन योजना	30.00	0.09	10.28	19.55	0.08
38.	27	2014-00-105-0008-त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	67.69	2.00	8.26	57.36	0.07
39.	30	2053-00-094-0010-अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय	13.74	0.73	9.22	3.63	0.16
40.	32	2011-02-102-0006-सदस्यगण	18.68	0.10	17.82	0.69	0.07

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (-)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41.	39	2245-01-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	5.00	1.04	0.02	3.76	0.18
42.		2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	27.15	3.66	2.60	20.26	0.63
43.	41	5054-03-101-0101-पुल	375.07	1.39	348.67	19.09	5.92
44.	43	2203-00-001-0001-तकनीकी शिक्षा निदेशालय	4.35	0.62	3.59	0.13	0.01
45.		2203-00-102-0001-पटना विश्वविद्यालय	4.25	0.89	3.32	0.00	0.04
46.	49	4700-80-005-0101-सर्वेक्षण और खोज (स्थापना)	10.00	1.14	3.05	0.19	5.62
47.	50	2702-03-101-0002-अन्य रखरखाव व्यय	1.00	0.25	0.06	0.66	0.03
48.		2702-03-102-0005-अन्य रखरखाव व्यय	1.00	0.25	0.12	0.62	0.01
49.		2702-03-103-0007-अन्य रखरखाव व्यय	10.00	2.50	4.48	2.31	0.71
योग			18,075.44	383.93	16,222.53	476.36	992.62

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के विस्तृत विनियोग लेखे सहित अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 34)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹100 करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	01	2401–00–105–0106—जैविक खेती का उन्नयन	186.75	7.42	179.33	0.00	96.03
2.	09	2401–00–110–0112—बिहार राज्य फसल सहायता योजना	900.00	318.23	581.77	0.00	64.64
3.		2425–00–108–0419—प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50	0.00	187.50	0.00	100.00
4.		6425–00–108–0419—प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50	0.00	187.50	0.00	100.00
5.	10	6801–00–190–0015—साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिंग (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गए ऋण के सूद भुगतान हेतु)	147.35	13.83	133.52	0.00	90.61
6.	16	2515–00–198–0113—मुख्यमंत्री निश्चय योजना	1,532.93	716.72	816.21	0.00	53.25
7.		2515–00–789–0112—मुख्यमंत्री निश्चय योजना	364.33	170.32	194.01	0.00	53.25
8.	20	2211–00–101–0305—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	364.72	169.43	195.25	0.04	53.53
9.		2211–00–103–0102—मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	280.00	27.88	252.04	0.08	90.01
10.		2235–60–110–0204—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	105.00	0.00	105.00	0.00	100.00
11.		4210–03–050–0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	323.16	121.00	202.16	0.00	62.56
12.		4210–03–105–0112—ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	365.00	125.00	240.00	0.00	65.75
13.		2202–01–109–0101—मुख्यमंत्री पोशाक योजना	250.00	42.32	207.68	0.00	83.07
14.		2202–01–111–0201—सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	5,106.53	2,281.40	2,825.13	0.00	55.32

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.		2202-01-789-0203—सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए०)	1,493.47	575.86	917.61	0.00	61.44
16.		2202-01-789-0308—सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए०)	1,009.41	406.30	603.11	0.00	59.75
17.		2202-01-796-0309—सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए०)	190.59	25.84	164.75	0.00	86.44
18.		2202-02-110-0311—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए०)	156.67	0.00	128.67	28.00	82.13
19.		2202-03-104-0003—वित्त संपोषित महाविद्यालय	312.20	0.00	312.08	0.12	99.96
20.		2202-03-107-0109—मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना	300.00	9.15	256.49	34.36	85.50
21.		2202-03-112-0101—बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना	148.00	3.00	145.00	0.00	97.97
22.	35	4070-00-051-0109—योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	108.19	0.55	107.64	0.00	99.49
23.		4515-00-101-0105—पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)	200.00	35.53	164.47	0.00	82.23
24.	37	4515-00-103-0113—मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	700.00	200.00	500.00	0.00	71.43
25.		4515-00-103-0119—ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	1,035.64	0.00	1,035.64	0.00	100.00
26.		4515-00-103-0216—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (पी0एम0जी0एस0वाई०)	4,085.66	100.00	3,985.66	0.00	97.55
27.		4515-00-103-0316—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (पी0एम0जी0एस0वाई०)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
28.		4515-00-103-0519—मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन०डी०बी०) (ब्रिक्स बैंक संपोषित)	601.00	101.00	500.00	0.00	83.19
29.	39	2245-02-101-0001—निःसहायों एवं विकलांगों को नगद भुगतान	631.53	2.03	629.50	0.00	99.68
30.		2245-02-101-0002—खद्यान्न की आपूर्ति	641.53	7.39	634.14	0.00	98.85
31.		2245-02-106-0001—क्षतिग्रस्त सङ्को—पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन	400.01	0.00	400.01	0.00	100.00
32.		2245-02-114-0001—कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	540.81	18.63	522.18	0.00	96.56

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्थित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.		2245-02-122-0001—क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती	575.00	203.63	370.87	0.50	64.50
34.	42	2203-00-112-0106—डेवलपमेंट मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूट	228.23	100.83	124.25	3.15	54.44
35.		2215-02-796-0206—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	181.23	29.69	151.54	0.00	83.62
36.		2216-03-105-0104—इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	134.94	33.73	101.21	0.00	75.00
37.		2216-03-105-0202—इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	4,463.37	2,019.35	2,444.02	0.00	54.76
38.		2505-02-101-0201—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1,763.98	718.42	1,045.56	0.00	59.27
39.		4515-00-103-0102—प्रखंड लघु निर्माण कार्य	151.00	2.33	148.67	0.00	98.46
40.	48	2217-03-051-0202—शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत)	480.00	158.81	321.19	0.00	66.91
41.		2217-03-051-0203—सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	275.00	32.59	242.41	0.00	88.15
42.	51	2235-02-102-0224—किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	289.01	6.86	282.15	0.00	97.63
43.		2235-02-102-0225—राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई०ए०स०ए०स० एन०आई०पी० सहित)	173.81	60.04	113.69	0.08	65.41
44.		2235-03-789-0301—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	448.50	190.59	257.91	0.00	57.51
45.		2236-02-789-0204—एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०ए०स०)	568.60	130.58	438.01	0.01	77.03
46.		4235-02-102-0208—एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०ए०स०)	181.42	20.89	160.45	0.08	88.44
		योग	33,969.57	9,187.17	24,715.98	66.42	72.76

(स्पेतः वर्ष 2018-19 के विस्तृत विनियोग लेखे सहित अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 34)

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	2401-00-001-0102—कार्यालय का कम्प्यूटरिकरण	1.00
2		2401-00-104-0205—परम्परागत कृषि विकास योजना	14.38
3		2401-00-104-0305—परम्परागत कृषि विकास योजना	9.59
4		2401-00-789-0241—परम्परागत कृषि विकास योजना	2.77
5		2401-00-789-0341—परम्परागत कृषि विकास योजना	1.85
6		2401-00-796-0263—परम्परागत कृषि विकास योजना	0.17
7		2401-00-796-0363—परम्परागत कृषि विकास योजना	0.12
8		2402-00-102-0114—नाबार्ड पोषित जल संभर विकास परियोजना	8.30
9		2402-00-789-0103—नाबार्ड पोषित जल संभर विकास परियोजना	1.60
10		2402-00-796-0110—नाबार्ड पोषित जल संभर विकास परियोजना	0.10
11		2402-00-796-0209—एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.48
12		2402-00-796-0309—एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.32
13		2415-01-277-0312—कौशल विकास मिशन	9.96
14		2415-01-789-0308—कौशल विकास मिशन	1.92
15		2415-01-796-0309—कौशल विकास मिशन	0.12
16		2435-60-101-0101—कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	4.15
17		2435-60-789-0101—कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.80
18	02	2403-00-796-0226—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.32
19		2403-00-796-0326—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.21
20		2405-00-101-0219—नीली क्रांति—समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन	41.00
21	03	2059-01-053-0104—गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार	2.00
22		2059-01-053-0105—गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार	2.00
23		2059-01-053-0118—वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.50
24		2216-01-053-0002—अन्य रख—रखाव व्यय—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र के भवनों हेतु	2.50
25		3053-02-102-0001—हवाई अड्डे	0.55
26		4059-60-051-0017—वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए—डी—आर—केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग)	5.39
27		4059-60-051-0120—व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 कोर्ट भवन, पटना	0.10

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
28		4059–60–051–0425–स्वच्छ दृष्टि कार्य योजना अन्तर्गत स्वच्छ उपभोक्ता मंच	0.16
29		4059–60–789–0305–कौशल विकास योजना	0.90
30		4059–60–796–0302–कौशल विकास योजना	0.30
31		4059–80–004–0001–निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.11
32		4059–80–051–0001–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.10
33		4059–80–051–0002–लघु निर्माण	0.10
34		4059–80–051–0110–न्यायिक भवन (भवन निर्माण विभाग)	1.00
35		4059–80–051–0119–सरकारी भूमि की धेराबंदी	0.40
36		4059–80–051–0122–आई० टी० भवन	20.00
37		4210–03–105–0116–मेडिकल कॉलेज	2.00
38		4216–01–700–0102–न्यायिक आवासीय भवनें	1.00
39		4225–04–051–0103–अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	5.00
40		4225–80–051–0104– अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	2.00
41		4408–02–051–0101–जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र	6.90
42		4408–02–101–0102–खाद्यान भंडार गोदामों का निर्माण (नाबांड सम्पोषित)	34.66
43		5452–01–101–0103–पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	46.41
44	06	2015–00–103–0002–विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	0.06
45	08	2205–00–190–0001–बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.25
46		2205–00–190–0101–बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1.50
47	09	2425–00–003–0102–विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के हेतु अनुदान	1.00
48		2425–00–003–0103–सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मत एवं बनाने हेतु	1.00
49		2425–00–107–0105–मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	5.27
50		2425–00–108–0107–समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	3.78
51		2425–00–108–0419–प्राथमिक कृषि साख समितियों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50
52		6425–00–108–0419–सहकारिता को ऋण–अन्य सहकारी समितियों को ऋण	187.50
53	10	2801–02–190–0001–बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०	61.86
54		6801–00–201–0105–बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबांड)	5.80
55	11	2225–03–277–0212– अन्य पिछड़े वर्गों, अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	1.60
56		2225–03–277–0312–अन्य पिछड़े वर्गों, अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.53
57		4225–03–277–0202–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी० छात्रावास निर्माण हेतु)	6.00
58		4225–03–277–0302–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी० छात्रावास निर्माण हेतु)	1.50

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
59	12	2070-00-800-0008-विविध एवं आकस्मिक खर्च	1.50
60		4058-00-103-0102-सरकारी प्रेस गया के आधुनिकीकरण की योजना	0.50
61		7610-00-202-0002-सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल (खरीदने के लिए अग्रिम)	1.00
62	16	2515-00-198-0215- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए०)	53.67
63		2515-00-003-0304-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	10.00
64		2515-00-198-0315-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए०)	40.78
65		2515-00-789-0214-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए०)	10.31
66		2515-00-789-0314-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए०)	6.87
67		2515-00-796-0220-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए०)	0.83
68		2515-00-796-0320-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए०)	0.55
69		4515-00-101-0108- पंचायत सरकारी भवन	1.00
70	17	2040-00-101-0002-भामाशाह सम्मान योजना	0.10
71	18	3456-00-053-0001-गोदामों की मरम्मति	2.00
72		3456-00-102-0015-गोदामों की देखभाल तथा मरम्मति	2.00
73		3456-00-102-0411-उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.30
74		3456-00-102-0413-जन वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.34
75		3456-00-191-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	1.50
76		5475-00-051-0102-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.83
77		5475-00-051-0103-जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण	28.48
78	19	2406-04-101-0201-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	5.91
79		2406-04-101-0301- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	3.94
80	20	2210-01-110-0019-रोगी कल्याण समितियों हेतु	2.00
81		2210-01-110-0224-रिजनल जेरिएट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.53
82		2210-02-200-0202-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47
83		2210-02-200-0302-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	4.78
84		2210-04-200-0203-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98
85		2210-04-200-0303-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	5.00
86		2210-05-105-0015-शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	1.00
87		2210-05-105-0016-नामांकन पर्यवेक्षण समिति	1.00
88		2210-05-200-0101-इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	1.01

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
89		2211–00–004–0302–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.11
90		2235–60–110–0204–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	105.00
91		2235–60–110–0304–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	21.99
92		4210–01–051–0103–जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	5.00
93		4210–01–110–0219–रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर	2.60
94		4210–01–110–0319–रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	1.65
95	21	2202–01–001–0101–प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	0.20
96		2202–01–001–0105–शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	5.00
97		2202–01–053–0001–प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धारण	1.00
98		2202–01–111–0101–सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	55.00
99		2202–02–001–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	6.40
100		2202–02–052–0002–माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं हेतु	1.00
101		2202–02–109–0105–आई०सी०टी० परियोजना	1.00
102		2202–02–110–0110–आई०सी०टी० परियोजना	4.00
103		2202–02–800–0001–सैनिक विद्यालय तिलैया	0.22
104		2202–03–102–0117–राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	1.50
105		2202–04–200–0203–अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	1.00
106		2202–04–200–0204–राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर भारत	0.15
107		2202–04–200–0303–अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	0.42
108		2202–80–004–0106–ए० एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.25
109		2205–00–105–0003–श्री कृष्ण सेवासदन, मुंगेर, सहायक अनुदान	0.26
110		2205–00–105–0011–राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान	0.45
111		4202–01–203–0106–राजकीय महिला महाविद्यालय	0.10
112	22	2055–00–109–0009–एस०आर०इ० योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में वाहनों/हेलीकॉप्टरों/संचार संसाधन का किराया (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.70
113		2055–00–115–0303–पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	65.00
114		2055–00–115–0404–निर्भया (नेशन वाईड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम)	12.30
115		2056–00–003–0001–राज्य के कारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.10
116		2070–00–107–0004–होमगार्ड के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	2.00
117		2235–01–202–0004–आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	0.15

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
118	23	2851–00–789–0104—हस्तकरधा विकास की योजना	2.00
119		2851–00–789–0105—रेशम का विकास हेतु पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	3.60
120		2851–00–789–0109—अनुसुचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना—बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	11.60
121		2851–00–796–0102—बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0.20
122		2851–00–796–0106—रेशम का विकास	0.25
123		4851–00–190–0102—भेनचर कैपिटल में निवेश	0.10
124		4851–00–190–0103—बिहार स्टेट मिल्क को—ऑपरेटिव फेडरेशन लिं0 (कॉम्फेड)	10.00
125	24	2220–60–103–0002—बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.07
126		2220–60–106–0106—बिहार संवाद समिति	5.00
127		2235–60–110–0103—बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना	0.50
128		2235–60–200–0115—पत्रकार पेंशन योजना	0.30
129	25	2852–07–202–0113—निश्चय—विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई फाई	52.00
130		4959–02–051–0101—राज्य डाटा केन्द्र	25.00
131	26	2230–01–112–0101—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	0.14
132		2230–01–112–0201—बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	1.20
133		2230–02–101–0113—निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता	0.39
134		2230–02–101–0115—राज्य के नियोजनालय को जन—निजी भागीदारी में संचालन	4.12
135		2230–02–101–0116—प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	0.60
136	27	2014–00–105–0007—अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.50
137		2014–00–114–0105—बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंस/एसोसिएशन को अनुदान	0.10
138		2014–00–117–0002—परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	2.30
139	30	2202–02–107–0210—अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1.00
140		2250–00–003–0101—अल्पसंख्यक वर्गों के कामगारों को प्रशिक्षण	8.00
141		2250–00–101–0101—मुस्लिम परित्यक्ता के सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु	2.00
142		2250–00–800–0107—वक्फ सम्पत्ति के रख—रखाव, सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु	10.00
143		4225–04–277–0102—अल्पसंख्यक कल्याण अंतररपूर्ति योजना	1.00
144	33	2052–00–090–0041—अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	2.59

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
145	35	2059-01-053-0024—मेला, हाट, बाजार और कचहरी भवन का संधारण	2.00
146		2235-01-796-0505—कोसी बाढ़ आपदा पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	0.83
147		2235-01-796-0501— कोसी बाढ़ आपदा पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	0.16
148		3451-00-101-0101—बिहार राज्य योजना बोर्ड	2.00
149		3454-02-204-0120—भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना	1.00
150		3454-02-204-0422—भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना	14.24
151		3454-02-205-0406—राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण)	0.43
152		3454-02-789-0101—समग्र सांख्यिकी विकास योजना	6.88
153		3454-02-796-0103—समग्र सांख्यिकी विकास योजना	0.43
154		3475-00-004-0101—मुख्यमंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना	1.00
155		4515-00-102-0303—एल० डब्ल्यू० ई० जिलों के लिए ए०सी०ए०	1.00
156	36	4215-01-102-0116—ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	27.34
157	37	4515-00-103-0119—ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	1,035.64
158		4515-00-103-0316—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)	1,200.00
159		4515-00-796-0109—मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	94.96
160	38	2039-00-001-0007—उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिए मुआवजा	0.20
161	39	2245-01-101-0003—संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.08
162		2245-01-101-0005—अन्य कार्य	0.50
163		2245-01-104-0001—चारे की पूर्ति	0.50
164		2245-01-105-0001—पशुओं के लिए दवा	0.10
165		2245-02-101-0014—शीतलहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद दान	0.10
166		2245-02-102-0001—पेयजल की पूर्ति	1.00
167		2245-02-105-0001—पशुओं के लिए दवा	0.50
168		2245-02-106-0001—क्षतिग्रस्त सड़कों—पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यस्थापन	400.01
169		2245-02-113-0003—अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण	1.00
170		2245-02-117-0001—बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	1.00
171		2245-02-800-0007—गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय	0.39
172		2245-06-101-0001—मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.20
173		2245-80-001-0204—राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण	1.32
174		2245-80-800-0003—बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.15

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
175		4250-00-051-0104-वेयर हाउस	2.00
176	40	2029-00-103-0206-राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी०)	96.60
177		2029-00-104-0004-जमींदारी उन्मूलन बन्धपत्र	0.42
178		4047-00-050-0107-पिछ़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्य	0.15
179		4047-00-796-0101-गृह विहीनों के लिए गास भूमि	1.62
180	42	2216-03-105-0106-मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.25
181		2216-03-789-0103-मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.50
182		2501-01-001-0104-बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग	2.00
183		3454-02-206-0102-विशिष्ट पहचान योजना (यू0आई0डी०)	20.20
184	43	2203-00-003-0101-प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.36
185	44	2070-00-001-0106-अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.50
186		2225-01-001-0003-राज्य अनुसूचित जाति आयोग	1.21
187		2225-01-102-0101-परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.50
188		2225-01-197-0001-प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.15
189		2225-01-197-0002-छात्रवृत्ति / वजीफा	0.15
190		2225-01-198-0001-प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.50
191		2225-01-277-0007-प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	2.00
192		2225-01-793-0401-अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	50.00
193		2225-02-001-0001-राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	0.84
194		2225-02-102-0201-अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	18.00
195		2225-02-102-0202-अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00
196		2225-02-277-0216-पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति	3.00
197		2225-02-796-0125-थरुहट क्षेत्र विकास	27.61
198		2225-02-796-0228-विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों समूहों के विकास	3.00
199		4425-00-108-0164-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	4.00
200	46	3452-80-003-0101-बिहार कौशल विकास मिशन	10.00
201	47	5055-00-051-0103-वे ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा)	6.00
202	48	2215-01-789-0103-पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	5.00
203		2215-01-796-0103-पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	2.00
204		2215-02-789-0303-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी०पी०)	10.00
205		2215-02-796-0305-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी०पी०)	5.00
206		2217-01-001-0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	1.35
207		2217-01-053-0001-बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	5.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
208		2217-01-191-0106—नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ते हेतु	0.29
209		2217-01-191-0115—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	23.00
210		2217-01-789-0102—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	27.00
211		2217-01-789-0205—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	36.00
212		2217-01-789-0305—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	36.40
213		2217-01-796-0201—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	1.50
214		2217-05-001-0101—ई० गवर्नेंस / नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	2.00
215		2217-05-001-0102—योजनाओं का अनुश्रवण / मूल्यांकन / पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	1.00
216		2217-05-001-0107—शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों / प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	2.00
217	49	2711-01-001-0506—बाढ़ प्रबंधन क्षमता सुदृढ़ीकरण योजना (एस०ए०डब्ल०आई० ट्रस्ट फंड बाह्य संपोषित)	0.75
218	50	2702-02-789-0102—सर्वे और जाँच	0.64
219		4702-00-796-0206—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी०ए०के०एस०वाई०)	1.00
220		4702-00-796-0306—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी०ए०के०एस०वाई०)	0.10
221	51	2235-02-102-0226—राष्ट्रीय केच स्कीम	0.60
222		2235-02-102-0326—राष्ट्रीय केच स्कीम	0.30
223		2235-02-103-0219—इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	52.29
224		2235-02-103-0227—महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण उज्जवला स्कीम	1.68
225		2235-02-103-0229—स्वधार गृह योजना	3.99
226		2235-02-103-0319—इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	15.35
227		2235-02-103-0327—महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण उज्जवला स्कीम	0.84
228		2235-02-103-0329—स्वधार गृह योजना	2.66
229		2235-02-200-0106—प्रदर्शनी, सेमिनार और सम्मेलन	0.20
230		2235-02-789-0313—इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	11.44
231		2235-60-200-0119—मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित समाजिक सुरक्षा पेशन योजना	2.00
232		4235-02-102-0106—पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.10
योग			4,686.68

(स्रोत: अनुदान अंकेक्षण पंजी, 2018-19)

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 35)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/ कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03—भवन निर्माण विभाग	2059	177.11	51.43	125.68	70.96
2	04—मंत्रिमंडल सचिवालय	3053	3.02	0.00	3.02	100.00
3	विभाग	5053	19.73	0.00	19.73	100.00
4	05—राज्यपाल सचिवालय	2012	3.44	0.09	3.35	97.38
5	12—वित्त विभाग	2054	83.50	51.20	32.30	38.68
6		2070	4.15	1.50	2.65	63.86
7	30—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250	60.00	50.00	10.00	16.67
8	35—योजना एवं विकास विभाग	2053	37.51	9.43	28.08	74.86
9	41—पथ निर्माण विभाग	3054	487.00	151.80	335.20	68.83
10	45—गन्ना उद्योग विभाग	2401	46.71	38.14	8.57	18.35
11	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	2015	4.31	3.06	1.25	29.00
योग			926.48	356.65	569.83	61.50

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेण० एवं हक०), विहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 35)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401—फसल कृषि कर्म	2,659.64	793.89	29.85
2		2402—मृदा तथा जल संरक्षण	170.85	38.39	22.47
3		2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	375.41	51.27	13.66
4	2	2403—पशुपालन	490.23	68.91	14.06
5		2405—मत्स्य पालन	174.60	97.62	55.91
6		3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	21.61	20.10	93.01
7	3	2059—लोक निर्माण कार्य	734.65	51.43	7.00
8		2216—आवास	37.95	14.39	37.92
9		4047—अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	17.00	5.37	31.59
10		4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	95.00	13.84	14.57
11		4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,315.96	404.39	17.46
12		4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	625.00	56.22	9.00
13		4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	25.87	13.42	51.87
14		4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय	379.24	49.77	13.12
15		4408—खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय	141.56	21.40	15.12
16		5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	46.41	6.41	13.81
17	4	2053—जिला प्रशासन	75.43	20.61	27.32
18		2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	213.58	64.61	30.25
19	6	2015—निर्वाचन	129.49	14.39	11.11
20	8	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	72.72	19.07	26.22
21		2205—कला एवं संस्कृति	63.33	25.10	39.63
22	9	2401—फसल कृषि कर्म	1,308.55	587.53	44.90
23		2425—सहकारिता	507.90	249.16	49.06
24		4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	60.69	42.76	70.46
25	10	2810—अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	84.59	71.24	84.22
26		4810—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,424.83	61.86	1.14

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
27		6801—बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	390.28	233.89	59.93
28	11	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,551.69	341.58	22.01
29	12	2052—सविवालय —सामान्य सेवाएँ	75.56	10.27	13.59
30		2054—कोषागार तथा लेखा प्रशासन	167.55	51.20	30.56
31		7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	43.00	19.65	45.70
32	13	2049—ब्याज अदायगियाँ	10,764.82	13.06	0.12
33	16	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10,231.82	1,876.51	18.34
34	17	2043—राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह	155.71	34.97	22.46
35	18	2408—खाद्य भंडारण तथा भांडागार	417.55	61.07	14.63
36		3456—सिविल आपूर्ति	939.95	179.19	19.06
37		5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	40.31	10.42	25.85
38	19	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	360.21	29.80	8.27
39		4406—वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	56.60	25.27	44.65
40	20	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6,218.67	507.13	8.15
41		2211—परिवार कल्याण	1,614.77	873.25	54.08
42		4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,615.38	150.48	9.32
43	21	2202—सामान्य शिक्षा	36,918.81	9,175.91	24.85
44		4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	547.45	103.88	18.98
45	22	2055—पुलिस	7,751.24	152.57	1.97
46		2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	632.35	11.86	1.88
47		2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	80.31	15.98	19.90
48		4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	466.98	13.36	2.86
49		4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	83.91	12.73	15.17
50	23	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	128.94	18.72	14.52
51		2852—उद्योग	578.42	23.58	4.08
52	24	2220—सूचना तथा प्रचार	233.15	40.80	17.50
53	25	2852—उद्योग	244.45	43.81	17.92
54	26	2230—श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	680.43	147.14	21.62
55		4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20.00	16.93	84.65
56	27	2014—न्याय प्रशासन	905.79	151.80	16.76
57	28	2014—न्याय प्रशासन	164.42	12.19	7.41
58	29	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	51.12	16.15	31.59

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
59	30	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	49.00	5.09	10.39
60		2250—अन्य सामाजिक सेवाएँ	65.04	32.00	49.20
61		4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	128.00	83.56	65.28
62	32	2011—संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानमंडल	184.11	13.84	7.52
63	33	2051—लोक सेवा आयोग	119.42	69.60	58.28
64		2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ	120.92	11.75	9.72
65		2053—जिला प्रशासन	452.58	132.52	29.28
66	35	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	316.00	25.90	8.20
67		3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	130.60	75.07	57.48
68		4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,195.27	156.53	13.10
69		4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	13.68	27.36
70		4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	604.32	193.11	31.95
71	36	2215—जलापूर्ति एवं स्वच्छता	917.61	34.02	3.71
72		4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,125.84	451.09	21.22
73	37	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	293.37	51.98	17.72
74		3054—सड़क तथा सेतु	900.00	50.61	5.62
75		4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	10,305.97	1,759.64	17.07
76	38	2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण	92.90	28.41	30.58
77		2039—राज्य उत्पाद शुल्क	110.65	13.24	11.97
78	39	2245—प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	4,791.56	1,321.87	27.59
79	40	2029—भू—राजस्व	746.40	126.51	16.95
80		4047—अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	27.95	6.23	22.29
81	41	3054—सड़क तथा सेतु	1,414.61	151.80	10.73
82		5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,747.21	155.89	2.71
83	42	2203—तकनीकी शिक्षा	228.23	124.25	54.44
84		2215—जलापूर्ति एवं सफाई	5,884.01	290.29	4.93
85		2216—आवास	8,407.24	262.45	3.12
86		2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,320.21	411.65	31.18
87		2505—ग्राम रोजगार	2,187.49	402.78	18.41
88		2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	894.39	49.02	5.48

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
89		3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	20.20	20.20	100.00
90		4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	151.01	12.74	8.44
91	43	2203—तकनीकी शिक्षा	182.79	23.42	12.81
92		4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	178.50	45.69	25.60
93	44	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,459.05	400.91	27.48
94	45	2401—फसल कृषि कर्म	72.14	38.14	52.87
95		2852—उद्योग	177.40	37.01	20.86
96	46	3452—पर्यटन	57.92	21.75	37.55
97		5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	108.01	18.67	17.29
98	47	2041—वाहन कर	124.74	68.51	54.92
99		3055—पथ परिवहन	1,175.15	74.23	6.32
100	48	2215—जलापूर्ति एवं सफाई	206.00	60.19	29.22
101		2217—शहरी विकास	5,036.16	1,211.26	24.05
102	49	2700—मुख्य सिंचाई	549.84	24.05	4.37
103		2711—बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	408.39	11.43	2.80
104		4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,767.64	68.92	3.90
105	50	2702—लघु सिंचाई	472.52	35.10	7.43
106		4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	265.40	91.45	34.46
107	51	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,206.41	1,152.34	15.99
108		2236—पोषण	2,323.77	108.10	4.65
109		4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	209.28	13.19	6.30
योग			1,72,346.95	27,279.98	15.83

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 35)

मार्च 2019 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	वर्ष 2018–19 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2019 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2019 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
					जनवरी – मार्च 2019	मार्च 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	01—कृषि विभाग	2,194.81	1,375.99	869.84	62.69	39.63
2.	03—भवन निर्माण विभाग	3,233.94	2,342.05	1,425.04	72.42	44.07
3.	04—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	234.67	128.86	104.79	54.91	44.65
4.	06—निर्वाचन विभाग	115.46	81.46	59.73	70.55	51.73
5.	09—सहकारिता विभाग	1,479.33	901.43	815.13	60.94	55.10
6.	10—ऊर्जा विभाग	12,117.91	5,501.48	3,976.99	45.40	32.82
7.	19—पर्यावरण एवं वन विभाग	350.00	226.26	181.60	64.65	51.89
8.	25—सूचना प्रावैधिकी विभाग	172.75	141.38	84.00	81.84	48.63
9.	41—पथ निर्माण विभाग	6,485.23	3,611.43	2,028.26	55.69	31.28
10.	43—विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	250.09	156.78	87.11	62.69	34.83
11.	45—गन्ना उद्योग विभाग	169.46	114.56	76.49	67.60	45.14
12.	47—परिवहन विभाग	1,162.20	1,120.40	1,063.32	96.40	91.49
13.	48—नगर विकास एवं आवास विभाग	3,300.02	1,857.25	1,031.67	56.28	31.26
14.	50—लघु जल संसाधन विभाग	604.44	392.38	347.91	64.92	57.56
योग		31,870.31	17,951.71	12,151.88	56.33	38.13

(स्रोत: वित्त लेखे, 2018–19)

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 36)

गैर आकस्मिक सर्वर्च के लिए आकस्मिक निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीष	मुख्य शीष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	10 वाहनों के क्रय हेतु	1.17
2			विवेकाधीन अनुदान पर प्रत्याशित व्यय के मुकाबले राशि की कम मांग	0.40
3	2014	न्याय प्रशासन	पटना उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय हेतु वाहन क्रय करने के लिए	0.23
4	2029	भू राजस्व	राज्य में विभिन्न मेलाओं के प्रयोजन हेतु	0.95
5			राजस्व एवं भू सुधार विभाग, बिहार के माननीय मंत्री तथा मुख्य सचिव के कार्यालय के वाहन क्रय हेतु	0.41
6	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	शारब के खपत की जाँच हेतु ब्रेथ एनालाइजर के लिए भुगतान	0.50
7	2052	सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	राजस्व पार्षद, बिहार के ऑन लाइन परीक्षा से संबंधित खर्च	0.50
8			लंबित यात्रा बिल के भुगतान हेतु	0.06
9			सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रत्येक चार आई-टी-लड़के एवं डी-ई-ओ- के मानदेय भुगतान हेतु	0.10
10			विकास आयुक्त के कार्यालय, बिहार के वाहन क्रय हेतु	0.36
11			योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव/सचिव के कार्यालय के वाहन क्रय हेतु	0.18
12			राजस्व मंडल, बिहार में ऑनलाइन परीक्षा, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के लिए मशीन	0.95
13			राजस्व पार्षद, बिहार के वाहन क्रय हेतु	0.18
14			विकास आयुक्त अनुभाग में संविदा ड्राइवर के भुगतान हेतु	0.06
15			सैन्य कल्याण निदेशालय द्वारा प्रयुक्त कार के लंबित किराए के भुगतान हेतु	0.04
16	2053	जिला प्रशासन	भागलपुर प्रमंडल के संभागीय आयुक्त के कार्यालय के कार क्रय हेतु	0.09
17			दो संविदा कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान हेतु	0.03
18			जिला मजिस्ट्रेट अरबल के कार्यालय के आधिकारिक प्रयोजन हेतु वाहन क्रय	0.11
19	2055	पुलिस	बिहार पुलिस हेतु वाहन क्रय	58.73
20			बिहार पुलिस हेतु नये वाहन क्रय	0.17
21	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	लोकायुक्त संस्थान के माननीय सदस्य के कार्यालय के वाहन क्रय हेतु	0.23

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	भूतपूर्व एमएलए के चिकित्सा उपचार पर व्यय हेतु	0.15
23			सेवानिवृत माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश एवं उनके परिवार के सदस्यों पर चिकित्सा खर्च हेतु	0.75
24			सेवानिवृत माननीय न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों के घरेलू सहायता भत्ता के भुगतान हेतु	0.25
25	2251	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	अल्पसंख्यक मामले के माननीय मंत्री के कार्यालय तथा अल्पसंख्यक मामले के विभाग के मुख्य सचिव के कार्यालय हेतु क्रमशः ₹23 लाख एवं ₹18 लाख के वाहनों का क्रय हेतु	0.41
26			बिहार वक्फ बोर्ड के अतिथि पीठासीन अधिकारी पर व्यय हेतु	0.01
27			माननीय मंत्री/मुख्य सचिव के कार्यालय के लिये दो वाहनों के क्रय हेतु	0.38
28	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	खनन तथा भूतत्व विभाग के माननीय मंत्री/मुख्य सचिव के कार्यालय हेतु नये वाहन	0.31
29	3451	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ	विज्ञान तथा तकनीकी विभाग के माननीय मंत्री एवं मुख्य सचिव के कार्यालय के लिये वाहन क्रय	0.47
30			सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री के कार्यालय हेतु वाहन क्रय	0.21
31			ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के माननीय मंत्री के कार्यालय के उपयोग हेतु दो वाहनों का क्रय	0.46
32	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्यों हेतु निधि का 2 करोड़ से 3 करोड़ का विस्तार	3.18
33				50.88
34				263.94
		योग		386.85

(लोगों: वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अभिलेख)

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 38)

बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0सी0 विपत्र की तिथि	ए0सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलंब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2015	जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, लखीसराय	05-04-2014	82.00	13-11-2017	3.39	43
2.	2015	अंचल पदाधिकारी का कार्यालय, घोसी, जहानाबाद	10-04-2014	3.94	20-12-2016	1.67	32
3.	2015	अंचल पदाधिकारी का कार्यालय, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	29-04-2014	6.99	23-01-2018	4.69	44
4.	2230	सहायक निदेशक (परीक्षा), निदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण (प्रशिक्षण विंग) का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना	24-01-2014	10.51	14-11-2017 16-11-2017	1.46	45
5.	2230	प्राचार्य का कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी, अररिया	30-03-2017	12.28	23-03-2018	4.04	11
6.	2235	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, बेतिया, पूर्वी चम्पारण	17-02-2012	3.80	27-12-2017	2.88	70
7.	2403	पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना	20-03-2016 20-03-2016 30-03-2016 30-03-2016 30-03-2016 30-03-2016 30-03-2016	1.90 84.42 38.05 19.02 12.00 8.73 16.09	16-05-2018 16-05-2018 16-05-2018 17-05-2018 17-05-2018 17-05-2018 05-06-2018	0.39 0.01 0.14 7.11 4.19 5.87 2.00	25 25 25 25 25 25 26
8.	2403	महाप्रबंधक का कार्यालय, केन्द्रीय पोल्डी क्षेत्र, पटना	17-03-2010	150.00	15-02-2018	6.98	94
9.	2405	जिला मत्स्य अधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय नालंदा, बिहार शरीफ	15-02-2016	56.95	25-05-2017	31.61	15
10.	2515	जिला पदाधिकारी का कार्यालय, मधुबनी	26-03-2009	9.83	25-01-2018	7.84	105

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए०सी० विपत्र की तिथि	ए०सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलंब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	2852	सहायक निदेशक का कार्यालय, उद्योग (लेखा) उद्योग विभाग, बिहार, पटना	15-03-2016	800.00	18-04-2018	200.37	25
12.	3454	जिला पदाधिकारी का कार्यालय, सीवान	30-03-2007	16.66	29-10-2016	2.07	114
13.	4059	उप समाहर्ता (नजारत) का कार्यालय, सीवान	19-02-2013	239.75	15-12-2017	74.89	57
14.	4202	प्रभारी पदाधिकारी का कार्यालय, जिला विकास स्कंध, सारण, छपरा	29-03-2010	13.25	28-06-2018	1.43	98
15.	4250	प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, मेजरगंज, सीतामढ़ी	31-12-2013	26.71	07-02-2018	2.64	49
योग				1,612.88		365.67	

(स्रोत: 2018–19 के लिए वार्ताचर लेखापरीक्षा का परिणाम)

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 38)
शत्-प्रतिशत प्रेषण की राशि का व्यौरा

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए०सी० विपत्र की तिथि	ए०सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण विलंब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2055	उप निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, सहरसा	20-08-2009	21.15	30-12-2017	21.15	100
2.	2204	जिला नजारत उप समाहर्ता का कार्यालय, बेतिया, पूर्वी चम्पारण	31-03-2016	10.00	25-01-2018	10.00	21
3.	2235	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, लोरिया, पूर्वी चम्पारण	21.02.2012	3.80	02.08.2018	3.80	77
4.	2235	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, ग्वालपारा, मधेपुरा	31-03-2010	0.73	01-02-2018	0.73	94
			31-03-2008	0.57	01-02-2018	0.57	118
			04-02-2012	0.58	01-02-2018	0.58	71
5.	2245	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, मधेपुरा	31.03.2013	10.99	01.12-2015	10.99	32
6.	2250	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, सारण	31-12-2011	1.20	20-06-2017	1.20	65
7.	2401	प्रशासनिक-सह-लेखा पदाधिकारी का कार्यालय, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना	21-11-2016	1.12	14-02-2018	1.12	14
8.	2851	निदेशक, हथकरघा और सेरीकल्चर का कार्यालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	10-02-2016	9.98	19-12-2017	9.98	22
9.	2851	निदेशक, हथकरघा और सेरीकल्चर का कार्यालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	10-02-2016	27.24	19-12-2017	27.24	22
10.	3456	जिला नजारत उप समाहर्ता का कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर	25-01-2012	2.47	28-11-2017	2.47	70
11.	4425	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, पटना	31-03-2016	34.40	28-11-2017	34.40	19
योग				124.23		124.23	

(योग: 2018-19 के लिए गठबंध लेखापरीक्षा का परिणाम)

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 38)

वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक (प्रत्येक मामले में) असमाशोधित राशि की विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित राशि	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
असमाशोधित प्राप्तियाँ			
1.	0006—राज्य माल एवं सेवा कर	15,288.06	4,868.87
2.	0028—आय और व्यय पर अन्य कर	258.36	125.05
3.	0029—भू—राजस्व	476.80	476.80
4.	0030—स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,188.61	4,186.90
5.	0040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,584.24	6,584.24
6.	0041—वाहनों पर कर	2,085.94	1,997.07
7.	0042—माल एवं यात्रियों पर कर	398.74	398.74
8.	0043—उर्जा पर कर एवं शुल्क	269.16	269.16
9.	0045—सेवाओं और वस्तुओं पर अन्य कर एवं शुल्क	39.17	39.17
10.	0049—व्याज भुगतान	1,371.94	1,371.94
11.	0050—लाभांश और मुनाफा	13.67	13.67
12.	0051—लोक सेवा आयोग	34.09	34.09
13.	0055—पुलिस	30.41	30.41
14.	0059—लोक निर्माण कार्य	25.39	25.39
15.	0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46.80	16.80
16.	0202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.85	18.85
17.	0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	66.61	59.27
18.	0215—जलापूर्ति तथा सफाई	11.41	11.41
19.	0230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	14.89	14.89
20.	0401—फसल कृषि कर्म	14.99	14.99
21.	0405—मत्स्यपालन	13.17	13.17
22.	0406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	29.11	29.11
23.	0425—सहकारिता	20.46	20.46
24.	0515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	62.37	62.37
25.	0700—मुख्य सिंचाई	36.92	36.92
26.	0701—मध्यम सिंचाई	15.85	15.85
27.	0702—लघु सिंचाई	11.40	11.40
28.	0853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,560.65	1,510.92
29.	1054—सड़क एवं सेतु	118.06	118.06
30.	1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.42	21.42
31.	1601—केन्द्रीय सहायता अनुदान	24,651.63	50.08
कुल		57,779.17	22,447.47
असमाशोधित व्यय			
1	2013—मंत्रिपरिषद्	24.77	24.77

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित राशि	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
2	2014—न्याय प्रशासन	970.22	847.82
3	2015—निर्वाचन	122.51	122.51
4	2029—भू—राजस्व	518.90	518.90
5	2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण	64.55	64.55
6	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	97.54	97.54
7	2041—वाहन कर	55.89	55.89
8	2043—राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह	113.87	112.78
9	2049—व्याज अदायगियाँ	10,071.14	841.44
10	2051—लोक सेवा आयोग	98.72	68.22
11	2052—सचिवालय —सामान्य सेवाएँ	260.85	110.06
12	2053—जिला प्रशासन	467.57	460.06
13	2054—कोषागार तथा लेखा प्रशासन	84.04	83.84
14	2055—पुलिस	7,046.94	5,429.13
15	2056—जेल	403.24	118.02
16	2059—लोक निर्माण कार्य	558.11	558.11
17	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	768.64	674.04
18	2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	16,027.75	16,027.75
19	2202—सामान्य शिक्षा	26,688.96	26,675.91
20	2203—तकनीकी शिक्षा	238.13	187.92
21	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	53.28	53.28
22	2205—कला एवं संस्कृति	43.16	43.16
23	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,427.11	5,397.40
24	2211—परिवार कल्याण	745.00	738.83
25	2215—जलापूर्ति एवं स्वच्छता	5,387.28	5,387.28
26	2216—आवास	5,470.59	5,470.59
27	2217—शहरी विकास	3,063.56	3,063.56
28	2220—सूचना तथा प्रचार	187.28	187.28
29	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	2,164.39	2,164.39
30	2230—श्रम एवं रोजगार	517.05	517.05
31	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,127.47	5,110.14
32	2236—पोषण	1,486.52	1,486.52
33	2245—प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,607.14	1,530.76
34	2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	72.85	54.91
35	2401—फसल कृषि कर्म	1,667.80	1,667.80
36	2402—मृदा तथा जल संरक्षण	119.05	119.05
37	2403—पशुपालन	365.30	33.95
38	2404—डेयरी विकास	118.70	46.77
39	2405—मत्स्य पालन	73.85	63.11
40	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	314.77	314.77
41	2408—खाद्य भंडारण तथा भांडागार	356.25	356.25

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित राशि	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
42	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	374.19	168.64
43	2425—सहकारिता	241.55	241.55
44	2501—ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	908.42	908.42
45	2505—ग्रामीण रोजगार	1,027.72	1,027.72
46	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,416.39	9,416.39
47	2700—मुख्य सिंचाई	501.88	409.57
48	2702—लघु सिंचाई	428.20	392.32
49	2711—बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	395.23	325.07
50	2801—ऊर्जा (बिजली)	6,909.68	2,772.68
51	2810—गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत	13.35	13.35
52	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	59.21	59.21
53	2852—उद्योग	751.76	751.76
54	2853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	29.42	16.25
55	3054—सड़क तथा सेतु	1,696.02	1,689.60
56	3055—पथ परिवहन	1,095.51	1,095.51
57	3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ	93.38	72.76
58	3456—सिविल आपूर्ति	738.45	737.99
59	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	91.77	91.77
60	4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	445.33	445.33
61	4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,781.73	1,781.73
62	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,079.48	1,063.13
63	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,056.22	1,047.56
64	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,145.71	1,145.71
65	4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,485.37	1,485.37
66	4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय	231.21	231.21
67	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	27.21	27.21
68	4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	73.51	73.51
69	4401—फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	54.57	54.57
70	4406—वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	31.12	31.12
71	4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	12.58	12.58
72	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	960.40	960.40
73	4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	636.98	636.98
74	4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	170.21	170.21
75	4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,243.88	1,243.88
76	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,035.36	5,035.36
77	4853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग कर पूँजीगत परिव्यय	13.84	13.84
78	4859—दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	81.83	81.83
79	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,263.69	5,263.69
80	5465—सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	123.00	15.00
योग		1,44,776.10	1,27,896.89

(झोत: कार्यालय महालेखाकार (लै० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 40)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या-09)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
1.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन एवं प्रशासन—0001—निदेशन	5.51	0.09	5.60	4.89
2.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन एवं प्रशासन—0002—अधीक्षण	89.25	1.82	91.07	87.54
3.	2425—सहकारिता—00—101—सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा—0001—अंकेक्षण	28.52	0.30	28.82	27.34
	योग	123.28	2.21	125.49	119.77

(ओत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2018-19)

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 40)
निधियों का शत् प्रतिशत् अभ्यर्पण (अनुदान संख्या-09)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1.	2401—फसल कृषि कर्म—00—110—फसल बीमा—0101—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.01	0.01
2.	2401—फसल कृषि कर्म—00—110—फसल बीमा—0104—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	0.01	0.01
3.	2401—फसल कृषि कर्म—00—110—फसल बीमा—0110—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0.01
4.	2408—खाद्य भंडारण तथा भांडागार—02—भंडारण और भांडागार—190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों को सहायता—0101—बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.01	0.01
5.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0003—सहकारी अधिकरण	0.03	0.03
6.	2425—सहकारिता—00—003—प्रशिक्षण—0102—विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	1.00	1.00
7.	2425—सहकारिता—00—003—प्रशिक्षण—0103—सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण एवं मरम्मति हेतु	1.00	1.00
8.	2425—सहकारिता—00—107—क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता—0105—मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	5.27	5.27
9.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0107—समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	3.78	3.78
10.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0419—प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50	187.50
11.	6425—सहकारिता के लिए कर्ज—00—108—अन्य सहकारी समितियों को कर्ज—0419—प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50	187.50
	योग	386.12	386.12

(ओत: 2018-19 के विस्तृत विनियोग लेखे, अनुदान अंकेशण पंजी तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 40)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या-09)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुन विनियोजन	योग (2+3+4)	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2401—फसल कृषि कर्म—00—110—कृषि बीमा —0107—पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान	0.01	0.00	1.02	1.03	0.004	0.39
2.	2401—फसल कृषि कर्म—00—110—कृषि बीमा —0112—बिहार राज्य फसल सहायता योजना	0.00	900.00	0.00	900.00	581.77	64.64
3.	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0364—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनात्तर्गत प्रीमियम अनुदान	6.97	0.00	0.00	6.97	5.73	82.21
4.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन एवं प्रशासन—0001—निदेशन	5.51	0.09	0.00	5.60	0.70	12.50
5.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन एवं प्रशासन—0002—अंकेक्षण	89.25	1.82	0.00	91.07	3.53	3.88
6.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन एवं प्रशासन—0107—सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	1.00	0.00	0.96	1.96	1.07	54.59
7.	2425—सहकारिता—00—003—प्रशिक्षण—0001—कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.46	0.00	0.00	0.46	0.08	17.39
8.	2425—सहकारिता—00—101—सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा—0001—अंकेक्षण	28.52	0.30	0.00	28.82	0.39	1.35
9.	2425—सहकारिता—00—105—सूचना एवं प्रचार—0101—सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय	0.51	0.00	1.26	1.77	0.23	12.99
10.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0114—गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	83.90	0.00	0.00	83.90	0.77	0.92
11.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0116—सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	50.00	0.00	0.00	50.00	29.61	59.22

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुन विनियोजन	योग (2+3+4)	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0118—पैक्सों/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान	22.00	0.00	-0.96	21.04	14.20	67.49
13.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0419—पैक्सों के अंतर्गत कृषि संयंत्र बैंकों की स्थापना	0.00	187.50	0.00	187.50	187.50	100.00
14.	3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0005—सहकारिता विभाग	5.71	0.63	0.00	6.34	0.13	2.05
15.	4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय—00—051—निर्माण—0203—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	23.82	0.00	23.82	12.85	53.95
16.	4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय—00—051—निर्माण—0303—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	31.77	0.00	31.77	29.91	94.15
17.	6425—सहकारिता के लिए कर्ज—00—107—जमा सहकारी समितियों को कर्ज—0101—बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	74.03	725.97	0.00	800.00	0.007	0.00
18.	2401—फसल कृषि—कर्म—00—110—फसल बीमा—0101—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
19.	2401—फसल कृषि—कर्म—00—110—फसल बीमा—0104—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
20.	2401—फसल कृषि—कर्म—00—110—फसल बीमा—0110—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
21.	2408—खाद्य भंडारण तथा भंडागार—02—भंडारण और भंडागार—190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों को सहायता—0101—बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुन विनियोजन	योग (2+3+4)	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	2425—सहकारिता—00—001—निदेशन तथा प्रशासन —0003—सहकारी अधिकरण	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00
23.	2425—सहकारिता—00—003—प्रशिक्षण—0102—विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
24.	2425—सहकारिता—00—003—प्रशिक्षण—0103—सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं बनाने हेतु	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
25.	2425—सहकारिता—00—107—सहकारी क्रेडिट समितियों को सहायता—0105—मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	5.27	0.00	0.00	5.27	5.27	100.00
26.	2425—सहकारिता—00—108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—0107—समेकित शहरी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	3.78	0.00	0.00	3.78	3.78	100.00
योग		378.99	1,871.9	2.28	2,253.17	879.601	39.04

(स्रोत 2018-19 के विस्तृत विनियोग लेखे, अनुदान अंकेशण पंजी तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

परिशिष्ट-2.20

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)
वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधि का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
1.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएं—0001—यक्षमा निरोध कार्यक्रम	68.97	8.88
2.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—200—अन्य पद्धतियाँ —0001—अन्य पद्धतियाँ	0.30	0.23
3.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—101—रोगों का निवारण तथा नियंत्रण—0012—महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	3.00	0.71
4.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल एवं औषधालय—0011—संकामक रोग अस्पताल, पटना	2.87	0.33
5.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल एवं औषधालय—0012—राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	8.15	1.27
6.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—001—निदेशन और प्रशासन—0001—अधीक्षण	12.59	0.90
7.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल तथा औषधालय—0001—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	119.32	2.29
8.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —103—प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र—0001—प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1165.88	34.42
9.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —101—स्वास्थ्य उप केंद्र—0003—स्वास्थ्य उप केंद्र	46.59	3.68
10.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)—200 —अन्य स्वास्थ्य योजनाएं—0005—अन्यान्य औषधालय, स्थानीय औषधालय	41.74	5.06
11.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएं—0006—विधायक अस्पताल, पटना	2.21	0.45
12.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल एवं औषधालय—0019—रोगी कल्याण समितियों हेतु	2.00	2.00
13.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएं—0002—कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	61.42	6.49
14.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —001—निदेशन और प्रशासन—0001—स्वास्थ्य निदेशालय	29.77	6.19
15.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—102—खाद्य अपमिश्रण का निवारण—0001—खाद्य नियंत्रक स्थापना	3.51	0.71
16.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—106—औषध नियंत्रण —0001—औषध नियंत्रण स्थापना	14.92	1.14
17.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—104—औषध नियंत्रण —0002—प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना	1.05	0.12
18.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—107—लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला—0001—लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	6.06	0.38
19.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—113—लोक स्वास्थ्य प्रचार—0001—प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.68	0.01

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
20.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06— लोक स्वास्थ्य—003—प्रशिक्षण—0002—जनस्वास्थ्य संरक्षण	16.64	3.46
21.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06— लोक स्वास्थ्य—101—रोगो का निवारण तथा नियंत्रण —0002— राष्ट्रीय फाइलरिया नियंत्रण कार्यक्रम	28.92	1.01
22.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06— लोक स्वास्थ्य—101—रोगो का निवारण तथा नियंत्रण —0003—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	35.71	6.99
23.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल तथा औषधालय—0013—सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	575.79	54.29
24.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल तथा औषधालय —0016—मानसिक आरोग्यशाला	15.00	10.25
25.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —001—निदेशन और प्रशासन —0002—जिला चिकित्सा पदाधिकारी	73.02	4.70
26.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—101—आयुर्वेद —0002—आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला	2.06	0.37
27.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—101— आयुर्वेद —0001—देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय	36.53	8.93
28.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—102— होम्योपैथी —0001— होम्योपैथी—औषधालय	6.71	1.89
29.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां —103—यूनानी—0001—यूनानी औषधालय	5.48	1.66
30.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —101—आयुर्वेद—0001—आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय	14.59	1.56
31.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—101—आयुर्वेद—0002—आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना	26.53	5.97
32.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—101— आयुर्वेद —0004— आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर दरभंगा	3.27	0.37
33.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—101— आयुर्वेद —0005—आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर	1.88	0.18
34.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—102—होम्योपैथी —0001—होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	9.53	1.22
35.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —103—यूनानी—0001—तिब्बी कॉलेज	34.78	2.46
36.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —101— आयुर्वेद —0003— आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर	9.01	0.80
37.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—101— आयुर्वेद —0002—ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	21.91	2.71
38.	2211—परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं—0205—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	612.54	182.76
39.	2211— परिवार कल्याण—00—004—अनुसंधान तथा मूल्यांकन —0202—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.22	0.15
40.	2211—परिवार कल्याण—00—003—प्रशिक्षण—0206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	49.37	42.33

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
41.	2211— परिवार कल्याण —00—001—निदेशन और प्रशासन —0204— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	117.00	91.55
42.	2211— परिवार कल्याण —00—103—मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य —0102—मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	280.00	252.04
43.	2211— परिवार कल्याण —00—004—अनुसंधान तथा मूल्यांकन —0302— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.11	0.11
44.	2211— परिवार कल्याण —00—003— प्रशिक्षण —0306— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	21.55	17.45
45.	2211— परिवार कल्याण —00—102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएं —0202— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	12.61	9.39
46.	2211— परिवार कल्याण —00—001— निदेशन और प्रशासन —0304— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	35.24	25.21
47.	2211— परिवार कल्याण —00—103—मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य —0001— मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	5.82	2.01
48.	2211— परिवार कल्याण —00—102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएं —0302— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6.51	6.18
49.	2211—परिवार कल्याण —00—101— ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं—0001—ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	109.08	48.81
50.	2211— परिवार कल्याण —00—101— ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं —0305— स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	364.72	195.25
51.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —001—निदेशन और प्रशासन —0004—अंधेपन की रोकथाम	18.25	6.05
52.	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं —051—निर्माण—0109—स्वास्थ्य उपकेन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण	63.00	0.48
53.	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण —60— अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम —110—अन्य बीमा योजनायें—0304— राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	21.99	0.01
54.	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं —110— अस्पताल तथा औषधालय —0113— जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	35.00	2.00
55.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)— 200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएं—0209—एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	374.45	182.80
56.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —200—अन्य पद्धतियाँ —0002—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	1.85	0.48
57.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0005—नालंदा मेडिकल कॉलेज	67.05	6.41
58.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0003— दरभंगा मेडिकल कॉलेज	83.88	16.89
59.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0001— पटना मेडिकल कॉलेज	118.21	18.41

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
60.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —200— अन्य स्वास्थ्य योजनाएं —0008—रक्त भंडार	4.27	0.99
61.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय—0025—राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बैतिया	3.03	2.53
62.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी —0022—वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी	33.81	4.34
63.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय —0010—इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	47.69	12.61
64.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय —0009—भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	75.70	0.80
65.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय—0008—श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	81.52	14.07
66.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय—0006—मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	61.06	3.90
67.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय—0004—नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	104.95	6.32
68.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय —0002—दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	105.95	6.83
69.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी —0028—जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	13.71	11.11
70.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी —0023—राजकीय मेडिकल कॉलेज, बैतिया	37.68	4.60
71.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110— अस्पताल तथा औषधालय —0021—वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेंज अस्पताल, पावापुरी की स्थापना	28.09	3.87
72.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0016—नामांकन पर्यवेक्षण समिति	1.00	1.00
73.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0015—शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	1.00	1.00
74.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0013— फार्मसी प्रशिक्षण	3.59	0.62
75.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —110—अस्पताल तथा औषधालय—0224—रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.53	1.53

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
76.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105— एलोपैथी —0011—महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	1.22	0.34
77.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)—110— अस्पताल तथा औषधालय—0001—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	241.40	33.20
78.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) —200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएं —0111—एम्बुलेंस परिचालन	0.01	0.01
79.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा — प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —200—अन्य पद्धतियाँ—0101—इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	1.01	0.01
80.	2230—श्रम, रोजगार और कौशल विकास 03—प्रशिक्षण—102—प्रशिक्षु प्रशिक्षण —0102—स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	5.00	3.80
81.	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं —110— अस्पताल तथा औषधालय—0111— मेडिकल कॉलेज अस्पताल	8.97	0.01
82.	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं —110— अस्पताल तथा औषधालय—0219— रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	2.60	2.60
83.	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —050—भूमि—0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान	323.16	8.67
84.	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —03— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0112—ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 रकूल	365.00	125.00
85.	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —03— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना —0101— मेडिकल कॉलेज	335.00	11.73
86.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0010— भागलपुर मेडिकल कॉलेज	40.00	1.65
87.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0009—दर्त्त महाविद्यालय, पटना	12.09	1.77
88.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0008— श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	43.74	10.76
89.	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी —0007—मगध मेडिकल कॉलेज	48.63	1.35
	योग	6,939.25	1,567.87

(स्रोत: स्वास्थ्य विभाग का अभ्यर्पण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-2.21

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय
1.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (एलोपैथी)—110—अस्पताल तथा औषधालय—0001—पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	227.70	13.70	241.40	208.20
2.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (एलोपैथी)—110—अस्पताल तथा औषधालय—0008— श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	75.52	6.00	81.52	67.45
3.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—102—होम्योपैथी—0002—होम्योपैथी औषधालय	5.87	0.84	6.71	4.82
4.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—103—यूनानी—0001—यूनानी औषधालय	4.85	0.63	5.48	3.82
5.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—105—एलोपैथी—0001—पटना मेडिकल कॉलेज	118.18	0.35	118.53	99.80
6.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—105—एलोपैथी—0003—दरभंगा मेडिकल कॉलेज	78.57	5.31	83.88	66.99
7.	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—105—एलोपैथी 0028—जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	9.71	4.00	13.71	2.60
8.	2211—परिवार कल्याण—00—003— प्रशिक्षण—0206—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	29.17	20.20	49.37	7.04
9.	2211—परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ—0001—ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	64.03	45.05	109.08	60.27

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय
10.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—101—आयुर्वेद—0001—स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा निदेशालय	28.60	7.92	36.52	27.59
11.	2211—परिवार कल्याण—00—103—मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य—0001—मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य	5.56	0.25	5.81	3.81
12.	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पैँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—050—भूमि—0103—नए चिकित्सा कॉलेज एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	315.00	8.16	323.16	121.00
13.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—10 2—होम्योपैथी—0001—होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	8.93	0.60	9.53	8.31
	योग	971.69	113.01	1084.70	681.70

(स्पेत विस्तृत विवियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-2.22

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)
अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)—110—अस्पताल एवं औषधालय—0006—मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया	55.30	5.76	61.06	56.65	4.41
2.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)—110—अस्पताल एवं औषधालय—0012—राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	6.15	2.00	8.15	6.55	1.60
3.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)—110—अस्पताल एवं औषधालय—0021—वर्धमान आर्युविज्ञान संस्थान की स्थापना, पावापुरी	18.79	9.30	28.09	24.04	4.05
4.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)—200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0005 अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	29.96	11.78	41.74	33.16	8.58
5.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—101—आयुर्वेद—0004—सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पटना	5.03	2.66	7.69	7.36	0.33
6.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—101—आयुर्वेद—0002—ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	14.30	7.61	21.91	19.20	2.71
7.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—101—आयुर्वेद—0001—आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय	6.21	8.38	14.59	11.81	2.78
8.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—101—आयुर्वेद—0002— आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना	18.00	8.53	26.53	20.55	5.98
9.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान— 101—आयुर्वेद—0003—आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बक्सर	3.11	5.90	9.01	8.20	0.81
10.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान— 101—आयुर्वेद—0004—आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मोहनपुर, दरभंगा	1.81	1.46	3.27	2.89	0.38

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
11.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान —101— आयुर्वेद —0005— आयुर्वेदिक महाविद्यालय, नाथनगर, भागलपुर	1.02	0.85	1.87	1.69	0.18
12.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान —103— यूनानी— 0001— तिब्बी महाविद्यालय	17.49	17.29	34.78	31.72	3.06
13.	2211—परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ—0205—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	283.00	329.54	612.54	429.76	182.78
14.	2211—परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ—0305— स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	73.33	291.39	364.72	169.43	195.29
15.	2211—परिवार कल्याण—00—103—मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य —0102—मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण	0.00	280.00	280.00	27.88	252.12
16.	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—110—अन्य बीमा योजनाएँ—0305—आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (ए0बी0—एन0एच0पी0एम0)	0.00	125.51	125.51	50.00	75.51
17.	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—02— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—051—निर्माण—0109—स्वास्थ्य उपकरण / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण	21.00	42.00	63.00	62.52	0.48
18.	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—789—अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक—0101—चिकित्सा महाविद्यालय	135.00	200.00	335.00	310.00	25.00
योग		689.50	1,349.96	2,039.46	1,273.41	766.05

(स्पेशल विस्तृत विवियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-2.23

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)
शत् प्रतिशत् अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)
1.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—(एलोपैथी)—110—चिकित्सालय एवं औषधालय—0019—रोगी कल्याण समितियाँ	2.00	2.00	100
2.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—(एलोपैथी)—110—चिकित्सालय एवं औषधालय—0224—क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्र (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.53	1.53	100
3.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—(एलोपैथी)——200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0111—एम्बुलेंस सेवाओं का परिचालन	0.01	0.01	100
4.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—02 —शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ —200—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ —0202—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	13.47	100
5.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—200—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—0302—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	4.78	4.78	100
6.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ —एलोपैथी —200—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—0203—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	10.98	100
7.	2210 —चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए—200— अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ —0303—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	5.00	5.00	100
8.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान —105—एलोपैथी —0015—शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति	1.00	1.00	100
9.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान —105—एलोपैथी —0016—नामांकन पर्यवेक्षण समिति	1.00	1.00	100
10.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान —200—अन्य पद्धतियाँ—0101—इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान , पटना	1.01	1.01	100
11.	2211—परिवार कल्याण—00—004—अनुसंधान एवं मूल्यांकन—0302—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.11	0.11	100
12.	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—110—अन्य बीमा योजनाएँ—0204—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	105.00	105.00	100
13.	2235— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण —060— अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—110—अन्य बीमा योजनाएँ—0304—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	21.99	21.99	100
14.	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—051—निर्माण—0103—जिला चिकित्सा पदाधिकारी के आवासीय एवं कार्यालय भवन का निर्माण	5.00	5.00	100
15.	4210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—110— चिकित्सालय एवं औषधालय —0219—क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र	2.60	2.60	100
16.	4210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01— शहरी—स्वास्थ्य सेवाएँ— 110— चिकित्सालय एवं औषधालय—0319— क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.65	1.65	100
	योग	177.13	177.13	100

(लेख: विस्तृत विवियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 42)
50 से 99 प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)
1.	2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110— चिकित्सालय एवं औषधालय—0016—मानसिक चिकित्सालय	15.00	10.25	68.33
2.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—105—एलोपैथी —0028—जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यपुरा	13.71	11.11	81.04
3.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य —200—अन्य पद्धतियाँ—0001— अन्य पद्धतियाँ	0.30	0.23	76.67
4.	2211—परिवार कल्याण—00—001— निदेशन एवं प्रशासन —0204— स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	117.00	91.55	78.25
5.	2211— परिवार कल्याण —00—001—निदेशन एवं प्रशासन—0304—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	35.24	25.21	71.54
6.	2211— परिवार कल्याण —00—003—प्रशिक्षण—0206 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	49.37	42.33	85.75
7.	2211—परिवार कल्याण —00—003—प्रशिक्षण—0306— स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	21.55	17.45	80.98
8.	2211— परिवार कल्याण —00—004—अनुसंधान एवं मूल्यांकन—0202—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.22	0.15	68.18
9.	2211— परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ—0305—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	364.72	195.25	53.53
10.	2211— परिवार कल्याण—00—102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ—0202—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	12.61	9.39	74.76
11.	2211— परिवार कल्याण —00—102—शहरी परिवार कल्याण सेवाए—0302—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6.51	6.18	94.96
12.	2211— परिवार कल्याण —00—103— मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य —0102—मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण	280.00	252.04	90.01
13.	2230—श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास—03—प्रशिक्षण— 102— प्रशिक्षु प्रशिक्षण —0102—स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार कौशल विकास केंद्र का खोला जाना	5.00	3.80	75.99
14.	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम —110—अन्य बीमा योजनाएँ— 0305—आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (एबी0एन0एच0पी0एम0)	125.51	75.51	60.16
15.	4210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—050—भूमि—0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा चिकित्सा संस्थान हेतु	323.16	202.16	62.56
16.	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—105—एलोपैथी 0112 सहायक प्रसूति परिचारिका (ए0एन0एम0) और सामान्य प्रसूति परिचारिका (जी0एन0एम0) विद्यालय	365.00	240.00	65.75
	योग	1,734.90	1,182.61	68.17

(चेत: विस्तृत विवियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भ: कंडिका 2.9; पृष्ठ 42)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
1.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—102—लघु स्तरीय उद्योग 0001— प्रदर्शन केन्द्र	32.64	0.59	33.23	21.64
2.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—103— हथकरघा उद्योग 0001—हथकरघा विकास योजना।	1.86	0.02	1.88	1.53
3.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—107— रेशम उत्पादन उद्योग 0001— रेशम उत्पादन का विकास	8.78	0.03	8.81	6.30
4.	2852—उद्योग—80—सामान्य—003—औद्योगिक शिक्षा—अनुसंधान तथा प्रशिक्षण—0001—शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र	1.99	0.09	2.08	1.44
5.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—औद्योगिक उत्पादकता—0135—इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	26.66	2.45	29.11	16.86
	योग	71.93	3.18	75.11	47.77

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे वर्ष 2018-19)

परिशिष्ट-2.26

(संदर्भ: कंडिका 2.9; पृष्ठ 42)
शत् प्रतिशत् अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101—विद्युत करघा योजना	0.05	0.05
2.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग—00—789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0104—हस्तकरघा विकास की योजना	2.00	2.00
3.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0105—पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना, रेशम का विकास	3.60	3.60
4.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0109—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	11.60	11.60
5.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0101—हस्तकरघा विकास की योजना	0.05	0.05
6.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0102—बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0.20	0.20
7.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0106—रेशम का विकास	0.25	0.25
8.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0116—विद्युत करघा योजना	0.02	0.02
9.	4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय—00—190— सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश—0102— भेनचर कैपिटल में निवेश	0.10	0.10
10.	4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय—00—190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश—0103—बिहार स्टेट मिल्क को—ऑपरेटिव फेडरेशन लिं0 (कॉम्प्लेक्स)	10.00	10.00
	योग	27.87	27.87

(स्रोत: अनुदान विनियोग लेखे पंजी वर्ष 2018-19)

परिशिष्ट-2.27

(संदर्भ: कंडिका 2.9; पृष्ठ 43)
वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधि का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या- 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि
1.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—102—लघु उद्योग 0001—प्रदर्शन केन्द्र	32.64	0.59	33.23	8.92
2.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 103— हथकरधा उद्योग—0001— हथकरधा के विकास की योजना	1.86	0.02	1.88	0.28
3.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 103— हथकरधा उद्योग —0103— हथकरधा विकास की योजना	3.29	0.00	3.29	0.51
4.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 104— हस्तशिल्प उद्योग— 0001— हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	4.81	0.00	4.81	1.35
5.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 104—हस्तशिल्प उद्योग— 0101— हस्तशिल्प का विकास	12.50	0.00	12.50	0.01
6.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 105— खादी ग्रामोद्योग— 0001— बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	2.51	1.21	3.72	0.00
7.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 105— खादी ग्रामोद्योग— 0101— बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	4.20	6.25	10.45	5.04
8.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 107— रेशम उत्पादन उद्योग— 0001— रेशम उत्पादन का विकास	8.78	0.03	8.81	2.49
9.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 107— रेशम उत्पादन उद्योग 0101— रेशम का विकास हेतु पिछड़ी जातियों के लिए विषेश अंगीभूत योजना	18.65	0.00	18.65	0.06
10.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00— 108— बिजली करधा उद्योग—0101—बिजली करधा योजना	5.43	0.00	5.43	0.05
11.	2852—उद्योग—08— उपभोक्ता उद्योग 001— निदेशन तथा प्रशासन—0001— खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	1.16	0.00	1.16	0.12
12.	2852—उद्योग—08— उपभोक्ता उद्योग—796— जनजातीय क्षेत्र की उप योजना—0101— आर्थिक सहायता	3.00	0.00	3.00	0.00
13.	2852—उद्योग—80—सामान्य—001— निदेशन तथा प्रशासन— 0002—निदेशन	28.24	0.63	28.87	2.08
14.	2852—उद्योग 80—सामान्य—001—निदेशन तथा प्रशासन— 0111— निवेश आयुक्त का कार्यालय	5.00	0.00	5.00	1.24
15.	2852—उद्योग—80—सामान्य—003—ऑद्योगिक शिक्षा—अनुसंधान तथा प्रशिक्षण—0001—शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	1.99	0.09	2.08	0.61
16.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—ऑद्योगिक उत्पादकता— 0004— ऑद्योगिक समूहों की स्थापना	0.68	0.00	0.68	0.28

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि
17.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—औद्योगिक उत्पादकता—0135—इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	26.66	2.45	29.11	0.64
18.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—औद्योगिक उत्पादकता—0142—प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य	9.00	0.00	9.00	0.00
19.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—औद्योगिक उत्पादकता—0150—सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना	3.00	0.00	3.00	0.00
20.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—औद्योगिक उत्पादकता—0160—प्री—प्रोडक्सन एवं पोस्ट—प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	284.75	0.00	284.75	3.61
21.	2852—उद्योग—80—सामान्य—102—औद्योगिक उत्पादकता—0163—व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रखरखाव—बिहार व्यापार विकास कोष	51.57	0.00	51.57	15.00
22.	2852—उद्योग 80—सामान्य—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102—इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	16.00	0.00	16.00	0.00
23.	3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0001—उद्योग विभाग	4.37	2.00	6.37	0.25
24.	4885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय—02—पिछड़े क्षेत्रों का विकास—050—भूमि—0101—औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	1.00	0.00	1.00	0.00
योग		531.09	13.27	544.36	42.55

(नोट: अभ्यर्पित राशि के कॉलम में शून्य रैकड़ों एवं हजार को प्रदर्शित करता है)

(स्पेष्ट: विस्तृत विवियोग लेचे वर्ष 2018-19 और विभाग का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-2.28

(संदर्भ: कंडिका 2.9; पृष्ठ 43)

महालेखाकार (लो०एवं हक०) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान संख्या 23)
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (लो०एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अन्तर (3)-(4)=5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—102—लघु उद्योग— 0001— प्रदर्शन केन्द्र	21.64	21.61	0.03
2.	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—00—107— रेशम उत्पादन उद्योग—0001— रेशम उद्योग का विकास	6.30	6.32	(-)0.02
3.	2852—उद्योग 80—सामान्य—001—निदेशन तथा प्रशासन—0002—निदेशन	27.59	29.59	(-)2.00
4.	2852—उद्योग 80—सामान्य 003—औद्योगिक शिक्षा— अनुसंधान तथा प्रशिक्षण—0001— शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	1.44	1.47	(-)0.03
5.	3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ— 00—090— सचिवालय — 0001— उद्योग विभाग	5.60	5.61	(-)0.01
योग		62.57	64.60	(-)2.03

(ओत: विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 46)
विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते

क्रम सं0	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं0
(1)	(2)	(3)
1	अररिया	1
2	औरंगाबाद	2
3	बगहा	1
4	बाँका	3
5	बाढ़	1
6	बारसोई	1
7	बेगूसराय	5
8	बेनीपुर	1
9	बेतिया	3
10	भागलपुर	2
11	भोजपुर	2
12	बीरपुर	1
13	बक्सर	2
14	दानापुर	2
15	दरभंगा	2
16	दाऊदनगर	1
17	फारबिसगंज	1
18	जमुई	3
19	जहानाबाद	2
20	झंजारपुर	2
21	कैमुर	1
22	कटिहार	4
23	खगड़िया	1
24	किशनगंज	1
25	लखीसराय	3
26	मधेपुरा	1
27	मधुबनी	3
28	मोतिहारी	1
29	मुंगेर	2
30	मुजफ्फरपुर	1
31	नालंदा	1
32	नरकटियागंज	1
33	नवादा	4
34	निर्मली	1
35	पटना	2
36	पटना सिटी	1
37	रोहतास	4
38	सहरसा	3
39	सारण	2
40	शेखपुरा	3
41	शिवहर	2
42	शेरधाटी	1
43	सीतामढ़ी	4
44	सिवान	4
45	सुपौल	1
46	तेघड़ा	1
47	वैशाली	4
योग		95

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 50)
लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0029	भू-राजस्व	476.80	307.78	64.55
2.	0041	वाहन कर	2,085.94	658.53	31.57
3.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1,371.94	261.57	19.07
4.	0059	लोक निर्माण	25.39	25.39	100.00
5.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	46.80	35.43	75.71
6.	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.85	4.77	25.31
7.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	66.61	33.05	49.62
8.	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	11.41	1.51	13.23
9.	0220	सूचना एवं प्रसार	0.30	0.16	53.33
10.	0230	श्रम एवं रोजगार	14.89	12.41	83.34
11.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.08	0.09	112.50#
12.	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.05	0.05	100.00
13.	0401	फसल कृषि कर्म	14.99	6.89	45.96
14.	0405	मत्स्य	13.17	1.38	10.48
15.	0506	भूमि सुधार	0.28	0.28	100.00
16.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	62.37	44.42	71.22
17.	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.06	0.05	83.33
18.	0852	उद्योग	0.13	0.13	100.00
19.	1053	नागर विमानन	6.70	6.50	97.01
20.	1054	सड़क एवं सेतु	118.06	35.20	29.82
21.	1452	पर्यटन	1.75	1.75	100.00
22.	1456	सिविल पूर्ति	0.11	0.11	100.00

(₹0.01 करोड़ की लेखा में वापसी सम्भिलित है। अतः प्रतिशतता 100 से अधिक है।)
(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 50)

लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	4.55	5.04	110.77#
2.	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	314.77	111.18	35.32

(₹0.49 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। अतः प्रतिशतता 100 से अधिक है।)
 (खोल: वित्त लेखा 2018-19)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1 एवं 3.5.2; पृष्ठ 51 एंव 52)

30.09.2019 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा0क्षे0उ0) बकाए लेखे बिहार सरकार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं०
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) कार्यशील कम्पनियाँ			
1 से 5 वर्ष			
1.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
2.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1
3.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
4.	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
5.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
6.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
7.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
8.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
9.	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
10.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17 से 2018-19	3
11.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
12.	बिहार राज्य बैवरेजेज निगम लिमिटेड	2016-17 से 2018-19	3
13.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1
14.	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
15.	बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
16.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
17.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
18.	पीरपेंटी बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 से 2018-19	2
19.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 से 2018-19	2
20.	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
21.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17 से 2018-19	3
22.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	1
23.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	1
24.	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	2017-18 से 2018-19	2
कुल			45
5 से 10 वर्ष			
1.	बिहार राज्य पार्यु पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2011-12 से 2018-19	8
2.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2010-11 से 2018-19	9
3.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2014-15 से 2018-19	5

क्रम सं०	सांकेतिक का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं०
कुल			22
10 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2005-06 से 2018-19	14
2.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2003-04 से 2018-19	16
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2018-19	21
कुल			51
कुल (अ)			118
(ब) (कार्यशील) सांविधिक निगम			
5 वर्ष से कम			
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2018-19	1
5 से 10 वर्ष			
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2013-14 से 2018-19	6
10 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2008-09 से 2018-19	11
कुल (ब)			18
कुल (अ + ब)			136
(स) अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
5 वर्ष से कम			
1.	बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	1
2.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
कुल			9
5 से 10 वर्ष			
1.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2018-19	10
कुल			10
10 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
2.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2018-19	42
3.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2018-19	32
4.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2018-19	31
5.	बिहार मक्का प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35
6.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
7.	विश्वामित्र कागज उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2018-19	34
8.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
9.	झंझारपुर कागज उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
10.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35

क्रम सं०	सांकेति०उ० का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं०
11.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2018-19	29
12.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2018-19	28
13.	भवानी ऐकिटव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
14.	मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35
15.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	1.3.1988 से 2018-19	32
16.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2018-19	30
17.	बिहार राज्य सोलर्वेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2018-19	32
18.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2018-19	16
19.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2018-19	36
20.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2018-19	34
21.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2018-19	34
22.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2018-19	40
23.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2018-19	38
24.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35
25.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
26.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, खगौल लिमिटेड	1993-94 to 2018-19	26
27.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, डेहरी लिमिटेड	1993-94 से 2018-19	26
28.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, आरा लिमिटेड	1993-94 to 2018-19	26
29.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2018-19	26
30.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2018-19	26
31.	स्काडा एग्रो वानिकी कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2018-19	26
32.	बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड	1998-99 से 2018-19	21
33.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2018-19	26
34.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2018-19	18
35.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2018-19	18
कुल			1,065
कुल (स)			1,084
कुल (अ + ब + स)			1,168

(आठ: सांकेति०उ० के वार्षिक लेखे के अंतिमीकरण)

परिविहास्ट-3.5

(संदर्भ: कांडिका 3.5.3; पृष्ठ 52)
उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जिनके लेन्दे 2018-19 तक बकाया है

क्रम सं	साठ शे० उ० का नाम	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जब लेखे बकाया है ।						(₹ करोड़ में)	
		अंश	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजीगत परिवर्त्य	अन्य	कुल		
(अ) कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ									
1.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	148.84	0	148.84	2018-19	1
2.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित निगम लिमिटेड	0	0	0	4.80	0	4.8	2016-17	2
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	5.23	0	5.23	2015-16	4
4.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	118.00	0	118	2018-19	1
5.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	0	30.00	157.47	0	0	187.47	2018-19	1
6.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित निगम लिमिटेड	9.50	492.00	0	8.00	0	509.5	2018-19	1
7.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित निगम लिमिटेड	6.19	7.00	30.00	165.00	0	208.19	2014-15	5
8.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0	2.28	0	105.39	8.66	116.33	2005-06	4
9.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम	20.74	7.49	15.39	0	0	43.62	1998-99	21
10.	बिहार राज्य खाद्य एवं असेंटिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0	1,114.81	1,435.25	0	2,135.15	4,685.21	2003-04	16
11.	नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2,176.10	6.47	673.60	1,669.39	2,053.00	6,578.56	2018-19	1
12.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2,069.61	13.83	1,170.16	0	2,636.07	5,889.67	2018-19	1
13.	बिहार स्टेट पावर (होटिंग) कम्पनी लिमिटेड	4,932.48	100.00	0	0	0	5,032.48	2018-19	1

क्रम सं०	साठ० देश० उ० का नाम	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जब लेखे बकाया हैं।						
		अंश	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजीगत परिव्यय	अन्य	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाये तथा की संख्या
14.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	2,850.00	0	0	2,850.50	2018-19 1
15.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड	972.49	0	0	0	0	972.49	2018-19 1
16.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	0	57.59	243.34	0	0	300.93	2011-12 8
	कुल (अ)	10,187.11	1,831.47	6,575.21	2,224.65	6,832.88	2,7651.32	
	(ब) कार्यशील सार्विधिक कम्पनियाँ							
1.	बिहार राज्य भूडरण निगम	0	0	178.00	31.17	0	209.17	2013-14 6
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0	775.01	0	143.04	882.81	1,800.86	2009-10 10
	कुल (ब)	0	775.01	178	174.21	882.81	2,010.03	
	कुल (अ+ब)	10,187.11	2,606.48	6,753.21	2,398.86	7,715.69	29,661.35	
	(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ							
1.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0	0.26	0	7.14	1993-94 26
2.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0	2.28	0	0	0	2.28	2003-04 16
3.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0	0	128.66	505.19	1985-86 34
4.	बिहार राज्य फल एवं सड़ी विकास निगम लिमिटेड	0	1.00	0	0	0	1	2015-16 4
5.	बिहार राज्य छनिज विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	11.00	13.84	24.84	2001-02 18
6.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.80	2.74	0	0	0	8.54	1988-89 31
7.	बिहार हिल एसिया लिपट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0	0	55.41	79.41	1983-84 36

क्रम संख्या	साठे० रु० का नाम	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रयास्ति जब लेखे बकाया है।						
		अंश	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजीगत परिव्यय	अन्य	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं।
8.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0	0	0	159.33	1979-80
9.	बिहार राज्य हरताकरघा एवं हरताशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	0.25	0	0	0.48	4.45	1984-85
10.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	6.30	0	0	0	19.22	1986-87
11.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0	2.34	0	0	0	2.34	2001-02
12.	बिहार स्कूल्स लिमिटेड	0	6.09	0	0	0	6.09	1977-78
	कुल (रु)	45.12	565.06	0	11.26	198.39	819.83	
	कुल (अं+ब+स)	10,232.23	3,171.54	6,753.21	2,410.12	7,914.08	3,0481.18	

(खोल: साठे०३० के गार्हिक लेखे के अंतिमिकारण)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 52)
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभाग-वार राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	112	1,698.96
2	पशुपालन एवं मस्त्य विभाग	55	148.50
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	76	10.87
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	33	920.84
5	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	8	123.61
6	सहकारिता विभाग	31	186.51
7	आपदा प्रबंधन विभाग	230	2,028.70
8	शिक्षा विभाग	436	14,864.16
9	ऊर्जा विभाग	31	444.80
10	पर्यावरण एवं वन विभाग	2	8.34
11	वित्त विभाग	31	287.15
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	10.81
13	सामान्य प्रशासन विभाग	15	230.50
14	स्वास्थ्य विभाग	6	328.78
15	गृह (ज़ेल) विभाग	2	0.06
16	गृह (विशेष) विभाग	14	7.82
17	उद्योग विभाग	24	46.97
18	सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	18	46.42
19	श्रम संसाधन विभाग	27	39.59
20	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	18	28.21
21	विधि विभाग	1	4.24
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	14	7.40
23	पंचायती राज विभाग	265	13,073.14
24	योजना एवं विकास विभाग	9	1,006.34
25	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	4	3.21
26	ग्रामीण विकास विभाग	75	6,579.49
27	ग्रामीण (कार्य) विभाग	7	12.54
28	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	104	2,035.36
29	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	7	3.91
30	समाज कल्याण विभाग	140	4,512.65
31	गन्ना विभाग	16	147.34
32	पर्यटन विभाग	1	0.40
33	नगर विकास विभाग	622	6,412.02
34	जल संसाधन विभाग	18	145.45
योग		2453	55,405.09

(स्रोत: महालेखाकार (लै० एवं हक०) द्वारा संकलित आंकड़े)

परिविष्ट-3.7

(संदर्भ: कांडिका 3.8, पृष्ठ 56)

सरकारी कम्पनियों एवं सांबंधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2019 को अंश, ऋण एवं प्रत्याभूत में अंतर

(₹ करोड़ में)

क्रम संखा	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
(अ) कार्यशाल सरकारी कंपनियाँ										
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	0	2.28	31.9	0	0	31.9	0	0
2.	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	20	0	20	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	17.14	26.8	0	27.35	20.47	0	10.21	6.33	0
4.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0	16.31	23.36	0	15.39	1.88	0	0.92
5.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	36.95	5.6	0	48.08	5.6	30	11.13	0	30
6.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1	0.48	0	1	0.5	0	0	0	0
7.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	9.5	492	0	9.5	492	0
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.15	0	0.1	0	0	0	10.05	0	0
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0	0	5	0	0	5	0	0	0
11.	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
12.	बिहार शहरी आधारभूत सरकान विकास निगम लिमिटेड	0	0	5	0	0	5	0	0	0
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20	0	20	0	0	0	0	0	0

क्रम सं	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार				कंपनी के अनुसार				अंतर	
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	
(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ											
14.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
15.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
16.	मुजफरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
17.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5.65	6.24	0	25	0	0	19.35	6.24	0	0
18.	बिहार राज्य बैवरेजेज निगम लिमिटेड	0	0	5	0	0	5	0	5	0	0
19.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	102.02	388.74	0	99.04	238.35	243.34	2.98	150.39	243.34	
20.	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	26,571.57	1,464.26	0	35,133.90	438.5	0	8,562.33	1,025.76	0	0
21.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	10	2,552.33	0	0	0	0	0	10	2,552.33
22.	बिहार स्टेट पावर इंसिम्शन कम्पनी लिमिटेड	0	15	0	0	388.47	0	0	0	373.47	0
23.	नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	226.26	481.1	0	253.11	1,480.79	0	26.85	999.69	
24.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	105.42	683.83	0	43.69	1,540.34	0	61.73	856.51	
25.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0	0	5	0	0	0.84	0	0	0
26.	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	1,008.27	5.27	2,180.48	1,435.25	5.25	739.77	426.98	
27.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इम्फास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	50	0	0	6.74	0	0	43.26	0	0	0
28.	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0	0	0.34	0	0	0	0.34	0	0	0
29.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0	0.36	0	0	0	0.24	0	0	0
30.	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	0	0.05	3.6	0	0	2.95	3.6	0	0
कुल (अ)		26,889.04	3,689.51	4,741.84	35,466.02	4,096.67	4,745.11	8,695.46	2,928.06	5,109.77	

क्रम सं०	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम										
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	28.09	213.97	127.47	39.95	228.47	0	11.86	14.5	127.47
2.	बिहार राज्य पश्च परिवहन निगम	81.74	0	0	74.76	0	0	6.98	0	0
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.8	0	164.04	3.21	0	178	2.41	0	13.96
कुल (ब)		110.63	213.97	291.51	117.92	228.47	178	21.25	14.5	141.43
कुल (अ+ब)		26,996.67	3,903.48	5,033.35	35,583.94	4,325.14	4,923.11	8,716.71	2,942.56	5,251.20
(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.66	0	3.7	2.6	0	1.95	0.06	0
2.	स्काइ एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.58	0	0	0	0	0	0.58	0	0
3.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	14.57	0	10	49.68	0	2.19	35.11	0
4.	बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	0	1.95	0	6.72	0	0	6.72	1.95	0
5.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट स्ट्रिंगर्स निगम लिमिटेड	9.94	3.5	0	10.82	8.55	0	0.88	5.05	0
6.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	1.95	0	7.57	30.98	0	2.63	29.03	0
7.	बिहार राज्य फल एवं सजीव विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0	1.61	0.42	0	0.03	22.7	0
8.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0	2.01	0	0	0	1.03	0	0
9.	बिहार राज्य हरसंशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0	10	1.16	0	1.42	0.15	0
10.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0	7.18	10.4	0	6.55	5.99	0
11.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	8.18	81.95	0	14.04	66.54	0	5.86	15.41	0

क्रम सं०	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
12.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.9	3.3	0	7	3.38	0	2.1	0.08	0
13.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	23.72	0	0	9.97	0	0	13.75	0	0
14.	बिहार सोलावेट एवं कोमिकल्स लिमिटेड	0.2	0.01	0	0.2	0	0	0	0.01	0
15.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20	0	0	20	322.95	0	0	322.95	0
16.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0.03	0	0	0.03	0
17.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0	15.78	4.25	0	6.21	8.1	0
18.	बिहार इंस्प्र एवं कोमिकल्स लिमिटेड	0	0	1.25	0	1.28	0	0	1.28	1.25
19.	बिहार राज्य वर्क्स निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0	10.78	2.27	0	5.03	0.18	0
20.	बिहार राज्य नियंति निगम लिमिटेड	2.27	0.94	0	2	1.22	0	0.27	0.28	0
21.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.41	0	1.75	0	0	0.44	3.41	0
22.	बिहार राज्य टेनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0
23.	बिहार राज्य फिलिस्टड लेदर्स निगम लिमिटेड	0	0	0	9.18	0	0	9.18	0	0
24.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.27	0	17.4	12.43	0	6.97	0.84	0
25.	बिहार रक्कूटर्स लिमिटेड	0	0	0	0	6.09	0	0	6.09	0
कुल (स)		141.34	171.16	1.25	158.53	533.41	0	64.61	467.89	1.25
कुल (अ+ब+स)		27,141.01	4,074.64	5,034.60	35,742.52	4,858.55	4,923.11	8,781.32	3,410.45	5,252.45

(चोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19 तथा आंकड़ों प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं०	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ले० एवं हक०	लेखा एवं हकदारी
2	ए सी	सार आकस्मिक
3	ए ई	संचयी व्यय
4	ए जी	महालेखाकार
5	बी ब ह	बिहार बजट हस्तक
6	बी ई	बजट अनुमान
7	बी एफ आर	बिहार वित्तीय नियम
8	बी एफ आर बी एम	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
9	बी ओ सी डब्लू	भवन एवं अन्य संरचना कर्मकार
	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
10	सी ए जी	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
11	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
12	सी ई	पूँजीगत व्यय
13	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
14	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
15	डी ई	विकास व्यय
16	डीस्कॉम	वितरण कम्पनी
17	ई एस	आर्थिक सेवाएँ
18	जी आई ए	सहायता अनुदान
19	जी ओ बी	बिहार सरकार
20	जी ओ आई	भारत सरकार
21	जी एस	सामान्य सेवाएँ
22	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
23	एन पी आर ई	गैर—योजना राजस्व व्यय
24	एन पी एस	नई पेंशन योजना
25	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
26	एन टी आर	करेतर राजस्व
27	पी ए सी	लोक लेखा समिति
28	पी डी	व्यक्तिगत जमा
29	पी एफ	भविष्य निधि
30	पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
31	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
32	आर ई	राजस्व व्यय
33	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
34	एस डी आर एफ	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
35	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
36	एस एल आर	सांविधिक तरलता अनुपात
37	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
38	एफ एफ सी (XIV)	चौदवाँ वित्त आयोग
39	यू सी	उपयोगिता प्रमाण—पत्र
40	उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना
41	भी ए टी	मूल्य वर्धित कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू० आर०
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in